



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए



संघ सरकार
राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर
2016 की प्रतिवेदन सं. 3

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार
राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर
2016 की प्रतिवेदन सं. 3

..... को लोक सभा और राज्य सभा में प्रस्तुत

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
प्राक्कथन	i
मुख्य बातें	iii-v
अध्याय I: प्रत्यक्ष कर प्रशासन	1-16
i. संघ सरकार के संसाधन	1
ii. प्रत्यक्ष करों का स्वरूप	2
iii. सीबीडीटी के कार्य एवं उत्तरदायित्व	2-3
iv. प्रत्यक्ष कराधान की बजटिंग	3
v. प्रत्यक्ष करों में वृद्धि	4-7
vi. छोड़ा गया राजस्व	7-8
vii. कर आधार का विस्तारण और गहनता	8-11
viii. संवीक्षा निर्धारणों का निपटान	11
ix. प्रतिदाय दावों का निपटान	11-12
x. असंग्रहीत मांग	12
xi. अपील मामलों के निपटान	13
xii. अभियोजन की प्रास्थिति	14
xiii. परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज	14
xiv. आयकर विभाग की आईटी पहलें	14-15
xv. आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता	15-16
अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, उत्पाद और प्रभाव	17-26
i. प्राप्तियों की लेखापरीक्षा हेतु सीएजी के प्राधिकार	17
ii. प्रणालियों और क्रियाविधियों की जांच और उनकी क्षमता	17-18
iii. लेखापरीक्षा उत्पाद और प्रभाव	18
iv. लेखापरीक्षा के प्रभाव	18-20
v. त्रुटियों की घटना	21-22
vi. लेखापरीक्षा के बताने पर वसूली	23
vii. लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया	23-24
viii. लेखापरीक्षा पर आपत्तियों का लंबन	24-25
ix. अभिलेखों को उपलब्ध न करना	25-26
अध्याय III: निगम कर	27-47
i. प्रस्तावना	27-28
ii. निर्धारणों की गुणवत्ता	28-34
iii. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन	35-42
iv. चूकों के कारण निर्धारणों से छूटने वाली आय	42-46
v. कर/ब्याज का अधिक प्रभार	46-47

अध्याय IV: आयकर और धन कर	49-67
i. प्रस्तावना	49
ii. निर्धारणों की गुणवत्ता	50-55
iii. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन	55-61
iv. चूकों के कारण निर्धारणों से छूटने वाली आय	62-66
v. कर/ब्याज का अधिक प्रभार	67
अध्याय V: अंतरण मूल्यनिर्धारण	69-78
i. प्रस्तावना	69-70
ii. विवाद समाधान पैनल	71
iii. अंतरण मूल्य निर्धारण आदेशों पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष	72-78
अध्याय VI : बट्टे खाते में डाले गए कर मांग के बकाया	79-99
i. प्रस्तावना	79
ii. प्रशासनिक ढांचा	79-80
iii. विधिक प्रावधान तथा प्रक्रियाएं	81
iv. लेखापरीक्षा उद्देश्य	81
v. लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र तथा कवरेज	81
vi. बाधाएं	82
vii. लेखापरीक्षा निष्कर्ष	82-94
viii. आंतरिक नियंत्रण	95-97
ix. निष्कर्ष	98
x. सिफारिशें	98-99
परिशिष्ट	101-133
संकेताक्षर	134-135

प्राक्कथन

मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में राजस्व विभाग-संघ सरकार के प्रत्यक्ष करों की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम निहित हैं।

इस प्रतिवेदन में वह मामले उल्लिखित हैं जो 2014-15 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आये, साथ ही वो मामले भी, जो पूर्व वर्षों में ध्यान में आए थे, किन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे; 2014-15 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी, जहाँ आवश्यक समझा गया, शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

मुख्य बातें

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, संघ सरकार के प्रत्यक्ष करों से प्राप्तियों की लेखापरीक्षा करते हैं। इस प्रतिवेदन में प्रत्यक्ष कर प्रशासन, लेखापरीक्षा अधिदेश और अनुपालन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर चर्चा की गई है तथा इसमें अन्तरण मूल्य निर्धारण और बट्टे खाते में डाली गई कर मांग बकाया के निष्कर्ष भी शामिल हैं।

अध्याय 1: प्रत्यक्ष कर प्रशासन

वित्तीय वर्ष 2014-15 में संघ सरकार की प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां ₹ 6,95,792 करोड़ थीं, जो जीडीपी के 5.5 प्रतिशत को दर्शाती हैं। सकल कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा वित्तीय वर्ष 2013-14 में 56.1 प्रतिशत से घटकर वित्तीय वर्ष 2014-15 में 55.9 प्रतिशत हो गया।

प्रत्यक्ष कर के दो प्रमुख संघटक अर्थात् निगम कर वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹ 3.95 लाख करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹ 4.29 लाख करोड़ और आयकर वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹ 2.38 लाख करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹ 2.58 लाख करोड़ हो गया।

गैर कॉरपोरेट निर्धारितियों की संख्या वित्तीय वर्ष 2013-14 में 304.03 लाख से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2014-15 में 360.55 लाख हो गई, इसमें 18.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

कॉरपोरेट निर्धारितियों की संख्या वित्तीय वर्ष 2013-14 में 6.36 लाख से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2014-15 में 6.75 लाख हो गई इसमें 6.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

संवीक्षा निर्धारण के कुल 10.3 लाख मामलों में से विभाग ने वित्तीय वर्ष 2014-15 में 5.4 लाख मामलों (47.8 प्रतिशत) का निपटान किया था जिसके परिणामस्वरूप लम्बन दर में कमी हुई है।

असंग्रहीत मांग वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹ 5.75 लाख करोड़ से बढ़ कर वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹ 7.00 लाख करोड़ हो गई। विभाग ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में 96 प्रतिशत से अधिक की असंग्रहीत मांग की वसूली मुश्किल है।

सीआईटी(अपील) के पास लम्बित अपीलें वित्तीय वर्ष 2013-14 में 2.15 लाख से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2014-15 में 2.32 लाख हो गई। सीआईटी (अपील) में इन मामलों में अवरूद्ध राशि वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹ 3.84 लाख करोड़ थी। उच्चतर स्तरों (आईटीएटी/उच्च न्यायालयों/सर्वोच्च न्यायालय) पर अवरूद्ध राशि वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹ 1.8 लाख करोड़ (76,922 मामले) से वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹ 1.9 लाख करोड़ (77,448 मामले) बढ़कर हो गई है।

अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, उत्पाद और प्रभाव

आयकर विभाग ने उन यूनिटों में वित्तीय वर्ष 2013-14 में 2.26 लाख संवीक्षा निर्धारण पूरे किए जिन्हें वित्तीय वर्ष 2014-15 की लेखापरीक्षा योजना के दौरान लेखापरीक्षित किया गया था, जिनमें से हमने 2.11 लाख मामलों की जांच की थी। लेखापरीक्षा में जांचे गए निर्धारणों में 0.16 लाख गलतियाँ थी जो औसतन 7.4 प्रतिशत थी।

आयकर विभाग ने हमारे द्वारा बताई गई निर्धारणों में त्रुटियों को सुधारने के लिए उठाई गई मांग से वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹ 127.67 करोड़ की वसूली की।

इस प्रतिवेदन में मंत्रालय को जारी 455 उच्च मूल्य और महत्वपूर्ण मामलों की चर्चा की गई है। इनमें से मंत्रालय/आयकर विभाग ने 159 मामले (34.9 प्रतिशत) स्वीकार कर लिए। 16 मामलों में आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार नहीं की। शेष मामलों में मंत्रालय/आयकर विभाग ने उत्तर प्रस्तुत नहीं किए।

प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा निष्कर्षों के लम्बित उत्तरों के संचय के परिणामस्वरूप 50,005 मामले इक्ठ्ठा हो गए जिनमें 31 मार्च 2015 को ₹ 62,415.2 करोड़ का राजस्व प्रभाव शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 2,490.8 करोड़ के कर प्रभाव के 3,889 मामले उपचारी कार्रवाई हेतु समयबाधित हो गए थे।

अध्याय III: निगम कर

हमने निगम कर से संबंधित 312 उच्च मूल्य वाले मामले बताए जिनमें ₹ 2,459.00 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। हमने मामलों को चार व्यापक श्रेणियों नामतः निर्धारणों की गुणवत्ता, जिसमें ₹ 426.80 करोड़ (93 मामले) के कर प्रभाव शामिल थे, कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन, जिसमें ₹ 1,796.79 करोड़ (155 मामले) का कर प्रभाव शामिल था, चूकों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय जिसमें ₹ 176.56 करोड़ (44 मामले) का कर प्रभाव शामिल था तथा कर/ब्याज का अतिप्रभार जिसमें ₹ 58.84 करोड़ (20 मामले) शामिल थे, में वर्गीकृत किया है।

अध्याय IV: आयकर और धनकर

हमने आयकर से संबंधित 137 उच्च मूल्य वाले मामले बताए जिनमें ₹ 286.29 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। हमने मामलों को चार व्यापक श्रेणियों में नामतः निर्धारणों की गुणवत्ता जिसमें ₹ 165.18 करोड़ (54 मामले) शामिल थे, कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन जिसमें ₹ 93.18 करोड़ (49 मामले) का कर प्रभाव शामिल था, चूकों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय जिसमें ₹ 16.93 करोड़ (27 मामले) का कर प्रभाव शामिल था तथा कर/ब्याज का अतिप्रभार जिसमें ₹ 11.0 करोड़ (सात मामले) शामिल थे, वर्गीकृत किया है। इसके अलावा, हमने धन कर से संबंधित ₹ 0.18 करोड़ के कर प्रभाव वाले छह मामलों के बारे में भी बताया है।

अध्याय V: अंतरण मूल्य निर्धारण

हमने 10 उच्च मूल्य मामलों के बारे में बताया है जिनमें अहमदाबाद, हैदराबाद और मुंबई के टीपीओज ने आर्म्स लेन्थ कीमत निकालने और उनके समायोजन में त्रुटियां की थी।

अध्याय VI: बट्टे खाते में डाले गए कर मांग के बकाया

हमने प्रधान सीआईटी, सीआईटी जिनकी नमूना लेखापरीक्षा जांच की थी, के सम्बन्ध में देखा कि बट्टे खाते में डालना के लंबन/निर्धारिती का पता नहीं लगना/कोई परिसंपत्ति नहीं होना और अपर्याप्त संसाधनों के कारण वसूली हेतु दुष्कर मांग की प्रतिशतता में कर मांग के कुल बकाया के सम्बन्ध में पर्याप्त रूप से वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹ 34,962.26 करोड़ (12.59 प्रतिशत) के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2014-15 में ₹ 74,077.78 करोड़ (22.60 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इसमें से केवल ₹ 2.21 करोड़ को बट्टे खाते में डाला गया था।

आयकर विभाग ने उन मामलों में नियमित प्रक्रिया का पालन करते हुए असंशोध्य बकाया मांग की घोषणा नहीं की जिनमें निर्धारिती का पता नहीं लगाया जा सका, कोई निधि/परिसंपत्ति नहीं थी या अपर्याप्त निधि/परिसंपत्ति थी तथा उस कर मांग के बकाया को बट्टे खाते में नहीं डाला जिसके लिए संबंधित कर वसूली अधिकारियों द्वारा असंशोध्य प्रमाण पत्र जारी किए गए थे।

सीबीडीटी ने उन उच्च मूल्य के मामलों की मॉनीटरिंग के लिए कोई तंत्र/प्रणाली विकसित नहीं की है जोकि काफी समय से लंबित हैं और जिन्हें बट्टे खाते में डालने की आवश्यकता है।

अध्याय I

प्रत्यक्ष कर प्रशासन

1.1 संघ सरकार के संसाधन

1.1.1 भारत सरकार के संसाधनों में संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेजरी बिल जारी करके लिए गए सभी ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा ऋण के पुनर्भुगतान में सरकार को प्राप्त सभी धन शामिल हैं। संघ सरकार के कर राजस्व संसाधनों में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त राजस्व शामिल हैं। निम्नलिखित तालिका 1.1 वित्तीय वर्ष (वि.व.) 2014-15 और वि.व. 2013-14 के लिए संघ सरकार के संसाधनों का सारांश प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.1: संघ सरकार के संसाधन	(₹ करोड़ में)	
	वि.व. 2014-15	वि.व. 2013-14
क. कुल राजस्व प्राप्तियां	16,66,717	15,36,024
i. प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	6,95,792	6,38,596
ii. अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	5,49,343	5,00,400
iii. गैर-कर प्राप्तियां	4,19,982	3,93,410
iv. सहायता अनुदान एवं अंशदान	1,600	3,618
ख. विविध पूंजीगत प्राप्तियां ²	37,740	29,368
ग. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली ³	26,547	24,549
घ. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां ⁴	42,18,196	39,94,966
भारत सरकार की कुल प्राप्तियाँ (क+ख+ग+घ)	59,49,200	55,84,907

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखे। प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों और अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों की संगणना संघ वित्त लेखा से की गई है। कुल राजस्व प्राप्तियों में सीधे राज्यों को सौंपे गए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों की निवल प्राप्तियों के हिस्से के रूप में वि.व. 2014-15 में ₹ 3,37,808 करोड़ और वि.व. 2013-14 में ₹ 3,18,230 करोड़ शामिल हैं।

1.1.2 संघ सरकार की कुल प्राप्तियों में वि.व. 2013-14 में ₹ 55,84,907 करोड़ से बढ़कर वि.व. 2014-15 में ₹ 59,49,200 करोड़ हो गई। वि.व. 2014-15 में इसकी स्वयं की प्राप्तियां ₹ 16,66,717 करोड़ थी जिनमें ₹ 12,45,135 करोड़ की सकल कर प्राप्तियां शामिल हैं।

1 अप्रत्यक्ष करों को माल एवं सेवाओं, यथा सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि पर उदग्रहित किया जाता है;

2 इसमें बोनस शेयर का मूल्य, सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में विनिवेश तथा अन्य प्राप्तियां शामिल हैं;

3 संघ सरकार द्वारा ऋणों की वसूली तथा दिए गए अग्रिम;

4 आंतरिक रूप से तथा बाह्य रूप से भारत सरकार द्वारा उधारियां;

1.2 प्रत्यक्ष करों का स्वरूप

1.2.1 संसद द्वारा उदग्रहीत प्रत्यक्ष करों में मुख्यतः शामिल हैं:

- कम्पनियों की आय पर उदग्रहीत निगम कर;
- व्यक्तियों की आय पर उदग्रहीत आयकर (कम्पनियों को छोड़कर);
- अन्य प्रत्यक्ष करों में धनकर⁵, प्रतिभूति लेनदेन कर⁶ आदि शामिल हैं।

1.2.2 तालिका 1.2 प्रत्यक्ष कर प्रशासन का एक आशुचित्र उपलब्ध कराती है।

तालिका 1.2: प्रत्यक्ष कर प्रशासन					
	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
	₹ करोड़ में				
1. प्रत्यक्ष कर संग्रहण	4,45,995	4,93,987	5,58,989	6,38,596	6,95,792
2 प्रतिदाय	75,169	93,814	83,766	89,060	1,12,163
3. प्रतिदाय पर ब्याज	10,499	6,486	6,666	6,598	5,332
	संख्या लाख में				
4. रिकार्ड पर निर्धारिती	335.8	363.5	373.8	470.3 ⁷	607.6 ⁷
5. पूर्ण हुए संवीक्षा निर्धारण	4.6	3.7	3.1	2.9	5.35
6. लम्बित संवीक्षा निर्धारण	3.9	4.1	2.9	4.2	4.96

स्रोत: क्रम सं. 1-संघ वित्त लेखे, क्रम सं. 2 प्र. सीसीए, सीबीडीटी और क्रम सं. 3 से 6-डीजीआईटी (लॉजिस्टिक्स), सीबीडीटी।

कर प्रशासन का विवरण परिशिष्ट-1 में दिया गया है।

1.3 सीबीडीटी के कार्य एवं उत्तरदायित्व

1.3.1 वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग (डीओआर) के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) भारत में प्रत्यक्ष करों की नीति और योजना बनाने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। उसके साथ-साथ, यह आय कर विभाग (आईटीडी) के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी है। आय कर विभाग प्रत्यक्ष करों के उदग्रहण और संग्रहण से संबंधित मामलों के साथ कर अपवंचन, राजस्व आसूचना, कर आधार बढ़ाने, कर दाताओं को सेवाएं प्रदान करने, शिकायत निवारण तंत्र के मामलों से संबंधित मामलों को देखता है।

5 निवल धन पर प्रभार्य कर में धनकर अधिनियम 1957 की धारा 2(ईए) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट कतिपय परिसम्पत्तियां शामिल हैं। धन कर को वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

6 भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीदी गई और बेची गई कर योग्य प्रतिभूतियों के मूल्य पर कर। तथापि, धारा 88ई के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 2009-10 से किसी छूट की अनुमति नहीं है।

7 159.93 लाख मामले (वि.व. 2013-14) और 169.35 लाख मामले (वि.व. 2014-15) शामिल हैं, जिनमें गैर शून्य 26 एस मौजूदा हैं किंतु आयकर विभाग के रिकार्ड में कोई आईटीआर दर्ज नहीं है।

1.3.2 31 मार्च 2015 को आयकर विभाग की समग्र स्टाफ संख्या और कार्यरत स्टाफ संख्या क्रमशः 78,544 तथा 41,304 हैं। अधिकारियों⁸ की संस्वीकृत और कार्यरत संख्या क्रमशः 10,863 और 8,863 है। वर्ष 2014-15 के लिए राजस्व व्यय ₹ 4,147.6 करोड़⁹ हैं।

1.4 प्रत्यक्ष कराधान की बजटिंग

1.4.1 बजट सरकार की दृष्टि एवं उद्देश्य को प्रदर्शित करता है। राजस्व बजट में सरकार की राजस्व प्राप्तियां (कर राजस्व और अन्य राजस्व) और इन राजस्वों से किए गए व्यय शामिल हैं। बजट अनुमानों की तदनुसूची वास्तविक से तुलना राजकोषीय विवेक की गुणवत्ता का संकेतक है। वास्तविक अप्रत्याशित और यादृच्छ रूप से बाह्य घटनाओं या प्रणालीगत अपर्याप्तताओं के कारण प्राक्कलन से भिन्न हो सकता है या कभी किसी महत्वपूर्ण पैरामीटर को कम प्रक्षेपित/अधिक प्रक्षेपित करना सुविधाजनक हो सकता है।

1.4.2 निम्नलिखित तालिका 1.3 वि.व. 2010-11 से वि.व. 2014-15 के दौरान बजट अनुमानों, संशोधित अनुमानों तथा प्रत्यक्ष करों के वास्तविक संग्रहण के ब्योरे दर्शाती है।

तालिका 1.3: वास्तविक की तुलना में बजट अनुमान, संशोधित अनुमान (₹ करोड़ में)							
वित्तीय वर्ष	ब.अनु.	सं. अनु.	वास्तविक	वास्तविक माइनस ब.अनु.	वास्तविक माइनस सं. अनु.	ब.अनु. के प्रतिशत के रूप में अन्तर	सं. अनु. के प्रतिशत के रूप में अन्तर
2010-11	4,30,000	4,46,000	4,45,995	15,995	(-) 5	3.7	शून्य
2011-12	5,32,651	5,00,651	4,93,987	(-) 38,664	(-) 6,664	(-) 7.3	(-) 1.3
2012-13	5,70,257	5,65,835	5,58,989	(-) 11,268	(-) 6,846	(-) 2.0	(-) 1.2
2013-14	6,68,109	6,36,318	6,38,596	(-) 29,513	2,278	(-) 4.4	0.4
2014-15	7,36,221	7,05,628	6,95,792	(-) 40,429	(-) 9,836	(-) 5.5	(-) 1.4

टिप्पणी: ब. अनु. और सं. अनु. आंकड़े संबंधित प्राप्त बजट के अनुसार हैं और वास्तविक संबंधित वित्तीय लेखाओं के अनुसार हैं।

1.4.3 प्रत्यक्ष करों का वास्तविक संग्रहण वि.व. 2010-11 में बजट अनुमानों से ज्यादा था जबकि यह वि.व. 2011-12 से वि.व. 2014-15 के दौरान बजट अनुमानों से कम था। संशोधित प्राक्कलन सामान्यतः उचित पाये गए थे क्योंकि वास्तविक संग्रहण में परिवर्तन संशोधित अनुमानों के (-) 1.4 प्रतिशत से 0.4 प्रतिशत के बीच रहा। वि.व. 2014-15 में प्रत्यक्ष करों का वास्तविक संग्रहण संशोधित अनुमानों से ₹ 9,836 करोड़ कम था।

8 प्र.सीसीआईटी/प्र.डीजीआईटी, सीसीआईटी/डीजीआईटी, प्र. सीआईटी/प्र.डीआईटी, सीआईटी/डीआईटी, अपर सीआईटी/अपरडीआईटी, जेसीआईटी/जेडीआईटी, डीसीआईटी/डीडीआईटी, एसीआईटी/एडीआईटी तथा आईटीओज़

9 वि.व. 2014-15 के लिए संघ वित्त लेखे

1.5 प्रत्यक्ष करों में वृद्धि

1.5.1 निम्न तालिका 1.4 वि.व. 2010-11 से वि.व. 2014-15 के दौरान सकल कर प्राप्तियों¹⁰ (जीटीआर) और सकल घरेलू उत्पादों (जीडीपी) के संदर्भ में प्रत्यक्ष करों (डीटी) की संबंधित वृद्धि को दर्शाती है।

तालिका 1.4: प्रत्यक्ष करों में वृद्धि					(₹ करोड़ में)
वि.व.	डीटी	जीटीआर	जीटीआर के प्रतिशत के रूप में प्रत्यक्ष कर	जीडीपी	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रत्यक्ष कर
2010-11	4,45,995	7,93,307	56.2	77,95,314	5.7
2011-12	4,93,987	8,89,118	55.6	90,09,722	5.5
2012-13	5,58,989	10,36,460	53.9	99,88,540	5.6
2013-14	6,38,596	11,38,996	56.1	1,13,45,056	5.6
2014-15	6,95,792	12,45,135	55.9	1,25,41,208	5.5

स्रोत: प्रत्यक्ष कर तथा जीटीआर-संघ वित्त लेखे, जीडीपी-केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 29 मई 2015 को प्रकाशित जीडीपी पर प्रैस नोट। इसने दर्शाया कि वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए जीडीपी के आँकड़े न्यू सीरिज अनुमानों पर आधारित हैं। वर्ष 2014-15 के और आँकड़े विद्यमान कीमतों पर अनन्तिम अनुमानों पर आधारित हैं। वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए जीडीपी के आँकड़े आधार वर्ष 2004-05 की वर्तमान बाजार कीमतों पर आधारित हैं। आँकड़े सीएसओ द्वारा निरंतर संशोधित किए जा रहे हैं और ये आँकड़े वृहद आर्थिक निष्पादन के साथ राजकोषीय निष्पादन की संकेतित तुलना के लिए हैं।

1.5.2 हमने पाया कि वि.व. 2013-14 की तुलना में वि.व. 2014-15 में प्रत्यक्ष कर ₹ 57,196 करोड़ (9.0 प्रतिशत) तक बढ़ गया था। तथापि, जीटीआर में प्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी में वि.व. 2013-14 में 56.1 प्रतिशत से वि.व. 2014-15 में 55.9 प्रतिशत की मामूली कमी आई है।

1.5.3 निम्न तालिका 1.5 वि.व. 2010-11 से वि.व. 2014-15 के दौरान प्रत्यक्ष करों और अपने प्रमुख संघटकों जैसे निगम कर (सीटी) और आयकर (आईटी) में वृद्धि को निरपवाद रूप से दर्शाती है।

तालिका 1.5: प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों और इसके मुख्य संघटकों की वृद्धि						(₹ करोड़ में)
वित्तीय वर्ष	प्रत्यक्ष कर	पिछले वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	सीटी	पिछले वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	आईटी	पिछले वर्ष से प्रतिशत वृद्धि
2010-11	4,45,995	18.1	2,98,688	22.1	1,39,102	13.6
2011-12	4,93,987	10.8	3,22,816	8.1	1,64,525	18.3
2012-13	5,58,989	13.2	3,56,326	10.4	1,96,843	19.6
2013-14	6,38,596	14.2	3,94,678	10.8	2,37,870	20.8
2014-15	6,95,792	9.0	4,28,925	8.7	2,58,374	8.6

10 इसमें सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर सम्मिलित हैं।

1.5.4 हमने पाया कि सीटी की वृद्धि में वि.व. 2013-14 में 10.8 प्रतिशत से वि.व. 2014-15 में 8.7 प्रतिशत की कमी आई। आईटी की वृद्धि में वि.व. 2013-14 में 20.8 प्रतिशत से वि.व. 2014-15 में 8.6 प्रतिशत तक अत्यधिक गिरावट आई। सीटी और आईटी की संयोजित वार्षिक वृद्धि दर वि.व. 2010-11 से वि.व. 2014-15 के दौरान क्रमशः 9.5 प्रतिशत और 16.7 प्रतिशत थी।

1.5.5 निगम तथा आयकर दोनों के संबंध में प्रत्यक्ष कर संग्रहण के विभिन्न तरीके {स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस), अग्रिम कर, स्व-निर्धारण कर, नियमित निर्धारण कर} हैं। अग्रिम कर, स्व-निर्धारण कर तथा टीडीएस के माध्यम से संग्रहण, मोटे तौर पर प्रणाली में स्वैच्छिक अनुपालन की डिग्री का सूचक है। नियमित निर्धारण विधि के माध्यम से किया गया कर संग्रहण निर्धारण पर होता है। वि.व. 2014-15 के दौरान निगमित तथा गैर निगमित निर्धारितियों का स्वैच्छिक अनुपालन वि.व. 2013-14 में 84.6 प्रतिशत की तुलना में 83.2 प्रतिशत था।

1.5.6 तालिका 1.6 वि.व. 2010-11 से वि.व. 2014-15 के दौरान निगमित निर्धारितियों के संग्रहण को दर्शाती है।

तालिका 1.6: कॉरपोरेट निर्धारितियों का संग्रहण							(₹ करोड़ में)
वित्तीय वर्ष	टीडीएस	अग्रिम कर	स्व-निर्धारण कर	नियमित निर्धारण कर	अतिप्रभार तथा उपकर	अन्य प्राप्तियां	संग्रहण
2010-11	68,313	1,84,263	23,056	41,916	16,846	20,872	3,55,266
2011-12	91,974	2,08,886	13,632	40,030	24,309	19,285	3,98,116
2012-13	74,481	2,32,467	18,731	53,874	16,804	23,790	4,20,147
2013-14	83,443	2,45,350	18,852	60,426	24,175	29,605	4,61,851
2014-15	87,858	2,72,193	23,025	68,604	26,514	34,778	5,12,972

टिप्पणी: उपरोक्त आंकड़े संबंधित वर्षों के दौरान प्र. सीसीए, सीबीडीटी से प्राप्त हुए थे। संग्रहण के आंकड़ों में प्रतिदाय भी शामिल हैं।

1.5.7 टीडीएस संग्रहण कुल कॉरपोरेट संग्रहण से वि.व. 2013-14 में 18.1 प्रतिशत से घटकर वि.व. 2014-15 में 17.10 प्रतिशत हो गया जबकि नियमित निर्धारण कर कुल कॉरपोरेट संग्रहण से वि.व. 2013-14 में 13.1 प्रतिशत से सीमान्त रूप से बढ़कर वि.व. 2014-15 में 13.4 प्रतिशत हो गया। अग्रिम कर वि.व. 2013-14 की तुलना में वि.व. 2014-15 में 53.1 प्रतिशत पर स्थिर रहा।


1.5.8 निम्न तालिका 1.7 वि.व. 2010-11 से वि.व. 2014-15 के दौरान गैर-कॉरपोरेट निर्धारितियों के संग्रहण को दर्शाती है।

तालिका 1.7 गैर-कॉरपोरेट निर्धारितियों का संग्रहण							(₹ करोड़ में)
वित्तीय वर्ष	टीडीएस	अग्रिम कर	स्व-निर्धारण कर	नियमित निर्धारण कर	अतिप्रभार तथा उपकर	अन्य प्राप्तियां	संग्रहण
2010-11	1,00,356	28,275	13,831	9,922	5,498	750	1,58,632
2011-12	1,06,705	42,640	14,016	11,482	5,120	1,420	1,81,383
2012-13	1,36,173	43,327	20,739	8,544	6,000	2,002	2,16,785
2013-14	1,65,104	47,172	25,271	12,102	7,629	2,475	2,59,753
2014-15	1,71,248	54,332	29,025	11,585	8,924	11,373	2,86,487

टिप्पणी: उपरोक्त आंकड़े संबंधित वर्षों के दौरान प्र. सीसीए, सीबीडीटी से प्राप्त हुए थे। संग्रहण के आंकड़ों में प्रतिदाय भी शामिल हैं।


1.5.9 टीडीएस संग्रहण और नियमित निर्धारण कर वि.व. 2013-14 में कुल गैर-कॉरपोरेट के संग्रहण के क्रमशः 63.6 प्रतिशत और 4.7 प्रतिशत से घट कर वि.व. 2014-15 में क्रमशः 59.8 प्रतिशत और 4.0 प्रतिशत हो गया। तथापि, अग्रिम कर वि.व. 2013-14 में कुल गैर कॉरपोरेट संग्रहण के 18.2 प्रतिशत से थोड़ा बढ़ कर वि.व. 2014-15 में 19.0 प्रतिशत हो गया।

1.5.10 नीचे चार्ट 1.1 वि.व. 2010-11 से वि.व. 2014-15 के दौरान कॉरपोरेट निर्धारितियों के संबंध में पूर्व निर्धारण¹¹ और पश्च निर्धारण संग्रहण दर्शाता है।



1.5.11 नीचे चार्ट 1.2 वि.व. 2010-11 से वि.व. 2014-15 के दौरान गैर-कॉरपोरेट निर्धारितियों के संबंध में पूर्व निर्धारण¹¹ और पश्च निर्धारण संग्रहण दर्शाता है।

11 टीडीएस, अग्रिमकर, स्व-निर्धारण कर और इनके प्रति उद्ग्रहीत आनुपातिक अधिभार एवं उपकर



1.5.12 स्वैच्छिक अनुपालन में कॉरपोरेट निर्धारिती के संबंध में वि.व. 2011-12 से निरंतर कमी आई जबकि गैर-कॉरपोरेट निर्धारितियों के संबंध में वि.व. 2010-11 से वि.व. 2012-13 के दौरान वृद्धि हुई और इसके बाद गिरावट आई।

1.6 छोड़ा गया राजस्व

1.6.1 किसी कर प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य सरकारी व्ययों की निधिपूर्ति हेतु आवश्यक राजस्वों को बढ़ाना है। बढ़े हुए राजस्व की राशि काफी हद तक कर आधार और कर दरों से निर्धारित की जाती है। उपायों की श्रेणियां-विशेष कर दरें, छूटें, कटौतियाँ, कमी, स्थगन और क्रेडिट, जो कर के स्तर और आबंटन को प्रभावित करते हैं, भी इसका एक कार्य है। इन उपायों को सामूहिक रूप से “कर अधिमान” (छोड़ा गया राजस्व) कहा जाता है।

1.6.2 अन्य बातों के साथ-साथ आय कर अधिनियम, व्यक्तियों द्वारा बचत को प्रोत्साहित करने के लिए कर अधिमानों, निर्यातों, संतुलित क्षेत्रीय विकास; संरचनात्मक सुविधाओं का सृजन; वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास; सहकारी क्षेत्र और पूंजी निवेश हेतु त्वरित मूल्यहास का प्रावधान करता है। इनमें से अधिकतर कर लाभों को कारपोरेट और गैर-कारपोरेट दोनों करदाताओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

1.6.3 संघ प्राप्ति बजट कॉरपोरेट और नॉन कॉरपोरेट निर्धारितियों द्वारा केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल की गई विवरणियों के आधार पर प्रमुख करों के संबंध में छोड़े गये राजस्व के विवरण को दर्शाता है। नीचे तालिका 1.8 वि.व. 2010-11 से वि.व. 2014-15 के दौरान कर छूटों के कारण छोड़े गये राजस्व को दर्शाती है।

तालिका 1.8: छोड़ा गया राजस्व					(₹ करोड़ में)
वित्तीय वर्ष	कुल छोड़ा गया कर	निम्नलिखित के प्रतिशत के रूप में छोड़ा गया राजस्व			
		जीडीपी	डीटी	जीटीआर	
2010-11	94,738	1.2	21.2	11.9	
2011-12	1,01,140	1.1	20.5	11.4	
2012-13	1,02,256	1.0	18.3	9.9	
2013-14	93,047	0.8	14.6	8.2	
2014-15	1,02,833	0.8	14.8	8.3	

टिप्पणी: वि.व. 2014-15 को छोड़कर, छोड़े गए राजस्व के आँकड़े, प्राप्त बजट के अनुसार वास्तविक हैं और इनमें धर्मार्थ संस्थानों को शामिल नहीं किया गया है। वि.व. 2014-15 के लिए छोड़े गए राजस्व के आँकड़े प्रक्षेपित हैं। तथापि, प्राप्त बजट 2015-16 के अनुसार, नवम्बर 2014 तक धर्मार्थ संस्थानों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल की गई विवरणियों की कुल संख्या 99,076 है और धर्मार्थ और धार्मिक उद्देश्यों के लिए इन संस्थाओं द्वारा लगाई गई राशि ₹ 2,25,472 करोड़ है।

1.6.4 कर छूट के कारण छोड़ा गया राजस्व पिछले वर्षों में मात्रा की दृष्टि (वि.व. 2013-14 को छोड़कर) से बढ़ रहा है। लोक लेखा समिति (पीएसी) ने अपनी 87^{वीं} रिपोर्ट (15^{वीं} लोकसभा) में देखा कि सरकार ने 'यद्यपि विलम्बित रूप से' इस दिशा में कुछ उपाय प्रस्तावित किए थे किंतु यह महसूस किया गया कि प्रमाणरहित कर छूटें/कटौतियों को हटाने के लिए सरकार को कुछ अंतरिम/उपायों पर विचार करने की आवश्यकता है। की गई कार्रवाई रिपोर्ट में, डीओआर/सीबीटीडी ने बताया कि वित्त मंत्री ने अपने 2015 के बजट भाषण में घोषित किया था कि कॉर्पोरेट के लिए छूटों को तर्कसंगत तरीके से अगले चार वर्षों में हटाया जायेगा।

1.7 कर आधार का विस्तारण और गहनता

1.7.1 आईटीडी के पास निर्धारित आधार को बढ़ाने के लिए विभिन्न तंत्र मौजूद हैं, जिसमें सर्वेक्षण, दूसरे कर विभागों के साथ सूचना साझा करना और वार्षिक सूचना विवरणियों (एआईआर) में उपलब्ध तीसरे पक्ष की सूचना शामिल करना है। आईटीडी के 2014-15 की केन्द्रीय कार्य योजना में, कर आधार के विस्तारण के लिए मुख्य परिणाम क्षेत्र निम्न हैं:

- क. यह सुनिश्चित करना कि एआईआर विवरणियों के लिए बाध्यकारी सभी प्राधिकरणों/संस्थानों की पहचान उचित रूप से और समय के अन्दर की गई है;
- ख. एआईआर और सीआईबी तंत्र के तहत एकत्रित किए जाने वाले डाटा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए प्रभावी कदमों को उठाना;
- ग. गैर पैन सूचना में पैन पोपुलेट करने की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कदम उठाना और क्षेत्रीय फॉर्मेशनों द्वारा उनकी सामयिक उपयोगिता;

- घ. दोषी सहकारी बैंको/क्रेडिट सोसायटियों के मामलों में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए प्रणाली निदेशालय द्वारा पैन सूचना फैलाना और गैर-पैन सूचना संसाधित करना;
- ङ. केन्द्रीत कर आधार के विस्तारण और गहनता के लिए उपयुक्त पायलेट परियोजनाओं को लाना;
- च. सूचना के ऑटोमैटिक आदान-प्रदान के अंतर्गत प्राप्त हुए डाटा को फैलाना और सामयिक कार्रवाई करना।

1.7.2 निम्नलिखित तालिका 1.9 विभिन्न श्रेणियों में गैर-कॉरपोरेट¹² निर्धारितियों के ब्यौरों को दर्शाती है।

तालिका 1.9: गैर-कॉरपोरेट निर्धारिती					(ऑकड़े लाख में)	
वित्तीय वर्ष	क ¹³	ख ₁ ¹⁴	ख ₂ ¹⁵	ग ¹⁶	घ ¹⁷	कुल
2010-11	271.29	38.36	17.78	4.49	0.12	332.04
2011-12	267.68	60.26	21.23	6.57	1.87	357.61
2012-13	276.13	58.21	23.94	6.59	3.00	367.87
2013-14	117.23	135.79	34.24	16.72	0.05	304.03
2014-15	76.32	216.31	46.11	21.80	0.01	360.55

स्रोत: महानिदेशालय आयकर (लौजिस्टिक्स), अनुसंधान एवं सांख्यिकी विंग, नई दिल्ली

1.7.3 गैर-कॉरपोरेट निर्धारितियों की संख्या वि.व. 2013-14 में 304.03 लाख से बढ़ कर वि.व. 2014-15 में 360.55 लाख हो गई, इसमें 18.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई।

12 स्रोत: महानिदेशालय आयकर (लौजिस्टिक्स) अनुसंधान एवं सांख्यिकी विंग

13 श्रेणी "क" निर्धारिती- ₹ दो लाख से नीचे आय/हानि का निर्धारण;

14 श्रेणी "ख1" निर्धारिती (कम आय समूह)- ₹ दो लाख और उससे अधिक परन्तु ₹ पांच लाख से कम आय/हानि का निर्धारण;

15 श्रेणी "ख2" निर्धारिती - (उच्च आय समूह) - ₹ पाँच लाख और उससे अधिक परन्तु ₹ दस लाख से कम आय/हानि का निर्धारण;

16 श्रेणी "ग" निर्धारिती - ₹ 10 लाख और इससे अधिक की आय/हानि के साथ निर्धारण;

17 श्रेणी "घ" निर्धारिती-तालाशी और जब्ती निर्धारण;

1.7.4 निम्नलिखित तालिका 1.10 विभिन्न श्रेणियों में कॉरपोरेट निर्धारितियों के ब्यौरों को दर्शाती है।

तालिका 1.10: कॉरपोरेट निर्धारिती							(आंकड़े लाख में)	
वित्तीय वर्ष	क ¹⁸	ख ₁ ¹⁹	ख ₂ ¹⁵	ग ¹⁶	घ ¹⁷	कुल	₹ 25 लाख से अधिक आय वाले निर्धारिती	31 मार्च तक आरओसी अनुसार कार्यरत कम्पनियां
2010-11	1.69	0.76	0.67	0.62	0.02	3.76	0.22	7.20
2011-12	2.95	0.91	0.96	1.00	0.03	5.85	0.14	8.01
2012-13	3.05	0.97	0.83	1.02	0.03	5.90	0.14	8.84
2013-14	4.14	0.89	0.31	1.01	0.01	6.36	0.65	9.52
2014-15	3.20	1.51	0.48	1.56	0.00	6.75	0.69	10.16

स्रोत: महानिदेशालय आयकर (लौजिस्टिक्स), अनुसंधान एवं सांख्यिकी विंग, नई दिल्ली

1.7.5 कॉरपोरेट निर्धारितियों की संख्या 6.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुये वि.व. 2013-14 में 6.36 लाख से बढ़कर वि.व. 2014-15 में 6.75 लाख हो गई। वि.व. 2013-14 में कॉरपोरेट निर्धारितियों (6.75 लाख) की संख्या कंपनियों के रजिस्ट्रार (आरओसी)²⁰ के पास दर्ज कार्य कर रही कंपनियों (9.52 लाख) की संख्या से अलग है। क्योंकि सभी कार्य कर रही कंपनियों (चाहे लाभ अर्जित करने वाली हो या हानि उठाने वाली हो) को अपनी आय का विवरणी फाइल करनी होती है, कार्य कर रही 41 प्रतिशत ऐसी कंपनियों ने वि.व. 2014-15 में अपनी आय की विवरणी को फाइल नहीं किया। आईटीडी को अन्तर का समाधान करना अपेक्षित है।

1.7.6 गैर-कॉर्पोरेट निर्धारितियों और कॉर्पोरेट निर्धारितियों की संख्या जैसा कि क्रमशः तालिका 1.9 और तालिका 1.10 में दिखाया गया है रिकार्ड में निर्धारितियों की कुल संख्या के साथ मेल नहीं खाती है। जैसा की तालिका 1.2 में उल्लेखित किया गया है (169.35 लाख मामलों को छोड़कर जहाँ गैर-शून्य 26 एएस विद्यमान है किंतु रिकार्ड में कोई आईटीआर प्रविष्टि नहीं की गई)। तथापि, आयकर महानिदेशालय (लौजिस्टिक्स) अनुसंधान एवं सांख्यिकी विंग, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराई गई मार्च 2015 को समाप्त तिमाही के लिए तिमाही प्रगति रिपोर्ट (विवरण 3-निर्धारितियों का आय-वार विश्लेषण) में उल्लेखित किया गया है कि ये आंकड़े निर्धारितियों के आय वार विश्लेषण और अभिलेख पर निर्धारितियों की संख्या अभिलिखित करने की कार्य प्रणाली में अन्तर होने के कारण मेल नहीं खाते। तथापि, आईटीडी को निर्धारितियों की

18 श्रेणी "क" निर्धारिती-₹ 50,000 से कम आय/हानि का निर्धारण;


19 श्रेणी "ख1" निर्धारिती (कम आय समूह)- ₹ 50,000 और अधिक परंतु ₹ पांच लाख से कम आय/हानि का निर्धारण;

20 स्रोत: कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय (सांख्यिकी डिविजन)

संख्या अभिलिखित करने के लिए अन्तरों से बचने हेतु समान कार्य प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता है।

1.8 संवीक्षा निर्धारणों का निपटान

1.8.1 चार्ट 1.3 वि.व. 2010-11 से वि.व. 2014-15 के दौरान संवीक्षा निर्धारणों के निपटान और लम्बन की प्रवृत्ति को दर्शाता है।



1.8.2 संवीक्षा निर्धारण के मामलों का निपटान वि.व. 2013-14 में 2.8 लाख से बढ़कर वि.व. 2014-15 में 5.4 लाख हुआ जिसके परिणामस्वरूप लंबित दर घटी।

1.9 प्रतिदाय दावों का निपटान

1.9.1 निम्न तालिका 1.11 वि.व. 2010-11 से वि.व. 2014-15 के दौरान प्रत्यक्ष प्रतिदाय दावों के निपटान एवं लम्बन की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 1.11: प्रत्यक्ष प्रतिदाय दावों का निपटान				(संख्या लाख में)
वित्तीय वर्ष	निपटान हेतु बकाया प्रत्यक्ष प्रतिदाय	निपटान किए गए प्रत्यक्ष प्रतिदाय	लंबित प्रत्यक्ष प्रतिदाय	प्रतिशतता में लम्बन
2010-11	59.9	40.4	19.5	32.6
2011-12	52.8	40.3	12.5	23.7
2012-13	38.8	27.6	11.2	28.9
2013-14	34.5	25.7	8.8	25.5
2014-15	31.5	22.6	8.9	28.1

स्रोत: महानिदेशालय आयकर (लौजिस्टिक्स), अनुसंधान एवं सांख्यिकी विंग, नई दिल्ली

1.9.2 आईटीडी के 2014 के नागरिक चार्टर में बताया कि ब्याज के साथ प्रतिदाय निर्धारित समय-सीमाओं²¹ में जारी किया जायेगा। तथापि, वि.व. 2014-15 के दौरान निपटान के लिए लम्बित प्रत्यक्ष प्रतिदायों की संख्या निरंतर समान रही।

21 ई-रिटर्न के लिए छह महीने और धारा 143(1) के अंतर्गत संसाधित अन्य रिटर्न के लिए नौ महीने; और धारा 143(1) के अलावा मूल्यांकित मामलों में एक महीने के अंदर।

1.9.3 सरकार ने ₹ 1,12,163 करोड़ वापस किये जिसमें वि.व. 2014-15 में ₹ 5,332 करोड़ ब्याज (4.8 प्रतिशत) शामिल है। वि.व. 2013-14 में प्रतिदाय पर दिया गया ब्याज ₹ 6,598 करोड़ (वापस की गई राशि ₹ 89,060 करोड़ का 7.4 प्रतिशत) था।

1.10 असंग्रहीत मांग

1.10.1 निम्नलिखित तालिका 1.12 वि.व. 2010-11 से वि.व. 2014-15 अवधि के दौरान लंबित असंग्रहीत मांग²² की प्रवृत्ति दर्शाती है।

तालिका 1.12: असंग्रहीत मांग की स्थिति (₹ करोड़ में)				
वित्तीय वर्ष	पिछले वर्षों के लंबित संग्रहण की मांग	वर्तमान वर्ष की लंबित संग्रहण की मांग	कुल लंबित मांग	वसूली हेतु दुष्कर मांग (प्रतिशत में)
2010-11	2,02,859	88,770	2,91,629	2,71,143 (93.0)
2011-12	2,65,040	1,43,378	4,08,418	3,87,614 (94.9)
2012-13	4,09,456	76,724	4,86,180	4,66,854 (96.0)
2013-14	4,80,066	95,274	5,75,340	5,52,538 (96.0)
2014-15	5,68,724	1,31,424	7,00,148	6,73,032 (96.1)

स्रोत: मार्च 2015 के माह के लिए विश्लेषण सहित सीएपी। मांग एवं संग्रहण विवरण।

1.10.2 बकाया मांग के संग्रहण और वसूली पर बल देने हेतु अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों अर्थात् निर्धारितियों की चल एवं अचल सम्पत्तियों की कुर्की और बिक्री, निर्धारितियों की सम्पत्तियों के प्रबंधन के लिए प्राप्तकर्ता की नियुक्ति और कारावास के बावजूद असंग्रहीत मांग बढ़ रही है। वि.व. 2010-11 से वि.व. 2014-15 के दौरान वर्ष के अंत तक लंबित मांग 2.4 गुणा से अधिक बढ़ी। आईटीडी ने दर्शाया कि कुल लंबित मांग में से 96 प्रतिशत से अधिक मांग वि.व. 2014-15 में वसूल की जानी मुश्किल है। मार्च 2015 के माह के लिये मांग और संकलन विवरण ने विभिन्न कारक जैसे वसूली के लिये अपर्याप्त संपत्तियों, परिसमापन/बीआईएफआर के अंतर्गत मामलें निर्धारिती का पता न मिलना, विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा रोकी गई मांग आदि का जिनके कारण मांग की वसूली मुश्किल हुई विश्लेषण किया गया।

1.10.3 कर भुगतान में चूकों को कर वसूली अधिकारियों (टीआरओ) को भेजा जाता है जो निर्धारितियों से बकाया देय राशि की मात्रा को निर्धारित करते हुए प्रमाणपत्र तैयार करता है और राशि की वसूली को शुरू करने के लिए कार्रवाई करता है। वसूली तंत्र त्रुटिपूर्ण है क्योंकि संग्रहीत किए जाने से रह गई प्रमाणित मांग वि.व. 2013-14 में ₹ 2.2 लाख करोड़ से बढ़कर वि.व. 2014-15 में ₹ 2.4 लाख करोड़ हो गई थी।

²² स्रोत: संबंधित वर्ष के मार्च माह के लिये सीएपी-।

1.11 अपील मामलों के निपटान

1.11.1 निम्न तालिका 1.13 वि.व. 2010-11 से वि.व. 2014-15 के दौरान सीआईटी(अपील) के समक्ष अपील के मामलों के निपटान और लम्बन की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 1.13: सीआईटी(ए) द्वारा अपील मामलों का निपटान					(₹ करोड़ में)
वित्तीय वर्ष	निपटान हेतु बकाया अपीलें	निपटाई गई अपीलें	लंबित अपीलें	प्रतिशतता में लम्बन	अपीलों में अवरुद्ध राशि
(संख्या लाख में)					
2010-11	2.58	0.70	1.88	72.6	1,98,088
2011-12	3.06	0.76	2.30	75.3	2,42,182
2012-13	2.84	0.85	1.99	70.1	2,59,556
2013-14	3.03	0.88	2.15	71.0	2,87,444
2014-15	3.06	0.74	2.32	75.8	3,83,797

स्रोत: महानिदेशालय आयकर (लॉजिस्टिक्स), अनुसंधान एवं सांख्यिकी विंग, नई दिल्ली

1.11.2 सीआईटी(ए) के पास लंबित अपील मामलों का निपटान वि.व. 2013-14 की तुलना में वि.व. 2014-15 में घटा है। जिसके परिणामस्वरूप लंबन में वृद्धि हुई। वि.व. 2014-15 में सीआईटी(अपील) के पास अपील मामलों में अवरोधित राशि भारत सरकार के संशोधित राजस्व घाटे के लगभग 1.1 गुना के बराबर है।

1.11.3 नीचे तालिका 1.14 31 मार्च 2015 को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणों (आईटीएटी)/उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में लंबित अपीलों/याचिकाओं और अन्य मामलों की स्थिति दर्शाती है।

तालिका 1.14: आईटीएटी/उच्च न्यायालयों/सर्वोच्च न्यायालय में लंबित अपील/याचिकाएँ और अन्य मामले		
प्राधिकरण जिसके पास लंबित है	लंबित मामले (संख्या में)	अवरोधित राशि (₹ करोड़ में)
आईटीएटी	37,506	1,45,534.70
उच्च न्यायालय	34,281	37,684.00
सर्वोच्च न्यायालय	5,661	4,654.50
कुल	77,448	1,87,873.20

स्रोत: महानिदेशालय आयकर (लॉजिस्टिक्स), अनुसंधान एवं सांख्यिकी विंग नई दिल्ली

1.11.4 उच्चतर स्तरों (आईटीएटी/उच्च न्यायालयों/सर्वोच्च न्यायालय) पर अपीलों में अवरुद्ध राशि 31 मार्च 2014 को (76,922 मामलों) में ₹ 1.8 लाख करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2015 को (77,448 मामलों) में ₹ 1.9 लाख करोड़ तक बढ़ गई।

1.12 अभियोजन की प्रास्थिति

1.12.1 निम्न तालिका 1.15, वि.व. 2010-11 से वि.व. 2014-15 तक शुरू किए गए अभियोजनों की प्रास्थिति, निर्णित मामलों अर्थात् अभिशंसित, संयोजित और विमुक्त को दर्शाती है।

तालिका 1.15: अभियोजन मामलों की प्रास्थिति					(संख्या)
वित्तीय वर्ष	शुरू किए गए अभियोजन	निर्णित मामलें	अभिशंसित	संयोजित	विमुक्त (प्रतिशत में)
2010-11	244	356	51	83	222 (62.4)
2011-12	209	593	14	397	182 (30.7)
2012-13	283	265	10	205	50 (18.9)
2013-14	641	664	41	561	62 (9.3)
2014-15	669	976	34	900	42 (4.3)

स्रोत: जाँच विंग, सीबीडीटी

1.12.2 उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि संयोजित मामलों की संख्या में वि.व. 2010-11 में 23.3 प्रतिशत से वि.व. 2014-15 में 92.2 प्रतिशत तक पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है और अभियोजन मामलों में विमुक्तियाँ वि.व. 2010-11 में 62.4 प्रतिशत से तीव्र गिरावट के साथ वि.व. 2014-15 में 4.3 प्रतिशत हो गई, इसके अलावा, 31 मार्च 2015 तक बकाया अभियोजन मामलों की कुल संख्या 4,156 थी।

1.13 परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज

‘करदाताओं के साथ सम्पर्क’ के उद्देश्यों के तहत वि.व. 2014-15 के लिए आईटीडी के परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज (आरएफडी) में इसके एक कार्य बिंदु के रूप में ‘विभाग की सभी इमारतों में नागरिकों के चार्टर का प्रदर्शन’ शामिल है। 2014 के लिए नागरिकों के चार्टर को संशोधित किया गया था और अप्रैल 2014 में अनुमोदित किया गया था। नागरिकों के चार्टर 2014 के पोस्टरों को पूरे देश के विभिन्न कार्यालयों की इमारतों में प्रदर्शन के लिए दिया गया था।

1.14 आयकर विभाग की आईटी पहलें

1.14.1 प्रभावी योजना सहित कर आधार को भी विस्तारित करने के प्रति कर-प्रशासन की दक्षता और प्रभावकारिता में सुधार और प्रबंधन को विश्वसनीय और समय पर जानकारी उपलब्ध कराने के मद्देनजर आयकर विभाग ने समय-समय पर कई आईसीटी एप्लीकेशन शुरू की। आईटीडी की पहल के प्रति एएसटी प्रणाली में संवीक्षा आदेशों की अपलोडिंग को वि.व. 2011-12 से अनिवार्य कर दिया गया था। आईटीडी ने कर्नाटक और गोवा की पेपर विवरणी और पूर्ण भारत की ई-फाइल की गई विवरणियों को संसाधित करने के लिये बेंगलुरु में केन्द्रीय संसाधन केन्द्र (सीपीसी) स्थापित किया।

1.14.2 आईटीडी ने आयकर कारोबार अनुप्रयोग (आईटीबीए) नाम वाली एक अलग परियोजना शुरू की है जिसके साथ इसने वर्तमान आईटीडी एप्लीकेशन को नई संरचना और रूपरेखा में पुनः तैयार करने की योजना बनाई। आईटीडी ने करदाता का प्रोफाइल तैयार करने के लिये डाटा माइनिंग सॉफ्टवेयर के रूप में एकीकृत करदाता डाटा प्रबंधन प्रणाली (आईटीडीएमएस) भी तैयार किया। यह उपभोक्ता को डेटा की उच्च मात्रा और अधिक लिंकेज के साथ करदाताओं का लगभग 360 डिग्री प्रोफाइल तैयार करने में सक्षम बनाता है। उन्नत संस्करण डाटा की अधिक मात्रा का प्रबंधन और बेहतर संपर्क बनाता है।

1.14.3 आईटीडी ने कर प्रशासन के सभी क्षेत्रों में सूचना के प्रभावी उपयोग और अनुपालन में सुधार हेतु नॉन इन्ट्रसिव इन्फोर्मेशन ड्राइवेन एप्रोच दृष्टिकोण को सुदृढ़ करने के लिए डॉटा वेयरहाउस और बिजनेस इन्टेलीजेंस (डी डब्ल्यू एण्ड बी आई) प्लेटफार्म पर 'प्रोजेक्ट इन्साइट' शुरू किया है। यह डाटा वेयरहाउस, डाटा माइनिंग, वेब माइनिंग, भविष्यवाणी माँडलिंग, डाटा आदान-प्रदान मास्टर डाटा प्रबंधन, केंद्रीकृत प्रसंस्करण, अनुपालन जोखिम प्रबंधन और मामला विश्लेषण क्षमताओं को एकीकृत करेगा।

1.15 आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता

1.15.1 आंतरिक लेखापरीक्षा विभागीय नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो यह आश्वासन प्रदान करता है कि अधिनियम के प्रावधानों के सही कार्यान्वयन द्वारा मांग/प्रतिदाय सही ढंग से संशोधित किए जा रहे हैं। आईटीडी ने 2007 के निर्देश सं. 3 के अनुसरण में आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए एक कार्य योजना बनाई और वि.व. 2014-15 में 1,66,229 मामलों की लेखापरीक्षा पूर्ण की।

1.15.2 तालिका 1.16 वि.व. 2010-11 से वि.व. 2014-15 तक प्रत्येक पांच वर्षों के लिए उठाई गई, निपटाई गई और लम्बित आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों का विवरण दर्शाती है:

तालिका 1.16: जोड़े गए, निपटान किए गए और लंबित लेखापरीक्षा निष्कर्षों का विवरण (₹ करोड़ में)						
वित्तीय वर्ष	वर्ष के दौरान जमा		वर्ष के दौरान निपटान किए गए		वर्ष के दौरान लम्बन	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2010-11	13,494	5,466.88	7,996	921.85	34,940	8,516.40
2011-12	13,771	1,879.85	14,148	1,118.49	34,563	9,277.80
2012-13	18,275	4,135.48	16,626	2,736.12	36,212	10,677.10
2013-14	14,423	8,950.66	26,322	8,610.12	24,313#	11,017.7#
2014-15	9,927	2,292.50	15,586	3,805.37	15,175	6,854.70

31 मार्च 2014 को समाप्त तिमाही हेतु तिमाही विवरण के प्रस्तुतीकरण के बाद, 31.3.2014 को बकाया लेखापरीक्षा आपत्तियों के आंकड़ों को सम्बन्धित सीजआईटी (लेखापरीक्षा) द्वारा ₹ 8,367.6 करोड़ की राशि वाले 20,834 के मामले से संशोधित किये गये थे।

स्रोत: निदेशालय आयकर (आयकर एवं लेखापरीक्षा), नई दिल्ली

1.15.3 वि.व. 2012-13 के बाद से आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों के लम्बन में कमी हुई है। वि.व. 2014-15 में एओ ने आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मुख्य निष्कर्ष²³ के ₹ 10,565.90 करोड़ के कर प्रभाव वाले 10,624 मामलों में से ₹ 3,767.5 करोड़ (35.6 प्रतिशत) के कर प्रभाव वाले 4,973 मामलों (46.8 प्रतिशत) में कार्रवाई की।

23 आय कर में ₹ दो लाख से अधिक और अन्य करों में ₹ 30,000 से अधिक की लेखापरीक्षा आपत्ति

अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, उत्पाद और प्रभाव

2.1 प्राप्तियों की लेखापरीक्षा हेतु सीएजी के प्राधिकार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 में प्रावधान है कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संसद द्वारा बनाये गये या निर्धारित किसी भी नियम के अंतर्गत संघ और राज्य और किसी भी अन्य प्राधिकरण या निकाय के लेखों से संबंधित शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करना होगा। संसद ने 1971 में नियंत्रक-महालेखापरीक्षा के कर्तव्य शक्तियां और सेवा की शर्तें अधिनियम (सीएजी के डीपीसी अधिनियम) पारित किया था। सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 16, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को भारत सरकार और प्रत्येक राज्य की सरकारों और विधानसभा वाले प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की सभी प्राप्तियों (राजस्व और पूंजी दोनों) की लेखापरीक्षा करने और स्वयं की संतुष्टि के लिए कि नियमों और क्रियाविधियों को राजस्व के निर्धारण, संग्रहण और उचित आबंटन पर प्रभावी नियन्त्रण रखने के लिए बनाया गया है और उनका विधिवत् पालन किया जा रहा है, का प्राधिकार प्रदान करती है। लेखा और लेखापरीक्षा नियमावली, 2007 में प्राप्ति लेखापरीक्षा हेतु सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है।

2.2 प्रणालियों और क्रियाविधियों की जांच और उनकी क्षमता

प्राप्तियों की लेखापरीक्षा में निम्नवत के बारे में मुख्यतः प्रणालियों एवं क्रियाविधियों और उनकी क्षमता की जांच को शामिल किया जाता है:

- क. संभावित कर निर्धारितियों की पहचान, कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के साथ-साथ कर अपवंचन का पता लगाना और रोकना;
- ख. शास्तियों के उदग्रहण और अभियोग चलाने सहित विवेकाधिकार शक्तियों का उपयुक्त रूप से प्रयोग करना;
- ग. विभागीय अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों पर सरकार के हितों को सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त कार्रवाई;
- घ. राजस्व प्रशासन को सुदृढ करने या सुधारने के लिए आरंभ किये गये कोई उपाय;
- ड. राशि जो बकाया में हो, बकाया के अभिलेखों का रख-रखाव और बकाया राशियों की वसूली हेतु की गई कार्रवाई;

च. समुचित सावधानी से दावों का अनुसरण करना और उपयुक्त औचित्य और उचित प्राधिकार के अलावा उन्हें न तो परित्यक्त किया गया है, और न ही कम किया गया है;

2.3 लेखापरीक्षा उत्पाद और प्रभाव

लेखापरीक्षा अधिदेश और लेखा और लेखापरीक्षा नियमावली, 2007 के नियम 205 में प्रावधान के अनुसरण में, हम संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत वार्षिक अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट और आवधिक निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार करते हैं। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पास लेखा और लेखापरीक्षा नियमावली, 2007 के नियम 205 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के स्वरूप, विषय-वस्तु और प्रस्तुतीकरण के समय के निर्धारण का प्राधिकार है।

2.4 लेखापरीक्षा का प्रभाव

2.4.1 हमने लेखापरीक्षा के प्रभाव का विश्लेषण किया जिसके परिणामस्वरूप हमारी सिफारिशों के आधार पर आयकर अधिनियम और नियमावली के अन्तर्गत संशोधन किये गये। 2014-15 के दौरान, हमने चार निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की अर्थात् (क) 2014 की रिपोर्ट संख्या 7 फर्मों का निर्धारण (ख) 2014 की रिपोर्ट सं. 20-मूल्यहास एवं परिशोधन की अनुमति (ग) 2014 की रिपोर्ट सं. 32-निर्धारण कार्यवाहियों में तीसरे पक्षकार (सनदी लेखाकार) रिपोर्टिंग का मूल्यांकन और (घ) 2015 की रिपोर्ट संख्या 5-फार्मास्यूटीकल सेक्टर में निर्धारितियों का निर्धारण निम्नलिखित पैराग्राफ लेखापरीक्षा का प्रभाव बताएँगे।

2.4.2 धारा 10(2ए) के तहत भागीदारों द्वारा दावा की गई अतिरिक्त छूट की जांच करते समय हमने फर्मों की 'कुल आय' की परिभाषा में अस्पष्टता बताई थी- जिसमें अधिनियम की धारा 10(2ए) के तहत अधिक छूट प्राप्त कर रहे भागीदार अपेक्षित थे। लेखापरीक्षा ने सिफारिश²⁴ की कि मंत्रालय धारा 10(2ए) में व्याख्या को विस्तृत कर सकता है ताकि उन मामलों में जहां कुल आय कटौती/छूट के कारण कम हुई है वहां भागीदारों के बीच/फर्म को कुल आय को विभाजित किए जाने का उचित अर्थ दिया जाये।

24 2014 की रिपोर्ट सं. 7- फर्मों के निर्धारण पर पीए

2.4.3 बाद में मंत्रालय ने दिनांक 31 मार्च 2014 को एक परिपत्र जारी किया जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि जैसा कि सन्दर्भ के आधार पर व्याख्या की गई है, अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (2ए) के लिए फर्म की 'कुल आय' में वह आय शामिल होती है जो कि अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत छूट या कटौती योग्य है। आगे फर्म की आय पर केवल फर्म के द्वारा ही कर लगाया जाता है और इसी प्रकार किसी भी परिस्थिति में भागीदारों द्वारा उस पर कर नहीं लगाया जाता है।

2.4.4 अधिनियम की धारा 32(1) के दूसरे परन्तुक में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रवाधान किया जाता है कि जहां निर्धारिती द्वारा प्राप्त की गई या प्रतिष्ठापित नए संयंत्र या मशीनरी के उपयोग की अवधि पिछले वर्ष में 180 दिनों से कम हो वहां अतिरिक्त मूल्यहास 50 प्रतिशत तक प्रतिबन्धित होगा।

2.4.5 हमने बताया²⁵ कि एओ प्राप्त किए गए नए संयंत्र और मशीनरी पर अतिरिक्त मूल्यहास अनुमत कर रहे हैं और 180 दिनों से कम के लिए वर्ष में उपयोग कर रहे हैं एवं आगामी वर्ष में शेष अतिरिक्त मूल्यहास अधिनियम में उल्लेखित नहीं किया गया था।

2.4.6 सरकार ने यह प्रावधान करते हुए 1 अप्रैल 2016 से प्रभावी धारा 32(1) में तीसरा परन्तुक शामिल किया है कि 180 दिनों से कम समय के लिए प्रयुक्त एवं प्राप्त की गई नई संयंत्र और मशीनरी पर अतिरिक्त मूल्यहास का शेष 50 प्रतिशत जिसे ऐसे संयंत्र या मशीनरी के प्राप्त करने और प्रतिष्ठापन के वर्ष में अनुमति नहीं है, को तुरंत ही उत्तरगामी पिछले वर्ष में अनुमति होगी।

2.4.7 हमने एक एकाधिकारवत् कम्पनी जिसका प्रबंधन निदेशक लेखापरीक्षक का भाई था के संबंध में एक लेखापरीक्षक द्वारा प्रपत्र 56एफ में प्रस्तुत रिपोर्ट के मामले को बताया²⁶। लेखापरीक्षा ने सनदी लेखाकार (सीए) जो किसी भी रिपोर्ट या प्रमाण पत्रों पर हस्ताक्षरित करने से निर्धारिती कम्पनी के निदेशक या निर्धारिती का रिश्तेदार है को रोकने की सिफारिश की।

25 2014 की रिपोर्ट सं. 20- मूल्यहास एवं परिशोधन की अनुमति पर पीए

26 2014 की प्रतिवेदन सं. 32- मूल्यांकन निर्धारण में तृतीय दल (सनदी लेखाकार) प्रमाणपत्र पर मूल्यवृद्धि पर पीए

2.4.8 एक लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने यह प्रावधान करते हुए अधिनियम की धारा 288 में संशोधन किया कि एक लेखापरीक्षक जो कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 की उप-धारा (3) के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र नहीं है, वह उस कम्पनी के संबंध में अधिनियम के किसी भी प्रावधानों के तहत कोई भी लेखापरीक्षा करने या कोई भी प्रतिवेदन/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पात्र नहीं होगा। समानरूप से, गैर-कम्पनी के संबंध में अधिनियम के किसी भी प्रावधानों के तहत कोई भी लेखापरीक्षा करने या कोई भी रिपोर्ट/प्रमाण-पत्र के लिए अपात्र कहा गया है।

2.4.9 अधिनियम की धारा 35(2एबी) के तहत, एक अनुमोदित आन्तरिक अनुसंधान एवं विकास सुविधा जिसके लिए विभिन्न प्रक्रियाएं अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित हैं ; में किए जा रहे वैज्ञानिक अनुसंधान पर किए गए व्यय (किसी भी भूमि या भवन की लागत के स्वरूप में किया गया व्यय नहीं) के लिए बायो-टेक्नोलॉजी का कारोबार या माल के विनिर्माण, (अधिनियम की अनुसूची XI में विनिर्दिष्ट मदों को छोड़कर) में लगी एक कम्पनी को 200 प्रतिशत की भारित कटौती अनुमत है।

2.4.10 इस भारित कटौती की निगरानी के संबंध में लेखापरीक्षा की सिफारिशों²⁷ पर विचार करते हुए, अधिनियम की धारा 35(2एबी) के प्रावधानों को 1 अप्रैल 2016 से संशोधित किया गया है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि उपरोक्त धारा के अन्तर्गत कटौती अनुमत होगी यदि कम्पनी ऐसे अनुसंधान और विकास सुविधा में सहयोग के लिए निर्धारित प्राधिकरण के साथ एक करार करती है और लेखाओं के रखरखाव और लेखापरीक्षा के संबंध में निर्धारित शर्तों को पूरा करती है और निर्धारित रिपोर्टें प्रस्तुत करती है। इसमें अधिनियम की धारा 35(2एए) और धारा 35(2एबी) में प्रधान मुख्य कमिश्नर या मुख्य कमिश्नर के संदर्भ को शामिल करने के लिए भी प्रस्तावित दिया गया है ताकि उसमें संदर्भित रिपोर्टें उपरोक्त धारा के अन्तर्गत भारित कटौती का दावा करते हुए कम्पनी के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले प्रधान मुख्य कमिश्नर या मुख्य कमिश्नर को भेजी जा सके।

27 2015 की प्रतिवेदन सं. 5-औशधीय क्षेत्र में निर्धारिती के निर्धारण पर पीए

2.5 त्रुटियों की घटना

2.5.1 आईटीडी ने वि.व. 2013-14 में 2,25,695 संवीक्षा निर्धारण²⁸ पूरे किये जिनमें से हमने नि.व. 2014-15 की लेखापरीक्षा योजना के दौरान जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा की गई थी उनमें से हमने 2,10,507 मामलों की जांच की। इसके अतिरिक्त हमने नि.व. 2014-15 के दौरान पिछले वित्तीय वर्षों में पूरे किए गए 48,637 मामलों की भी लेखापरीक्षा की। नि.व. 2013-14 में आईटीडी द्वारा पूरे किये गए निर्धारण से संबंधित लेखापरीक्षा में की गई जांच में 15,557 (7.4 प्रतिशत) निर्धारण मामलों में त्रुटियां थीं जो पिछले साल से (9.52 प्रतिशत) कम थीं। हमने 4,446 मामलों में गलतियाँ देखी जहाँ आईटीडी की आंतरिक लेखापरीक्षा पता लगाने में विफल हुई थीं।

2.5.2 निर्धारण में गलतियों के राज्य-वार उदाहरण परिशिष्ट-2.1 में दिये गए हैं। नीचे तालिका 2.1 शीर्ष आठ राज्यों के विवरण दर्शाती है जहाँ 10,000 से अधिक निर्धारण 2014-15 के दौरान लेखापरीक्षा में जांच किये गए थे।

तालिका 2.1: 10000 से अधिक निर्धारण वाले शीर्ष आठ राज्यों का विवरण (₹ करोड़ में)					
राज्य	2013-14 के दौरान पूरे किये गए निर्धारण	2014-15 के दौरान लेखापरीक्षा में जांच किए गए निर्धारण	के गलतियों वाले निर्धारण	लेखापरीक्षा आपतियों का राजस्व प्रभाव	गलतियों वाले निर्धारण की प्रतिशतता
आंध्र प्रदेश	15,660	13,600	1,133	2,688.63	8.33
दिल्ली	28,563	26,421	1,191	1,672.80	4.51
गुजरात	23,914	22,518	1,052	1,498.96	4.67
कर्नाटक	17,222	13,783	802	1,339.37	5.82
महाराष्ट्र	35,109	34,164	1,791	3,020.31	5.24
तमिलनाडु	17,296	16,324	1,684	1,606.93	10.32
उत्तर प्रदेश	20,879	18,093	1,101	821.93	6.09
पश्चिम बंगाल	14,552	14,155	2,541	3,464.38	17.95
कुल	173,195	1,59,058	11,295	16,113.31	

यह दर्शाता है कि दूसरे स्थान पर तमिलनाडु के साथ (10.32 प्रतिशत) पश्चिम बंगाल में गलतियों वाले निर्धारणों की प्रतिशतता उच्चतम (17.95 प्रतिशत) है। यह भी देखा गया कि पिछले पाँच वर्षों में इन दोनों राज्यों में गलतियों वाले निर्धारणों की उच्चतम प्रतिशतता थी।

2.5.3 नीचे दी गई तालिका 2.2 में वि.व. 2014-15 के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा में देखी गई निर्धारण में त्रुटियों का ब्यौरा दर्शाया गया है।

28 वि.व. 2013-14 के दौरान आईटीडी में पूरी की गई कुल संवीक्षा निर्धारण 2,84,750 थीं

तालिका 2.2: निर्धारणों में त्रुटियों का कर वार ब्यौरा		(₹ करोड़ में)	
श्रेणी	मामले	कर प्रभाव	
क. निगम कर और आय कर	16,631	19,632 ²⁹	
ख. धन कर	904	334	
ग. अन्य प्रत्यक्ष कर	99	3	
जोड़	17,634	19,969	

नोट: उपरोक्त निष्कर्ष तथा सभी अनुवर्ती निष्कर्ष विशेष रूप से चयनित निर्धारणों की लेखापरीक्षा पर अधारित है।

2.5.4 नीचे दी गई तालिका 2.3 निगम कर और आय कर से संबंधित कम निर्धारण के वर्ग वार ब्यौरें दर्शाती है। परिशिष्ट-2.2 उनके तहत उप-श्रेणियों के संबंध में ब्यौरें दर्शाता है।

तालिका 2.3: त्रुटियों का श्रेणी-वार ब्यौरा		(₹ करोड़ में)	
श्रेणी	मामले	कर प्रभाव	
क. निर्धारणों की गुणवत्ता	4,377	2,032	
ख. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रबंधन	6,778	11,201	
ग. चूकों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय	2,639	2,799	
घ. अन्य	2,442	2,750	
जोड़	16,236	18,782	

2.5.5 स्थानीय लेखापरीक्षा में पता लगाए गए त्रुटियों के उच्च मूल्य एवं महत्वपूर्ण मामले इस रिपोर्ट में शामिल किये गये हैं। वर्तमान लेखापरीक्षा रिपोर्ट मंत्रालय³⁰ को बताए गए 455 मामलों पर चर्चा करती है।

परिशिष्ट-2.3 ऐसे मामलों का विवरण देता है। तालिका 2.3 ऐसे मामलों का³¹ श्रेणी वार विवरण दर्शाती है।

तालिका 2.4: उच्च मूल्य मामलों की त्रुटियों का श्रेणीवार ब्यौरा		(₹ करोड़ में)					
श्रेणी	सीटी		श्रेणी		सीटी		
	सं.	टीई	सं.	टीई	सं.	टीई	
क. निर्धारणों की गुणवत्ता	93	426.84	54	165.18	147	592.02	
ख. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रबंधन	155	1,796.79	49	93.18	204	1,889.97	
ग. चूकों के कारण निर्धारण से बच गई आय	44	176.56	33*	17.11	77	193.67	
घ. कर ब्याज का अधिक प्रभार	20	58.84	07	11.00	27	69.84	
जोड़	312	2,459.03	143	286.47	455	2,745.50	

* ₹ 0.18 करोड़ के कर प्रभाव वाले धन के कम निर्धारण के 6 मामले शामिल हैं।

हमने अध्याय III एवं IV में कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की है।

29 ₹ 850 करोड़ के कर प्रभाव वाले अधिक निर्धारण के 395 मामले शामिल हैं।

30 वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

31 उप-श्रेणी वार विवरण परिशिष्ट-2.4 में हैं।

2.5.6 लेखापरीक्षा के बताने पर वसूली

आईटीडी ने निर्धारणों में गलतियों जो हमने दर्शायी थी को सुधारने के लिए उठाई गई माँगों से पिछले पाँच वर्षों में ₹ 5,908.43 करोड़ वसूल किये। इनमें वि.व. 2014-15 में वसूले गए ₹ 127.67 करोड़ शामिल हैं।



उपरोक्त चार्ट 2.1 वि.व. 2011-12 में वसूली में एक अचानक उछाल दर्शाता है (₹ 1,538 करोड़) जो 2012-13 में नीचे आया (₹ 270.40 करोड़) तथा पुनः अचानक वि.व. 2013-14 में ₹ 3,659.68 करोड़ पर पहुँच गया। जो पुनः वि.व. 2014-15 में ₹ 127.67 करोड़ पर पहुँच गया।

2.6 लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया

2.6.1 हमने लेखापरीक्षा के विभिन्न स्तरों पर लेखा-परीक्षित इकाइयों से प्रतिक्रियाएं प्राप्त की। स्थानीय लेखापरीक्षा के पूरा होने पर, हमने आईटीडी को टिप्पणियों हेतु स्थानीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एलएआर) जारी की। इसके अतिरिक्त, इनमें से महत्वपूर्ण और अधिक मूल्य वाले मामलों को हमने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने से पहले टिप्पणियों के लिए मंत्रालय को जारी किया।

2.6.2 नीचे दी गई तालिका 2.5 वि.व. 2010-11 से वि.व. 2014-15 के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा रिपोर्टों में जारी किये गये मामलों के संबंध में प्राप्त उत्तरों और स्वीकृत अभ्युक्तियों की स्थिति दर्शाती है।

तालिका :2.5 स्थानीय लेखापरीक्षा के प्रति प्रतिक्रिया						
वि.व.	की गई अभ्युक्तियाँ	प्राप्त किये गये उत्तर			स्वीकृत मामलों की प्रतिशतता	उत्तर प्राप्त न होने की प्रतिशतता
		स्वीकृत मामले	अस्वीकृत मामले	उत्तर प्राप्त नहीं हुए		
2010-11	20,130	4,354	3,568	12,208	21.6	60.7
2011-12	19,624	3,945	2,971	12,708	20.1	64.8
2012-13	18,548	3,343	4,124	11,081	18.0	59.7
2013-14	19,312	3,642	3,131	12,534	18.9	64.9
2014-15	17,626	3,631 ³²	3,535	10,450	20.6	59.3

32 1,574 स्वीकृत मामले तथा की गई सुधारात्मक कार्यवाही; 2,057 स्वीकृत किये गये मामले परन्तु सुधारात्मक कार्यवाही नहीं किये।

2.6.3 हमने उच्च मूल्य वाले मामलों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उनके समावेश से पूर्व मंत्रालय को उन पर टिप्पणियां देने के लिए छः सप्ताह दिये। वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किए गए 455 उच्च मूल्य वाले मामलों में से, मंत्रालय/आईटीडी ने 15 दिसम्बर 2015 तक 159 मामले³³ (34.9 प्रतिशत) स्वीकार किये जबकि 16 मामले स्वीकार नहीं किये। तालिका 2.6 आईटीडी द्वारा की गई उपचारात्मक कार्रवाई के विवरण दर्शाती हैं।

तालिका 2.6: की गई कार्रवाई का ब्यौरा (₹ करोड़ में)						
श्रेणी	कार्रवाई पूरी की गई कार्रवाई पूरी की गई परंतु केवल कार्रवाई और वसूली गई राशि		की गई वसूली अभी बाकी है		प्रारंभ की गई	
	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव
क. निगम कर	0	0.00	239	1,317.17	23	127.22
ख. आयकर	0	0.00	111	251.68	17	24.67
ग. धनकर	2	0.07	04	0.11	0	0.00
जोड़	2	0.07	354	1,568.96	40	151.89

आईटीडी ने 455 मामलों में से 396 मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई की/प्रारंभ की है। शेष मामलों में की गई सुधारात्मक कार्रवाई के ब्यौरे 15 दिसम्बर 2015 तक उपलब्ध नहीं थे।

2.6.4 अध्याय III और IV में क्रमशः निगमकर, आयकर और धनकर के संबंध में निर्धारणों में त्रुटियों का ब्यौरा दर्शाया गया है।

2.7 लेखापरीक्षा आपत्तियों का लंबन

2.7.1 सीबीडीटी ने निर्देश (2006) जारी किये हैं कि एलएआरज के उत्तर छह सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। निर्धारण अधिकारियों (एओज) को गलतियों को सुधारने के लिए दो माह के भीतर सुधारात्मक कार्यवाई प्रारंभ करनी आवश्यक है नहीं तो उनके काल बाधित होने के कारण राजस्व की हानि होगी।

33 मंत्रालय-79 मामले; आईटीडी-80 मामले।

2.7.2 नीचे दी गई तालिका 2.7 अभ्युक्तियों के लंबन को दर्शाती है।

तालिका 2.7: बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के ब्यौरे							(₹ करोड़ में)	
अवधि	नि. कर		आ. कर		अ. प्र. कर		जोड़	
	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव
मार्च 2011 तक	6,648	12,643.52	7,726	2,215.50	1,948	84.64	16,322	14,943.66
2011-12	2,497	8,839.55	2,772	1,059.36	612	26.03	5,881	9,924.94
2012-13	3,409	5,946.07	3,318	2,733.89	1,159	95.20	7,886	8,775.16
2013-14	4,618	9,370.11	6,150	2,484.13	1,295	6.98	12,063	11,861.22
2014-15	3,378	14,073.72	3,813	2,765.98	662	70.49	7,853	16,910.19
जोड़	20,550	50,872.97	23,779	11,258.86	5,676	283.34	50,005	62,415.17

प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा निष्कर्षों के उत्तरों के लंबन में अभिवृद्धि के परिणामस्वरूप 31 मार्च 2015 तक ₹ 62,415.17 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाले 50,005 मामले जमा हो गए थे।

2.7.3 नीचे दी गई तालिका 2.8 वि.व. 2010-11 से 2014-15 के दौरान काल बाधित मामलों का ब्यौरा दर्शाती है।

तालिका 2.8: कालबाधित मामलों का ब्यौरा		(₹ करोड़ में)
प्रतिवेदन का वर्ष	मामले	कर प्रभाव
2010-11	7,942	5,335.0
2011-12	3,907	1,083.0
2012-13	2,207	899.9
2013-14	2,427	1,121.2
2014-15	3,881	2,490.8

2.7.4 वि.व. 2014-15 के दौरान, ₹ 2,490.8 करोड़ के कर प्रभाव वाले उपचारात्मक 3,881 मामलों कालबाधित हो गए थे, जिनमें अकेले तमिनलनाडु से 86 प्रतिशत कर प्रभाव आया। परिशिष्ट-2.5 ऐसे मामलों का वि.व. 2014-15 के लिए राज्यवार ब्यौरा दर्शाता है।

2.8 अभिलेखों को उपलब्ध न कराना

2.8.1 हमने करों के निर्धारण, संग्रहण और उचित आबंटन पर प्रभावी जाँच सुनिश्चित करने के मद्देनजर और यह जांचने के लिए कि नियमावतियों और क्रियाविधियों का अनुपालन किया जा रहा है, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्यों, शक्तियों और सेवा की शर्तों) अधिनियम 1971 की धारा 16 के अंतर्गत निर्धारण अभिलेखों की संवीक्षा की। आईटीडी के लिए यह आवश्यक है कि वह लेखापरीक्षा को अविलंब अभिलेख उपलब्ध कराये और सुसंगत सूचना प्रस्तुत करें।

2.8.2 परिशिष्ट-2.6 वि.व. 2012-13 से वि.व. 2014-15 के दौरान अभिलेखों को उपलब्ध ना कराने के विवरण दर्शाता है। छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, यूटी चंडीगढ़ तथा दिल्ली में अभिलेख उपलब्ध ना कराना वि.व. 2014-15 के दौरान पिछले वर्षों से उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया है। आईटीडी ने नि.व. 2014-15 (12.02 प्रतिशत) के दौरान माँगे गए 2,78,957 अभिलेखों में से 33,536 (13.4 प्रतिशत) अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए जो वि.व. 2013-14 (13.44 प्रतिशत) से कम है। नीचे तालिका 2.9 तीन अथवा अधिक लेखापरीक्षा चक्रों में समान निर्धारितियों से संबंधित लेखापरीक्षा को उपलब्ध ना कराए गए अभिलेखों के विवरण दर्शाती है।

तालिका 2.9: तीन या अधिक लेखापरीक्षा चक्रों में लेखापरीक्षा को उपलब्ध न कराये गये अभिलेख	
राज्य	उपलब्ध न कराये गये अभिलेख
क. आंध्र प्रदेश	44
ख. गुजरात	59
ग. कर्नाटक	58
घ. मध्य प्रदेश	89
ङ. ओडिशा	8
च. तमिलनाडु	7
जोड़	265

वि.व. 2014-15 में, छह राज्यों में समान निर्धारितियों से संबंधित 265 अभिलेख पिछले तीन अथवा अधिक लेखापरीक्षा चक्रों में लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

अध्याय III: निगम कर

3.1 प्रस्तावना

3.1.1 हमने निगम कर से संबंधित 312 उच्च मूल्य के मामले, जिनमें ₹ 2,459.03 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है वित्त मंत्रालय को मई 2015 से सितम्बर 2015 के दौरान उनकी टिप्पणी हेतु भेजे हैं।

3.1.2 मंत्रालय ने ₹ 119.01 करोड़ (नवम्बर 2015) के कर प्रभाव सम्मिलित हैं के 46 मामलों को इसकी स्वीकृति प्रदान की है। जिनमें शेष 266 मामलों में, विभाग (आईटीडी) ने 15 मामलों को स्वीकृत न करते समय 58 मामले स्वीकृत किए (पैरा 2.6.3 में संदर्भित)। आईटीडी ने शेष 193 मामलों के संबंध में उत्तर प्रस्तुत नहीं किए थे। आईटीडी ने 312 मामले में से 239 मामलों में, ₹ 1,317.17 करोड़ के कर प्रभाव समाविष्ट, उपचारात्मक कार्रवाई पूर्ण की है तथा 23 मामलों में, ₹ 127.22 करोड़ के कर प्रभाव समाविष्ट उपचारात्मक कार्रवाई प्रारंभ की (दिसम्बर 2015 तक)।

3.1.3 यह अध्याय 312 निगम कर मामलों पर चर्चा करता है, जिनमें से 292 मामलों में ₹ 2,400.19 करोड़ का कम प्रभार तथा 20 मामलों में ₹ 58.84 करोड़ का अधिक प्रभार³⁴ शामिल है। गलत निर्धारण के ये मामले आयकर विभाग द्वारा की गई निर्धारण प्रक्रिया पर आन्तरिक नियंत्रणों में कमजोरियों की ओर संकेत करते हैं।

3.1.4 गलतियों की श्रेणियों को व्यापक रूप से निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है:

- i. निर्धारणों की गुणवत्ता
- ii. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन
- iii. चूकों के कारण निर्धारणों से छूटने वाली आय
- iv. अन्य-कर/ब्याज इत्यादि का अधिक प्रभार

तालिका 2.4 (पैरा 2.5.5) गलतियों की व्यापक श्रेणियों तथा उनके कर प्रभाव के विवरण दर्शाती है।

34 अधिक प्रभार सही आँकड़ों को अपनाने में गलतियों, आय की गणना में अंकगणितीय गलतियों, कर/ब्याज की दरों का गलत अनुप्रयोग इत्यादि के कारण है।

3.1.5 इस अध्याय के अनुवर्ती खण्डों में, प्रत्येक श्रेणी का पहला पैराग्राफ निर्धारण अधिकारी (एओ) द्वारा की गई गलतियों के प्रकार को दर्शाता है। चार व्यापक श्रेणियों को आगे समान प्रवृत्ति की गलतियों को दर्शाने के उद्देश्य से उप-श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक उप-श्रेणी अधिनियम के प्रावधानों को दर्शाती एक प्रस्तावना के साथ प्रारंभ होती है तथा उसके बाद उदाहरणों में महत्वपूर्ण मामलों को दर्शाया गया है।

3.2 निर्धारणों की गुणवत्ता

3.2.1 निर्धारण अधिकारियों ने अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद निर्धारणों में त्रुटियाँ की। गलत निर्धारणों के इन मामलों से आयकर विभाग में आन्तरिक नियंत्रणों में कमियों का पता चलता है जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। तालिका 3.1 उन त्रुटियों की उप-श्रेणी दर्शाती है (संदर्भ परिशिष्ट 2.3) जिनसे निर्धारणों की गुणवत्ता प्रभावित हुई।

तालिका 3.1: निर्धारण में त्रुटियों का विवरण				(₹ करोड़ में)
उप श्रेणी	मामले	कर प्रभाव	राज्य	
क. आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ	43	164.63	बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल	
ख. ब्याज के उद्ग्रहण में गलतियाँ	22	150.10	दिल्ली, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल	
ग. अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदायों पर ब्याज	11	39.80	दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल	
घ. कर और अधिभार लगाने में गलत दर का प्रयोग	13	33.80	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश	
ङ. अपीलीय आदेश का पालन करते समय निर्धारणों में गलतियाँ	4	38.51	कर्नाटक तथा पश्चिम बंगाल	
जोड़	93	426.84		

3.2.2 आय और कर की संगणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ

हम ऐसे पाँच निदर्शी मामले नीचे दे रहे हैं:

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 143(3) निर्धारण अधिकारियों द्वारा आय का सही तरीके से मूल्यांकन और निर्धारण करने का प्रावधान करती है। विभिन्न प्रकार के दावों और लेखाओं, रिकार्डों और विवरणों के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों की संवीक्षा निर्धारणों में विस्तृत रूप से जाँच की जानी अपेक्षित है। सीबीडीटी ने भी इस संबंध में समय समय पर अनुदेश जारी किए हैं।

3.2.2.1 मध्य प्रदेश, सीआईटी-II। जबलपुर प्रभार में एओ ने निर्धारण वर्ष (नि.व.) 2011-12 के लिए जनवरी 2014 में ₹ 193.54 करोड़ की हानि निर्धारित करते हुए **मध्य प्रदेश पावर जेनेरेशन कम्पनी लिमिटेड** की निर्धारण संवीक्षा पूर्ण की। कर योग्य आय की संगणना करते समय 29 सितम्बर 2011 को निर्धारिती द्वारा फाइल किए गए विवरण द्वारा ₹ 331.34 करोड़ की सही हानि राशि की बजाय शुरुआती आंकड़ा ₹ 197.37 करोड़ की हानि के रूप में गलती से अपनाया गया। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 40.19 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 133.97 करोड़ तक हानि का कम निर्धारण हुआ। *आईटीडी ने धारा 154³⁵ के अन्तर्गत गलती का सुधार किया (दिसम्बर 2014)।*

3.2.2.2 महाराष्ट्र, सीआईटी-VIII मुम्बई प्रभार में नि.व. 2008-09 के लिए ₹ 2301.62 करोड़ के अग्रानीत हानि के सामंजन को अनुमत करने के बाद ₹ 212.58 करोड़ की आय निर्धारित करते हुए दिसम्बर 2011 में **रिलायन्स कम्यूनिकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड** की निर्धारण समीक्षा पूर्ण की। बाद में निर्धारण को फरवरी 2013 में धारा 250³⁶ के अन्तर्गत ₹ 52.75 करोड़ की हानि को निश्चित करते हुए संशोधित की (अगस्त 2012)। संशोधित निर्धारण आदेश में करयोग्य आय की संगणना करते समय, एओ ने ₹ 2,514.19 करोड़ की बजाए निवल आय के ₹ 212.58 करोड़ के लिए, जैसा सीआईटी(अपील) (अगस्त 2012) द्वारा स्वीकृत किया गया था, ₹ 265.33 करोड़ की राहत कर ₹ 2,301.62 करोड़ के पहले सामंजन अग्रानीत हानि पर पहुँचा। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 17.93 करोड़ का संभावित कर शामिल करते हुए लाभ से

35 एओ द्वारा पारित किसी आदेश में रिकार्ड से स्पष्ट त्रुटियों को अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत संशोधित किया जा सकता है।

36 आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 250 अपीलों में अनुसरण किए जाने वाली विधि को दर्शाती है। सीआईटी(अपील) अपील करने वाले तथा निर्धारण अधिकारी, जिसके विरुद्ध अपील पेश की गई है, की सुनवाई पर आधारित अपील का निर्णय करेगा। अपील के निपटान पर, कमिश्नर(अपील) उसके द्वारा पारित आदेश को निर्धारिती तथा चीफ कमिश्नर या कमिश्नर को सुनाएगा।

₹ 52.75 करोड़ की हानि का अधिक अग्रानीत हुआ। आईटीडी ने धारा 154 के अन्तर्गत गलती का सुधार किया (मार्च 2015)।

3.2.2.3 महाराष्ट्र, सीआईटी-XI मुम्बई प्रभार में दिसम्बर 2007 में नि.व. 2005-06 के लिए एसकेओएल ब्रूरीज प्रभार लिमिटेड की ₹ 38.43 करोड़ की आय पर समान राशि के अनावशेषित मूल्यहास के समंजन के समक्ष निर्धारण संवीक्षा के बाद में ₹ 92.66 करोड़ की हानि पर जुलाई 2012 में धारा 250 के अन्तर्गत निर्धारण संशोधित किया गया। जुलाई 2012 में संशोधित निर्धारण आदेश में आय की गणना करते समय ₹ 38.43 करोड़ कर के बजाए शून्य आय दिसम्बर 2007 में संवीक्षा निर्धारण के अन्तर्गत अपनाया था। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 38.43 करोड़ की हानि के अधिक निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 14.06 करोड़ का संभावित कर प्रभाव सम्मिलित है। आईटीडी के उत्तर की प्रतीक्षा है (नवम्बर 2015)।

3.2.2.4 दिल्ली, सीआईटी-VII प्रभार में पाईनवुड इन्फोर्मेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड की नि.व. 2011-12 के लिए ₹ 4.04 करोड़ की आय निर्धारित करते हुए निर्धारण संवीक्षा पूर्ण की। कर योग्य आय की संगणना करते समय, एओ ने गलती से इसे ₹ 23.68 करोड़ की सही राशि की बजाय ₹ 4.04 करोड़ पर संगणना करते हुए कुल योग ₹ 23.57 करोड़ में योग करने के बाद ₹ 11.07 लाख की प्रतिफल आय पर पहुंचा। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 19.64 करोड़ की आय के कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 8.87 करोड़ का कर प्रभाव समाविष्ट है। आईटीडी ने धारा 154 के अन्तर्गत गलती में सुधार किया (सितम्बर 2014)।

3.2.2.5 महाराष्ट्र, सीआईटी-XIV मुम्बई प्रभार में मई 2014 में नि.व. 2011-12 के लिए एओ ने म्यूजिक ब्रोडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड के कुल ₹ 19.25 करोड़ की अस्वीकृति तथा ₹ 2.39 करोड़ के अवमूल्यन को स्वीकृत करने के बाद समान्य प्रावधनों के अन्तर्गत ₹ 5.47 करोड़ की आय पर निर्धारण संवीक्षा पूर्ण की। वर्तमान वर्ष की आय के प्रति ₹ 11.39 करोड़ के अग्रानीत हानियों के सामंजन का दावा करने के बाद निर्धारिती ने आय का शून्य विवरण फाइल किया। करयोग्य आय की संगणना करते हुए एओ ने गलती से अग्रानीत हानि के सामंजन की स्वीकृति से पहले ₹ 11.39 करोड़ की कारोबार आय को कारोबार हानि के रूप में अपनाया। गलती के परिणामस्वरूप आय के ₹ 22.78 करोड़ तक का कम निर्धारण हुआ। जिसमें ₹ 7.57 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित उसी परिमाण तक का हानि का अधिक अग्रानीत शामिल था। आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार किया (जुलाई 2015)।

3.2.3 ब्याज के उदग्रहण में त्रुटियां

हम तीन निदर्शी मामले नीचे दे रहे हैं:

अधिनियम में सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दरों पर निर्धारितियों की ओर से की गई विभिन्न चूकों के लिए ब्याज लगाने का प्रावधान है।

3.2.3.1 महाराष्ट्र, सीआईटी-8 मुम्बई प्रभार में, एओ ने नि.व. 2008-09 के लिए अक्टूबर 2012 में ₹ 724.61 करोड़ की आय पर **वोडाफोन इंडिया लिमिटेड** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। कर मांग की संगणना करते समय एओ ने एक *प्रतिशत* प्रति महीने निर्धारित दर की बजाय धारा 234बी के अन्तर्गत 0.5 *प्रतिशत* की गलत दर पर ₹ 56.72 करोड़ का ब्याज उदग्रहण किया। गलती के परिणामस्वरूप धारा 234बी के अन्तर्गत ₹ 56.72 करोड़ के ब्याज की कम उगाही हुई। *आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (फरवरी 2015) तथा मार्च 2014 में धारा 143(3)³⁷ के साथ पठित धारा 147³⁸ के अन्तर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की।*

3.2.3.2 दिल्ली, डीआईटी-1 प्रभार में, एओ ने नि.व. 2007-08 तथा 2008-09 के लिए अक्टूबर 2012 में संवीक्षा के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 800 करोड़ तथा ₹ 1,850 करोड़ की आयों पर **एमओएल कार्पोरेशन, सीएससी सर्विसेज ऑफ नेवादा इंक** का निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने 31 अक्टूबर 2007 तक फाइल करने की नियम तिथि के प्रति नि.व. 2007-08 के लिए 21 दिसम्बर 2010 पर आयकर विवरण फाइल किया जबकि नि.व. 2008-09 के लिए विवरण 30 सितम्बर 2008 की नियत तिथि के प्रति 29 मई 2009 को फाइल किया। हालांकि विवरण देरी से फाइल किए गए, एओ ने अधिनियम की धारा 234ए के अन्तर्गत विवरण फाइल करने में देरी के लिए ब्याज उदग्रहण नहीं किया था। चूक के कारण धारा 234ए के अन्तर्गत ₹ 29.87 करोड़ के ब्याज का उदग्रहण नहीं हुआ। *आईटीडी ने धारा 154 के अन्तर्गत गलती का सुधार किया (मार्च 2014)।*

37 धारा 143(3) एक एओ द्वारा पूर्ण संवीक्षा निर्धारण को दर्शाता है।

38 धारा 147 के प्रावधान एओ को एक निर्धारण को पुनः खोलने, यदि उसके पास 'विश्वास के कारण' है कि आय निर्धारण से बच गई है, की शक्ति देते हैं।

3.2.3.3 महाराष्ट्र, सीआईटी-4 मुम्बई प्रभार में, एओ ने नि.व. 2010-11 के लिए मार्च 2014 में संवीक्षा के बाद क्रमशः सितम्बर 2010 तथा अक्टूबर 2010 में प्रदत्त ₹ 10 करोड़ के अग्रिम कर, ₹ 35 करोड़ तथा ₹ 25.01 करोड़ के स्व निर्धारण कर को व्यवस्थित करने के बाद, ₹ 324.23 करोड़ की आय तथा ₹ 110.21 करोड़ का आयकर निर्धारित करते हुए **रीड एंड टेलर (इंडिया) लिमिटेड** के लिए निर्धारण पूरा किया। कर मांग की संगणना करते समय एओ ने धारा 234बी के अन्तर्गत ₹ 27.28 करोड़ की ब्याज की सही राशि के स्थान पर ₹ 6.25 करोड़ का ब्याज उदग्रहण किया। गलती के कारण धारा 234बी के अन्तर्गत ₹ 21.03 करोड़ के ब्याज का कम उदग्रहण हुआ। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (नवम्बर 2015) तथा जनवरी 2015 में धारा 154 के अन्तर्गत गलती का सुधार किया।*

3.2.4 अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदायों पर ब्याज

हम ऐसे दो निदर्शी मामले नीचे दर्शाए हैं:

धारा 143(3) के अनुसार एओ को प्रावधानों के अनुसार जोड़ने तथा कटौती की अनुमत करने के पश्चात कुल आय का सही निर्धारण करना है तथा सही राशि देय/प्रतिदाय योग्य जैसा मामला हो का भी निर्धारण करना है।

3.2.4.1 तमिलनाडु, सीआईटी-3 चेन्नई में, एओ ने **टीवीएस मोटर कम्पनी लिमिटेड** नि.व. 2006-07 के लिए दिसम्बर 2008 में संवीक्षा के बाद ₹ 153.77 करोड़ की आय जिसे बाद में सीआईटी (अपील) के आदेश को प्रभाव देने के लिए जुलाई 2011 में ₹ 110.14 करोड़ में संगणित कर दिया गया, निर्धारण पूरा किया। मामले का बाद में दिसम्बर 2011 तथा मार्च 2014 में पुनर्निर्धारण किया गया तथा आय क्रमशः ₹ 112.03 करोड़ तथा ₹ 146.93 करोड़ पर निर्धारित की गई। एओ ने दिसम्बर 2011 में पूर्ण पुनर्निर्धारण में ₹ 20.32 करोड़ के प्रतिदाय का निर्धारण किया जो नि.व. 2008-09 (मार्च 2012) की मांग के समायोजित किया। आगे, मार्च 2014 में पूर्ण पुनर्निर्धारण में ₹ 5.7 करोड़ का एक प्रतिदाय निश्चित किया जो ₹ 20.32 करोड़ के पहले प्रतिदाय को ध्यान में रखे बिना नि.व. 2008-09 की बकाया राशि की मांग के प्रति सामायोजित किया। गलती के कारण ₹ 14.62 करोड़ के अधिक प्रतिदाय का निर्धारण हुआ। *आईटीडी ने धारा*

254³⁹ के साथ पठित धारा 143(3) के अन्तर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की (फरवरी 2015)।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, यदि निर्धारिती द्वारा किसी नि.व. के लिए प्रदत्त कर की राशि उस राशि से अधिक हो जो उस वर्ष के लिए अधिनियम के अन्तर्गत उचित रीति से प्रभार्य है, वह अधिक राशि के प्रतिदाय का हकदार है। धारा 244ए(1) प्रतिदाय पर ब्याज का प्रावधान करता है यदि नियमित निर्धारण या संक्षिप्त रूप में निश्चित प्रतिदाय राशि कर के 10 प्रतिशत से कम न हो।

3.2.4.2 महाराष्ट्र, सीआईटी-2 मुम्बई प्रभार में, एओ ने नि.व. 1996-97 के लिए मार्च 1997 में टाटा सन्स लिमिटेड की संवीक्षा निर्धारण पूरी की जो बाद में मार्च 2012 में आईटीडी के आदेश को प्रभाव देने के लिए संशोधित की गई थी। कर प्रतिदाय की संगणना करते समय, निर्धारिती को धारा 244ए के अन्तर्गत ₹ 16.12 करोड़ के ब्याज की सही राशि की बजाय ₹ 25.58 करोड़ का ब्याज मंजूर किया था। गलती के कारण धारा 244ए के अन्तर्गत ₹ 9.46 करोड़ के ब्याज के अधिक भुगतान हुआ। *आईटीडी ने धार 154 के अन्तर्गत गलती को स्वीकार किया तथा सुधार किया (अगस्त 2013)।*

3.2.5 कर एवं अधिभार की गलत दरों को लागू करना

हम ऐसे दो निदर्शी मामले दर्शाए हैं:

धारा 143(3) एओ को आय का सही तरीके से पता लगाने और निर्धारण करने का प्रावधान करता है। निर्धारणों की संवीक्षा में विवरण के साथ संलग्न लेखे, रिकार्डों तथा सभी दस्तावेजों के साथ विभिन्न प्रकार के दावों की विस्तृत जांच करना अपेक्षित है। सीबीटीडी ने भी इस संबंध में समय समय पर निर्देश जारी किए हैं।

3.2.5.1 आंध्र प्रदेश, सीआईटी-11 विशाखापट्टनम प्रभार में, एओ ने नि.व. 2008-09 के लिए दिसम्बर 2010 में ₹ 3,664.20 करोड़ की आय पर **राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड** की संवीक्षा निर्धारण पूर्ण किया जो बाद में सीआईटी (अपील) के मार्च 2012 में आदेश को प्रभाव देने के लिए ₹ 3,597.28 करोड़ तक संशोधित किया गया। कर मांग की संगणना करते समय, एओ ने एक प्रतिशत की लागू दरों पर माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा उपकर लागू नहीं किया। गलती के कारण ₹ 11.87 करोड़ के शिक्षा कर के न लगाने में परिणत हुआ। *आईटीडी ने गलती को स्वीकार किया तथा धारा 154 के अन्तर्गत सुधार किया (अप्रैल 2015)।*

39 अपीलीय न्यायालय धारा 254(1) के अन्तर्गत एक सुने जाने का अवसर दोनों पार्टियों को प्रदान करने के बाद अपीलीय न्यायालयों के आदेशों को पारित कर सकता है।

3.2.5.2 उत्तर प्रदेश, सीआईटी (केन्द्रीय) कानपुर प्रभार में, एओ ने नि.व. 2010-11 के लिए मार्च 2013 में के.एम.शुगर मिल्स लिमिटेड की संवीक्षा निर्धारण पूर्ण किया जो बाद में धारा 154 के अन्तर्गत नवम्बर 2013 में ₹ 204.17 करोड़ की आय पर संशोधित हुआ था। कर मांग की गणना करते समय एओ ने घरेलू कम्पनियों पर लागू 10 प्रतिशत की सही दर की बजाय 7.5 प्रतिशत पर अधिभार लागू किया था। गलती के कारण ₹ 7.9 करोड़ के अधिभार का कम उदग्रहण हुआ। *आईटीडी ने मई 2015 में धारा 143(3) के साथ पठित धारा 154 के अन्तर्गत गलती को सुधार किया।*

3.2.6 अपीलीय आदेशों का पालन करते समय निर्धारण में त्रुटियां

हम ऐसे दो निदर्शी मामले दर्शाए हैं:

धारा 254 के अन्तर्गत एक व्यथित निर्धारिती एओ के आदेश के विरुद्ध सीआईटी (अपील) के लिए अपील कर सकता है, जो अपीलीय आदेश में दिए गए निर्देशों का अनुपालन करेगा। इसके अतिरिक्त, तथ्य और विधि के प्रश्न पर भी आईटीएटी को अपील की अनुमति दी जाती है। एक अपीलीय आदेश के कार्यान्वयन में किसी भी गलती के परिणामस्वरूप आय का कम निर्धारण/अधिक निर्धारण हो सकता है।

3.2.6.1 कर्नाटक, सीआईटी मंगलौर प्रभार में, एओ ने दिसम्बर 2013 में आईटीएटी बेंगलूर के आदेश (जून 2013) को प्रभाव देते समय, नि.व. 2006-07 के लिए सिंडीकेट बैंक के मामले में, मार्च 2011 में जारी ₹ 31.46 करोड़ के प्रतिदाय पर विचार नहीं किया था। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 31.46 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ। *आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार किया (मार्च 2015) तथा फरवरी 2015 में धारा 154 के अन्तर्गत गलती सुधार किया।*

3.2.6.2 पश्चिम बंगाल, सीआईटी 3 कोलकाता प्रभार में, धारा 143(3) (सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 70.09 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2011 में पूरे किये गये संवीक्षा निर्धारण के अंतर्गत किया गया वास्तविक निर्धारण) के साथ पठित धारा 251 के अंतर्गत नि. व. 2009-10 हेतु मई 2013 में एसपीएमएल इंफ्रा लिमिटेड के निर्धारण में संशोधन करते समय एओ ने सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 8.20 करोड़ की आय निर्धारित की और विशिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत कर निर्धारण किये बिना उन पर कर उदग्रहण किया। चूंकि, विशेष प्रावधानों के अंतर्गत कर सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत कर से अधिक था, एओ को विशिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत कर उदग्रहण करना चाहिए था। इस चूक के कारण ₹ 4.74 करोड़ कर का कम उदग्रहण हुआ। *जुलाई 2014 में आईटीडी ने धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि में सुधार किया।*

3.3 कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन

3.3.1 अधिनियम अध्याय-VI के अंतर्गत और इसके प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत व्यय की विशेष श्रेणियों के लिए कुल आय की संगणना में निर्धारिती को रियायतों/छूटों/कटौतियों की अनुमति प्राप्त होती है। हमने देखा कि निर्धारण अधिकारियों ने लाभार्थियों को कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के लाभ अनियमित रूप से प्रदान किये जिसके लिए वे योग्य नहीं थे। ये अनियमितताएं आईटीडी की ओर से कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रबंधन में कमियों को दर्शाता है जिन्हें दूर करने की आवश्यकता तालिका 3.2 उप-श्रेणियों को दर्शाती है जिनसे कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन प्रभावित हुआ है।

तालिका 3.2: कर रियायतों/छूटों/कटौतियों प्रशासन के अंतर्गत त्रुटियों वाली उप श्रेणियां			(₹ करोड़ में)
उप श्रेणियां	संख्या	कर प्रभाव	राज्य
क. मूल्यहास/कारोबार हानियों/पूंजी हानियों की अनुमत अनियमितताएं	77	1,359.20	आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल
ख. अनियमित छूटों/कटौतियों/रिबेट/राहत/मैट क्रेडिट	22	137.95	संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल
ग. कारोबार व्यय की गलत अनुमति	56	299.64	आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिसा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल
कुल	155	1,796.79	

3.3.2 मूल्यहास और समंजन की अनुमति और कारोबार/पूंजीगत हानियों के अग्रणीत में अनियमितताएं

हमने नीचे ऐसे कुछ छः निदर्शी मामले दर्शाए हैं:-

धारा 143(3) प्रावधान करता है कि एओ को आय को सही रूप से निश्चित और निर्धारण करना है। विवरण के साथ संलग्न खातों, अभिलेखों और दस्तावेजों के साथ संवीक्षा निर्धारणों में विभिन्न प्रकार के दावों की जांच करने की आवश्यकता है। सीवीडीटी ने इस संबंध में समय-समय पर निर्देश भी जारी किये हैं।

3.3.2.1 महाराष्ट्र, सीआईटी-। मुम्बई प्रभार में, एओ ने नि.व. 2008-09 के संबंध में ₹ 321.15 करोड़ की अग्रणीत हानि का समंजन करने के बाद अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 314.97 करोड़ की आय का निर्धारण करते हुए दिसम्बर 2011 में नि.व. 2009-10 हेतु

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। ₹ 131.13 करोड़ की आय पर नवम्बर 2010 में पूरे किये गये नि.व. 2008-09 के संवीक्षा निर्धारण के अनुसार, नि.व. 2009-10 में समंजन के लिए कोई हानि उपलब्ध नहीं थी। इस त्रुटि के कारण ₹ 109.16 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 321.15 करोड़ की अग्रेनीत हानि के समंजन की गलत अनुमति दी गई। आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपित को स्वीकार किया और धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार किया (मार्च 2014) गया।

पूंजीगत लाभ, अधिग्रहण की संगणना के उद्देश्य हेतु, आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 55(2)(ख)(V)(ड) के अनुसार जहां पूंजीगत परिसंपत्ति किसी अन्य पूंजीगत परिसंपत्ति के संबंध में लागत अधिग्रहण का अर्थ है, किसी कंपनी के शेयर या स्टॉक के रूप में अन्य किसी प्रकार के कंपनी के शेयरों की प्रकार में परिवर्तन पर निर्धारिती की संपत्ति बन गई; ऐसी परिसंपत्ति के प्राप्त होने वाले स्रोत शेयर या स्टॉक के अधिग्रहणकी लागत के संदर्भ में परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत की संगणना की जाती है। न्यायिक रूप से यह बताया गया⁴⁰ कि ट्रांसफर में दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और रूपांतरण हस्तांतरित नहीं है। इसके अतिरिक्त आगे न्यायिक रूप से यह बताया गया⁴¹ कि यदि पूंजी में कमी के संबंध में कोई विचार प्राप्त या उपार्जित नहीं हुआ है, अतः ऐसी हानि एक काल्पनिक हानि है और पूंजीगत हानि के रूप में यह अनुमत नहीं है।

3.3.2.2 महाराष्ट्र, सीआईटी-2 मुम्बई प्रभार में, एओ ने सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 776.47 करोड़ और ₹ 470.88 करोड़ आय निर्धारण और धारा 115जेबी के अंतर्गत क्रमशः ₹ 2433.75 करोड़ और ₹ 878.99 करोड़ के खाता लाभ की संगणना करते हुए मई 2013 में नि.व. 2009-10 और 2010-11 हेतु टाटा संस लिमिटेड का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। नि.व. 2009-10 की कर योग्य आय की संगणना करते समय निर्धारिती ने दावा किया और अन्य लेन-देनों से उत्पन्न ₹ 1,347.91 करोड़ के दीर्घ अवधि पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) के प्रति बिना किसी क्षतिपूर्ति प्राप्ति के पूंजी में कमी के संबंध में ₹ 2,046.97 करोड़ के दीर्घ अवधि पूंजी हानि (एलटीसीएल) का समंजन करना स्वीकृत किया। इसी प्रकार, नि.व. 2010-11 हेतु, निर्धारिती ने एलटीसीजी के ₹ 86.77 करोड़ और टाटा स्टील लिमिटेड के आवश्यक विनिमय अधिमान शेयरों (सीसीपीएस) के रूपांतरण के संबंध में ₹ 776.52 करोड़ के एलटीसीएल के समंजन का दावा किया और ₹ 57.84 करोड़ के लघु अवधि पूंजी लाभ तथा ₹ 631.91 करोड़ की शेष हानि को अग्रेनीत करना अनुमत किया गया था। दोनों वित्तीय वर्षों में निर्धारिती न तो

40 रसिक लाल मानेक लाल बनाम सीआईटी (177 आईटीआर 198)-एससी

41 बैनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड बनाम अपर आयुक्त आयकर-2011(9) टीएमआई 1-आईटीएटी मुम्बई, विशेष शाखा

कोई क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं की और न ही अपने बही खातों में ऐसी किसी क्षतिपूर्ति का कोई उपार्जन दर्शाया। विक्रय क्षतिपूर्ति के अभाव में, दावा की गई हानि काल्पनिक हानि थी और इस प्रकार इसे एलटीसीजी के प्रति समंजन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस चूक के परिणामस्वरूप नि.व. 2009-10 में ₹ 1,347.92 करोड़ का कम निर्धारण किया गया और ₹ 699.05 करोड़ को अनियमित रूप से अग्रणीत किया गया। नि.व. 2010-11 में ₹ 12.19 करोड़ एलटीसीजी और ₹ 74.56 करोड़ तथा एसटीसीजी के ₹ 57.83 करोड़ का कम निर्धारण तथा ₹ 631.91 करोड़ के एलटीसीएल को अनियमित रूप से अग्रणीत किया गया। दोनों निर्धारण वर्षों में ₹ 326.48 करोड़ (₹ 305.44 करोड़ + ₹ 21.04 करोड़) का कुल कम उद्ग्रहण कर तथा ₹ 301.60 करोड़ (₹ 158.41 करोड़ + ₹ 143.19 करोड़) के संभावित कर की संगणना की गई। आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार नहीं किया और इसके साथ-साथ यह भी कहा (अप्रैल 2014) कि जब तक लेन-देन धारा 47⁴² के अंतर्गत कवर नहीं किया जाता, पूंजीगत परिसम्पत्तियों के अधिकार के समापन या छोड़ने में सभी लेन-देन शामिल थे। बैनट कोलमैन एवं कंपनी लिमिटेड बनाम अपर सीआरटी के मामले में निर्णय के संदर्भ में उत्तर तर्क पूर्ण नहीं था कि यदि पूर्व शेयर को नये शेयरों से स्थानान्तरित या बदला गया है, तब उक्त राशि को हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा। रसिक लाल मानेकलाल बनाम सीआईटी के मामले में अन्य निर्णय में की गई हस्तांतरण में दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और परिवर्तन हस्तांतरण नहीं है वह यहाँ पर प्रासंगिक नहीं है। *आईटीडी का उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।*

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35एबीबी प्रावधान करता है कि दूर संचार सेवाओं के प्रचालन के कोई अधिकार प्राप्त करने के लिए संचित किसी पूंजीगत व्यय और जिसके लिए वास्तव में भुगतान कोई लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किया गया है, के संबंध में प्रासंगिक प्रत्येक विगत वर्ष के लिये कटौती स्वीकृत नहीं होगी। कटौती की राशि ऐसे व्यय की राशि के उपयुक्त भाग के समान होगी।

3.3.2.3 महाराष्ट्र, सीआईटी-8 मुम्बई प्रभार में, एओ ने सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 247.65 करोड़ की आय का निर्धारण करते हुए मार्च 2014 में निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए **टाटा टेली सर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने टेलीकॉम एक्सेस सेवाओं के प्रावधान हेतु 3जी स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए 19.25 वर्षों की अवधि से अधिक के बही खातों में सरकार को ₹ 1,257.82 करोड़ की एक बार दी जाने वाली लाइसेंस फीस का परिशोधन किया। यद्यपि, निर्धारिती ने दावा किया और उक्त फीस पर

42 पूंजीगत लाभों के उद्देश्यों हेतु स्थानान्तरण के रूप में लेन-देनों के संदर्भ में धारा 47 को नहीं माना जाएगा।

25 प्रतिशत की दर पर ₹ 324.16 करोड़ का मूल्यहास अनुमत किया। चूंकि उक्त फीस उस अवधि; जिसके लिए निर्धारिती कंपनी लाभ उपार्जित करेगी, के आधार पर बही खातों में 19.25 वर्षों की अवधि पर परिशोधित की गई थी, निर्धारिती द्वारा दावा किया गया मूल्यहास अनुमत नहीं किया जाना चाहिए। प्रासंगिक विगत वर्ष हेतु स्वीकार्य परिशोधन उक्त फीस पर अनुमत ₹ 324.16 करोड़ के मूल्यहास के प्रति ₹ 67.67 करोड़ था। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 85.19 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहण सहित ₹256.49 करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया।
आईटीडी का उत्तर प्रतीक्षित (नवम्बर 2015) है।

3.3.2.4 आंध्र प्रदेश, सीआईटी-1। हैदराबाद प्रभार में, एओ ने ₹ 12.46 करोड़ के हस्तांतरण मूल्य समायोजन के प्रति वृद्धि करने के बाद ₹ 229.53 करोड़ की हानि का निर्धारण करते समय जनवरी 2014 में नि.व. 2009-10 के लिए धारा 92सीए(4)⁴³/144(1)⁴⁴/144(सी)⁴⁵ के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत जे.टी. इंटरनेशनल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। कर योग्य आय की संगणना करते समय, एओ ने गलती से ₹ 72.33 करोड़ की स्वीकार्य हानि के बदले ₹ 241.99 करोड़ की वर्तमान वर्ष की कारोबार हानि गलत मान ली। इस गलती के कारण ₹ 57.70 करोड़ की संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 169.76 करोड़ (₹ 229.53 करोड़-₹ 59.77 करोड़⁴⁶) की हानि का अधिक निर्धारण किया गया। *आईटीडी ने धारा 154 (जुलाई 2014) के अंतर्गत गलती को सुधार किया।*

3.3.2.5 दिल्ली, सीआईटी-1। दिल्ली प्रभार में, एओ ने ₹1.39 करोड़ की आय पर अक्टूबर 2011 में धारा 144सी के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत नि.व. 2007-08 के लिए एलकाटेल ल्यूसेंट इंडिया लिमिटेड का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने ₹ 30.16 करोड़ की हानि समंजन करने के बाद 'शून्य' आय पर विवरणी फाईल की। चूंकि निर्धारिती के पास वर्तमान वर्ष में आय से समंजन के लिए कोई अग्रणीत हानि उपलब्ध नहीं थी, ₹ 30.16 करोड़ का सामंजन अनुमत नहीं किया जाना चाहिए। इस चूक के कारण ₹ 15.74 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 30.16 करोड़ की आय का कम

43 धारा 92सीए(3) के अंतर्गत ट्रांसफर प्राइसिंग अधिकारी द्वारा निर्धारित आर्म्सलेंथ प्राइस के संबंध में निर्धारिती की कुल आय की संगणना के लिए धारा 92सीए(4) के अनुसार एओ की आवश्यकता है।

44 धारा 144(1) एओ द्वारा पूर्ण की गई ईष्टतम न्याय निर्धारण का संदर्भ देता है यदि निर्धारिती एओ द्वारा जारी की गई अधिसूचना का अनुपालन करने में असफल रहता है।

45 धारा 144सी विवाद निपटान पैनल के मामले के संदर्भ प्रदान करता है।

46 ₹ 59.77 करोड़ = ₹ 72.23 करोड़ - ₹ 12.46 करोड़

निर्धारण किया गया। आईटीडी ने धारा 154 (दिसम्बर 2014) के अंतर्गत गलती में सुधार किया।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 71(3) के अनुसार यदि शीर्ष पूंजीगत लाभों के अंतर्गत संगणना का निवल परिणाम हानि है तथा निर्धारिती के पास अन्य किसी आय शीर्ष के अंतर्गत निर्धारण योग्य आय है, निर्धारिती अन्य शीर्ष के अंतर्गत आय के प्रति ऐसे समंजन हानि के लिए हकदार नहीं होगा।

3.3.2.6 पश्चिम बंगाल, प्र. सीआईटी-4, कोलकाता प्रभार निर्धारण वर्ष 2011-12 हेतु सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 18.03 करोड़ की लघु अवधि पूंजीगत हानि और विशिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 422.68 करोड़ का खाता लाभ समंजन करने के बाद शून्य पर मार्च 2014 में वी2 रिटेल लिमिटेड कंपनी का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया गया था। पूर्व वर्षों का अनवशोषित के मूल्यह्रास और कारोबार हानि का समंजन करते समय, विभाग ने निर्धारिती के ₹ 213.42 करोड़ की कारोबार आय के प्रति ₹ 18.03 करोड़ की लघु अवधि पूंजीगत हानि को अनियमित रूप से समंजन करने की अनुमति प्रदान की। इस चूक के कारण ₹ 5.99 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 18.03 करोड़ की कारोबार हानि को अधिक अग्रणीत किया गया। आईटीडी ने जुलाई 2014 में धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार किया।

3.3.3. अनियमित छूट/कटौती/रिबेट/राहत/मैट क्रेडिट

हमने ऐसे तीन निदर्शी मामले दर्शाए हैं:-

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10ए प्रावधान करती है कि पदार्थ या वस्तु या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात से किसी उपक्रम द्वारा ऐसे लाभ और मुनाफों की कटौती प्राप्त की गई है, वह निर्धारिती को कुल आय से अनुमत होगी।

3.3.3.1 महाराष्ट्र, सीआईटी-14 मुम्बई प्रभार में, एओ ने धारा 10ए के अंतर्गत ₹ 222.96 करोड़ की छूट अनुमत करने के बाद ₹ 266.20 करोड़ की आय पर मार्च 2013 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2009-10 हेतु डब्ल्यूएनएस ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। एओ ने धारा 10ए के अंतर्गत कटौती प्रदान करने से पहले ₹ 489.16 करोड़ पर निर्धारिती की निवल कुल आय की गणना की तथा आर्म्स लेंथ प्राइस और इसमें अन्य स्रोतों से आय के संबंध में क्रमशः ₹ 288.14 करोड़ तथा ₹ 6.21 करोड़ का समायोजन शामिल था। चूंकि धारा 92सीए के अंतर्गत हस्तांतरण मूल्य समायोजन तथा धारा 10ए के अंतर्गत कटौती के लिए अन्य स्रोतों से आय योग्य नहीं थी, उन्हें कर के अंतर्गत लाया जाना चाहिए था और केवल शेष राशि ₹ 194.81 करोड़ ही

धारा 10ए के अंतर्गत कटौती के लिए योग्य थी। इस चूक के कारण ₹ 9.57 करोड़ के कम कर उद्ग्रहण सहित धारा 10ए के अंतर्गत ₹ 28.15 करोड़ की कटौती की अधिक स्वीकृति प्रदान की गई। *आईटीडी का उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।*

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115जेएए किसी निर्धारिती को मैट क्रेडिट का क्रेडिट अग्रेनीत किया जाना तब अनुमत करता है जब कर सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत भुगतान योग्य कर विशिष्ट प्रावधानों के अधीन कर से अधिक हो। यद्यपि, ऐसा क्रेडिट सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत कर तथा अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत कर के अंतर को सीमित कर देगा।

3.3.3.2 महाराष्ट्र, सीआईटी-1 मुम्बई प्रभार में, निर्धारण वर्ष 2008-09 हेतु **अल्सटॉम प्रोजैक्ट्स इंडिया लिमिटेड कंपनी** का संवीक्षा निर्धारण सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 144.58 करोड़ की आय का निर्धारण करते हुए दिसम्बर 2011 में पूरा किया गया तथा ₹ 17.28 करोड़ की सीमा तक मैट क्रेडिट अनुमत किया गया। निर्धारिती नि व 2007-08 हेतु सामान्य प्रावधान के अंतर्गत कर अदा करने के लिए उत्तरदायी था जबकि नि.व. 2006-07 के लिए धारा 115जेबी के अंतर्गत ₹ 4.80 करोड़ का कर प्रभारित किया गया क्योंकि सामान्य प्रावधान के अंतर्गत कर शून्य था। चूंकि विभाग द्वारा स्वीकार्य ₹ 17.28 करोड़ के प्रति निर्धारिती बाद के वर्षों में केवल ₹ 4.80 करोड़ ही मैट क्रेडिट के लिए ही उत्तरदायी था। इस गलती के कारण ₹ 12.48 करोड़ के मैट क्रेडिट की अधिक स्वीकृति दी गई। *आईटीडी ने अक्टूबर 2014 में धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार किया।*

3.3.3.3 कर्नाटक, सीआईटी-III, बेंगलूर प्रभार में, एओ ने ₹ 25.48 करोड़ का आय निर्धारण करते समय नवम्बर 2010 में नि.व. 2008-09 हेतु **शॉ वॉलेस ब्रीविरीज लिमिटेड** का संवीक्षा निर्धारण किया तथा नि.व. 2007-08 से संबंधित ₹ 4.0 करोड़ के मैट क्रेडिट स्वीकृत करने के बाद ₹ 2.80 करोड़ की कर मांग की। नि.व. 2007-08 हेतु निर्धारण सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत संवीक्षा निर्धारण योग्य आय के बाद पूरी की गई तथा अग्रेषण के लिए कोई मैट क्रेडिट उपलब्ध नहीं था। इस चूक के कारण ₹ 5.63 करोड़ के कम कर उद्ग्रहण सहित ₹ 4.0 करोड़ की मैट क्रेडिट की गलत अनुमति प्रदान की गई। *आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और जनवरी 2014 में धारा 154 के अंतर्गत इस त्रुटि में सुधार किया।*

3.3.4 कारोबार व्यय की अनुचित अनुमति

हमने ऐसे चार निदर्शी मामले दर्शाए हैं:-

धारा 43बी विशेष व्यय करने के प्रति छूट अनुमत करती है जब उक्त को वास्तव में आय की विवरणी फाईल करने की निर्धारित तिथि पर या पहले पूर्व वर्षों में अदा किया गया हो।

3.3.4.1 कर्नाटक, सीआईटी-1। बेंगलूर प्रभार में, एओ ने ₹ 214.51 करोड़ की हानि का निर्धारण करते हुए नि.व. 2009-10 के लिए **बेंगलूर इलैक्ट्रीसीटी सप्लाय कम्पनी लिमिटेड** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने कर्नाटक सरकार की ओर से उपभोक्ताओं से ₹ 279.82 करोड़ का विद्युत कर एकत्रित किया। कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार यद्यपि ₹ 167.29 करोड़ लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में जिसका दावा किया गया था, विवरण फाईल करने से पूर्व सरकारी खाते से प्रेषित नहीं किया गया था। इस गलत स्वीकृति के कारण ₹ 56.68 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 167.29 करोड़ की हानि की अधिक संगणना की गई। *आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति (जून 2015) स्वीकार किया और अगस्त 2013 में धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि में सुधार किया गया।*

धारा 43बी विशेष व्यय करने के प्रति छूट अनुमत करती है जब उक्त को वास्तव में आय की विवरणी फाल करने की निर्धारित तिथि पर या पहले पूर्व वर्षों में अदा किया गया हो। इसके अतिरिक्त, धारा 37(1) के अनुसार कारोबार लाभ और मुनाफों के अंतर्गत प्रभार योग्य आय की संगणना करते समय पूंजीगत व्यय स्वीकृत व्यय नहीं है।

3.3.4.2 ओडिशा, सीआईटी भुवनेश्वर प्रभार में, एओ ने ₹ 2,295.88 करोड़ की आय का निर्धारण करते हुए नि.व. 2010-11 के लिए **पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने दावा किया और 'भूमि क्षतिपूर्ति पर ब्याज हेतु प्रावधान' के संबंध में क्रमशः ₹ 56.34 करोड़ और ₹ 1.72 करोड़ राशि की स्वीकृति दी गई। चूंकि 'भारत सरकार के उर्वरक बॉड को समाप्ति हेतु प्रावधान' स्वरूप में पूंजी है, इसे अस्वीकृत किये जाने की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त 'भूमि क्षतिपूर्ति पर ब्याज हेतु प्रावधान' को कर लेखापरीक्षक द्वारा आकस्मिक देयता के रूप में सत्यापित किया गया था और अस्वीकृत किये जाने की आवश्यकता है। गलत अस्वीकृति के कारण ब्याज सहित ₹ 29.01 के कर प्रभाव के साथ ₹ 58.06 करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया। *आईटीडी ने जनवरी 2015 में धारा 148⁴⁷ के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई।*

3.3.4.3 तमिलनाडु, सीआईटी-3, चेन्नई प्रभार में, एओ ने विशिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 69.84 करोड़ की आय और ₹ 74.07 करोड़ की हानि नि.व.

47 धारा 148, 147 के अंतर्गत पुनः निर्धारण के लिए अधिसूचना जारी करना दर्शाता है।

2008-09 और 2009-10 के लिए क्रमशः नवम्बर 2010 और दिसम्बर 2011 हेतु **तेबमा शिपयार्ड लिमिटेड** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने दावा किया और नि.व. 2008-09 और 2009-10 से संबंधित व्युत्पन्न संविदाओं पर वसूली न की गई हानियों के प्रति क्रमशः ₹ 2.70 करोड़ और ₹ 83.83 करोड़ की कटौती स्वीकृत की। व्युत्पन्न संविदाएं विदेशी विनिमय की वसूली की वास्तविक तिथि के साथ-साथ भारत में प्रतिधारण प्राप्ति की अवधि पर उक्त के निर्भर होने के संबंध में विदेशी मुद्रा के भावी निर्यात और प्राप्ति तथा लाभ या हानि के लिये थे। चूंकि व्युत्पन्न संविदा प्रकृति में आकस्मिक हैं, ₹ 2.70 करोड़ तथा ₹ 51.0 करोड़ की शेष राशि को भी अस्वीकृत किया जाना अपेक्षित था। नि.व. 2008-09 और 2009-10 से संबंधित ₹ 53.70 करोड़ की आय के कम निर्धारण के कारण ₹ 91.77 लाख (नि.व. 2008-09) के मैट क्रेडिट की कटौती हुई और ₹ 17.33 करोड़ के संभावित कर प्रभाव शामिल थे। *आईटीडी ने नि.व. 2008-09 और 2009-10 (मार्च 2010) हेतु धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई की।*

3.3.4.4 ओडिशा, सीआईटी भुवनेश्वर प्रभार में, एओ ने ₹ 2,022.71 करोड़ की आय पर फरवरी 2014 में नि.व. 2011-12 के लिए **नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने दावा किया और परिसंपत्तियों पर क्षति हानि हेतु प्रावधान के संबंध में ₹ 40.37 करोड़ की कटौती स्वीकृत की। चूंकि निर्धारिती ने ₹ 40.37 करोड़ की राशि व्यय नहीं की, इसे अस्वीकृत किया जाना अपेक्षित था और कर योग्य आय में जोड़ दी गई थी। गलत स्वीकृति के कारण ₹ 18.09 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहण सहित ₹ 40.37 करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया। *आईटीडी ने धारा 148 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई (जनवरी 2015) प्रारंभ की।*

3.4 चूकों के कारण निर्धारणों से रह गई आय

3.4.1 अधिनियम यह प्रावधान करता है कि किसी विगत वर्ष हेतु किसी व्यक्ति की कुल आय वास्तविक रूप से प्राप्त या संचित या प्राप्त या संचित मानी गई सभी आय चाहे वे किसी स्रोत से प्राप्त हैं, शामिल होंगी। हमने अवलोकन किया कि एओ ने कर के लिए प्रस्तावित कुल आय का निर्धारण नहीं किया/निर्धारण के अंतर्गत नहीं थी। तालिका 3.3 उप-श्रेणियों को दर्शाता है जो आय निर्धारण से रह गई।

तालिका 3.3: चूकों के कारण निर्धारण से रह गई आय के अंतर्गत त्रुटियों की उप-श्रेणियां (₹ करोड़ में)			
उप-श्रेणियां	सं.	कर प्रभाव	राज्य
क. विशिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित न की गई/निर्धारण के अंतर्गत आय	20	93.34	आंध्र प्रदेश, संघ राज्य चण्डीगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल
ख. सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित न की गई/निर्धारण के अंतर्गत आय	19	77.11	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
ग. टीडीएस के प्रावधानों के कार्यान्वयन में चूक	5	6.11	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल
कुल	44	176.56	

3.4.2 विशिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित न की गई/निर्धारण के अंतर्गत आय

हमने ऐसे दो निदर्शी मामले दर्शाए हैं:

धारा 115 जेबी में बुक प्रॉफिट की निर्धारित प्रतिशतता पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) की उगाही का प्रावधान है, यदि सामान्य प्रावधानों के तहत देय कर मैट से कम हो। वित्त अधिनियम 2009 के अनुसार, पूर्वव्यापी धारा में संशोधन कर दिया गया है कि परिसम्पत्तियों के मूल्य में कमी का प्रावधान बुक प्रॉफिट की गणना करते समय वापस जोड़ा जाएगा।

3.4.2.1 आंध्र प्रदेश, सीआईटी तिरुपति प्रभार में, एओ ने अधिनियम की सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत 'शून्य' आय और विशिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 78.74 लाख के बुक प्रॉफिट पर दिसम्बर 2010 में नि.व. 2008-09 के लिए सदरन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। खाता लाभ की संगणना करते समय, एओ ने अग्नेनीत की गई कारोबार हानि और अनवशोषित मूल्यह्रास की राशि कम होने के कारण ₹ 124.96 करोड़ कम कर दिया। चूंकि निर्धारिती के पास ₹ 476.02 करोड़ की अनवशोषित मूल्यह्रास राशि थी और अग्नेनीत कारोबार हानि शून्य थी, उक्त के संबंध में कोई कटौती लागू नहीं थी। इस चूक के कारण ब्याज के साथ ₹ 19.55 करोड़ के कर उद्ग्रहण सहित ₹ 124.95 करोड़ के खाता लाभ का कम निर्धारण किया गया था। आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार (फरवरी 2015) किया और फरवरी 2014 में धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत त्रुटि में सुधार किया गया।

3.4.2.2 पश्चिम बंगाल, प्रधान सीआईटी-2, कोलकाता प्रभार में, एओ ने अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 1,317.38 करोड़ और विशिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 1,980.72 करोड़ के खाता लाभ की आय, जो बाद में मार्च 2015 में संशोधित कर ₹ 1,969.42 करोड़ हो गई, को मार्च 2013 में नि.व. 2010-11 हेतु **इलाहाबाद बैंक** का निर्धारण पूरा किया। खाता लाभ की संगणना करते समय, निर्धारिती ने दावा किया और शुल्कों हेतु प्रावधानों के प्रति ₹ 122.0 करोड़ की छूट स्वीकृत की। शुल्क बकाया की संभावित देयता के प्रति वित्तीय वर्ष 2008-09 (नि.व. 2009-10 के प्रति) में ₹ 122.0 करोड़ का प्रावधान किया गया था। चूंकि वित्तीय वर्ष 2009-10 (नि.व. 2010-11 के प्रति) के संबंध में लाभ और हानि के प्रति ₹ 122.0 करोड़ का प्रावधान क्रेडिट नहीं किया गया था, उक्त के संबंध में कटौती अस्वीकृत की जानी स्वीकृत थी। परिणामतः मैट क्रेडिट ₹ 98.10 करोड़ से ₹ 79.80 करोड़ तक कम हो गया। *चूक के कारण ₹ 18.30 करोड़ के मैट क्रेडिट की अधिक स्वीकृति प्रदान की गई। आईटीडी का उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।*

3.4.3 सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित न की गई/निर्धारण के अंतर्गत आय

हमने ऐसे दो निदर्शी मामले दर्शाए हैं:

धारा 143(3) में प्रावधान है कि एओ को संवीक्षा निर्धारण में आय का सही निर्धारण और मूल्यांकन करना चाहिए। इस संबंध में सीबीडीटी ने भी समय-समय पर निर्देश जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, न्यायिक रूप से यह निर्णय⁴⁸ लिया गया कि विक्रय कर, प्रवेश कर और विद्युत शुल्क की सब्सिडी राजस्व प्राप्तियों के रूप में मानी जाएगी।

3.4.3.1 उत्तर प्रदेश, सीआईटी, नोएडा प्रभार में, एओ ने ₹ 654.97 करोड़ की आय पर नवम्बर 2012 में नि.व. 2008-09 हेतु **एल जी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने महाराष्ट्र सरकार से ₹ 49.38 करोड़ तथा उत्तर प्रदेश सरकार से ₹ 49.30 करोड़ की सब्सिडी (कर प्रोत्साहन) प्राप्त की। कर योग्य आय की संगणना करते समय एओ ने अस्वीकृत कर दिया और उन्हें राजस्व प्राप्तियों के रूप में स्वीकार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सब्सिडी को वापस जोड़ दिया। यद्यपि, महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सब्सिडी अस्वीकृत नहीं की गई थी और कर योग्य आय में जोड़ दी गई थी। की गई चूक के कारण ₹ 49.38 करोड़ का आय का कम निर्धारण किया गया जिसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 26.18 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण किया गया। *आईटीडी ने मार्च 2015*

48 फरवरी 2013 में एसीआईटी हिसार बनाम ज़िंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड

में धारा 263⁴⁹ के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की।

धारा 5 में प्रावधान है कि किसी निवासी व्यक्ति के कुल आय में प्राप्त या मानी गई प्राप्त की जाने वाली आय के साथ-साथ उपार्जित अथवा उसे उपार्जित होने वाली मानी गई आय शामिल है।

3.4.3.2 महाराष्ट्र, सीआईटी-X मुम्बई प्रभार में, एओ ने अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 1.01 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2010 में नि.व. 2008-09 हेतु **आईपोग इंटरनेशनल लिमिटेड** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। बही खातों के अनुसार, निर्धारिती ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास जमा सावधि जमा जो कर के अंतर्गत नहीं थी, के संबंध में ₹ 22 करोड़ का उपार्जित किया के कर चूक के परिणामस्वरूप ₹ 7.48 करोड़ प्रभाव सहित ₹ 22 करोड़ तक आय का कम निर्धारण किया गया। *आईटीडी ने सितम्बर 2013 में धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि में सुधार किया।*

3.4.4 टीडीएस के प्रावधानों के कार्यान्वयन में चूक

हमने ऐसे कुछ निदर्शी मामले दर्शाए हैं:

धारा 194 जे में प्रावधान है कि व्यावसायिक सेवाओं, तकनीकी सेवाओं हेतु फीस, रॉयल्टी आदि हेतु फीस अदा करने के लिए उत्तरदायी किसी व्यक्ति से करदाता के खाते से ऐसी राशि के क्रेडिट होने के समय पर या भुगतान से पहले, जो भी पहले हो, 10 प्रतिशत की दर पर टीडीएस की कटौती की जाएगी। इसके अतिरिक्त धारा 40(क)(1क) में प्रावधान है कि भुगतान जहाँ टीडीएस की कोई कटौती नहीं की गई है के प्रतिव्यय की कटौती अनुमत नहीं होगी।

3.4.4.1 तमिनाडु, सीआईटी-6, चेन्नई प्रभार में, एओ ने ₹ 9.64 करोड़ की आय, जिसे बाद में सीआईटी(अपील) को आदेश का प्रभाव देने के लिए सितम्बर 2012 में ₹ 8.75 करोड़ तक संशोधित किया गया, को दिसम्बर 2010 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2008-09 के लिए **सदर्न एग्रीफर्नेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड** का निर्धारण पूरा किया। संवीक्षा निर्धारण पूरा करते समय, एओ ने निर्धारिती द्वारा समाधान न करने के कारण ₹ 65.63 लाख को स्वीकार न करने के बाद लाभ और हानि खाते में ब्रांड यूजरशिप व्यय के प्रति डेबिट किये गये ₹ 5.80 करोड़ में से ₹ 5.14 करोड़ का भुगतान अनुमत किया। यद्यपि, सीआईटी(अपील) ने राहत के रूप में ₹ 65.63 लाख स्वीकृत किये।

49 धारा 263 में प्रावधान है कि यदि प्रधान कमिश्नर/कमिश्नर यह महसूस करता है कि किसी एओ द्वारा पास किया गया आदेश त्रुटिपूर्ण है जैसाकि राजस्व के हितों में निर्णय दिया जा चुका है तो पास किये गये किसी आदेश के संशोधन किया जा सकता है।

निर्धारिती ने आईएमएफएल उत्पाद, के टाई-अप उत्पादक हेतु संयुक्त करार के अंतर्गत अपने पंजीकृत ट्रेडमार्को के प्रयोग हेतु यूनाईटेड स्पिरिट लिमिटेड के साथ एक करार किया, जिसके लिए निर्धारिती को निवल विक्रय वसूली का दो प्रतिशत अदा करना पड़ा। इस प्रकार ₹ 5.80 करोड़ का व्यय ट्रेडमार्को के प्रयोग हेतु रॉयल्टी के प्रति किया गया था जिस पर दस प्रतिशत की लागू दर पर स्रोत पर कटौती की जानी अपेक्षित थी। चूंकि टीडीएस रॉयल्टी भुगतान पर नहीं किया गया था, यह अस्वीकृत किया जाना अपेक्षित था। अस्वीकृत करने की चूक के कारण ₹ 1.97 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 5.80 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। *आईटीडी ने फरवरी 2014 में धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई की।*

3.5 कर/ब्याज का अधिक-प्रभार

3.5.1 हमने देखा कि एओ ने आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल में ₹ 58.84 करोड़ के कर और ब्याज के अधिक प्रभार वाले 20 मामलों में आय का अधिक निर्धारण किया।

धारा 143(3) में प्रावधान है कि एओ को सटीक रूप से आय का मूल्यांकन और निर्धारण करना है। विवरण के साथ संलग्न खातों, अभिलेखों और सभी दस्तावेजों के साथ विवरण अन्य प्रकार के दावे संवीक्षा निर्धारणों में विस्तृत रूप से जांच किये जाने की आवश्यकता है।

3.5.1.1 आंध्र प्रदेश, सीआईटी-III, हैदराबाद प्रभार में, एओ ने धारा 10बी के अंतर्गत ₹ 80.58 करोड़ की कटौती स्वीकृत करने के बाद 'शून्य' आय पर जनवरी 2012 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2008-09 हेतु **रेन सीआईआई कार्बन (इंडिया) लिमिटेड** का निर्धारण पूरा किया। कर योग्य आय की संगणना करते समय निर्धारिती ने अपने लाभ और हानि खाते में, सीमेंट कारोबार के हस्तांतरण पर हानि के प्रति डेबिट की गई ₹ 13.09 करोड़ राशि को वापस जोड़ा यद्यपि एओ ने दोबारा अस्वीकृत कर दिया और संवीक्षा निर्धारण में कर योग्य आय की ₹ 13.09 करोड़ की राशि को वापस जोड़ा। इस गलती के कारण ₹ 4.45 करोड़ के कर के अधिक प्रभार सहित ₹ 13.09 करोड़ की आय का अधिक निर्धारण किया गया। *आईटीडी ने मार्च 2014 में धारा 147/144सी(1)⁵⁰ के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की।*

50 धारा 144सी(1) दर्शाती है कि यदि वह ऐसे निर्धारिती के हित के लिए निर्णय लिया गया है वापस की गई आय या हानि में किसी विसंगति का प्रस्ताव रखता है तो योग्य निर्धारिती के निर्धारण के प्रस्तावित आदेश के ड्राफ्ट को अग्रोषण किया जाएगा।

धारा 143(3) में प्रावधान है कि एओ को सटीक रूप से आय का मूल्यांकन और निर्धारण करना है। इसके अतिरिक्त, धारा 234बी और धारा 234सी में प्रावधान है कि कर की वह राशि जिस पर निर्धारिती को इन ब्याजों का अदा करना देय है वह अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये प्रावधानों के अनुसार स्रोत पर कटौती किये गये किसी कर की राशि द्वारा कम किया जाएगा।

3.5.1.2 दिल्ली, सीआईटी-IV प्रभार में, एओ ने क्रमशः धारा 234बी और 234सी के अंतर्गत ₹ 4.18 लाख और ₹ 3.45 करोड़ के ब्याज उद्ग्रहण के साथ-साथ ₹ 26.97 करोड़ की आय पर मार्च 2013 में नि.व. 2010-11 हेतु **एचसीएल कामेट लिमिटेड** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। एओ ने संवीक्षा निर्धारण में निर्धारिती को ₹ 22.11 करोड़ का टीडीएस क्रेडिट स्वीकृत किया जो ₹ 9.16 करोड़ के निर्धारित कर से अधिक था। चूंकि उपलब्ध टीडीएस क्रेडिट निर्धारित कर से अधिक था, देय नहीं था। इस गलती के कारण धारा 234बी और 234सी के अंतर्गत ₹ 3.50 करोड़ का ब्याज का अधिक उद्ग्रहण किया गया। *आईटीडी ने धारा 154 (नवम्बर 2014) के अंतर्गत इस गलती में सुधार किया।*

अध्याय IV: आयकर और धनकर

4.1 प्रस्तावना

4.1.1 हमने आय कर से संबंधित 137 उच्च मूल्य के मामले, जिनमें ₹ 286.29 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है वित्त मंत्रालय को मई 2015 से सितम्बर 2015 के दौरान उनकी टिप्पणी हेतु भेजे है। इसके अलावा इस अवधि में ₹ 0.18 करोड़ की धन कर राशि से संबंधित छह मामले भी वित्त मंत्रालय को भेजे गए।

4.1.2 मंत्रालय ने 106.73 करोड़ (नवम्बर 2015) के कर प्रभाव सहित 33 मामलों में अपनी स्वीकृति प्रदान की है। शेष 110 मामलों में से विभाग (आईटीडी) ने ₹ 28.38 करोड़ के कर प्रभाव वाले 22 मामलों को स्वीकार किया जबकि 0.57 करोड़ (पैरा 2.6.3 में संदर्भित) के कर प्रभाव वाला एक मामला स्वीकार नहीं किया। आईटीडी ने ₹ 251.86 करोड़ के कर प्रभाव वाले 143 मामलों में से 117 मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई पूरी की है और ₹ 24.67 करोड़ के कर प्रभाव वाले 17 मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ की है।

4.1.3 इस अध्याय में 137 आय कर और छः धन कर मामलों पर चर्चा की गई है जिनमें से ₹ 275.47 करोड़ के कम प्रभार वाले 136 मामले और ₹ 11.0 करोड़ के अधिक प्रभार के सात मामले शामिल हैं। गलत निर्धारण के इन मामलों से आयकर विभाग में प्रयोग की जा रही निर्धारण प्रक्रिया पर आन्तरिक नियंत्रणों में कमियों का पता चलता है।

4.1.4 गलतियों की श्रेणियों को व्यापक रूप से निम्नवत् वर्गीकृत किया गया है:

- i. निर्धारणों की गुणवत्ता
- ii. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन
- iii. चूकों के कारण निर्धारणों से छूटने वाली आय
- iv. अन्य कर/ब्याज इत्यादि का अधिक प्रभार

इस प्रतिवेदन की तालिका 2.4 (पैरा 2.5.5) गलतियों और उनके कर प्रभाव की व्यापक श्रेणियों का विवरण दर्शाती है।

4.2 निर्धारणों की गुणवत्ता

4.2.1 अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद एओज ने निर्धारणों में गलतियां की। गलत निर्धारण के ये मामले आईटीडी की आंतरिक नियंत्रण में कमजोरी को दर्शाते हैं जिसमें सुधार किये जाने की आवश्यकता है। तालिका 4.1 त्रुटियों (परिशिष्ट 2.3 में संदर्भित) की उप-श्रेणियों को दर्शाती है जिसने निर्धारणों की गुणवत्ता को प्रभावित किया।

तालिका 4.1: निर्धारण की गुणवत्ता में त्रुटियों का विवरण			(₹ करोड़ में)
उप वर्ग	मामले	टीई	राज्य
क. आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ	16	83.40	दिल्ली, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
ख. कर, उपकर आदि का गलत अनुप्रयोग	08	26.98	दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और ओडिसा
ग. ब्याज की उगाही में त्रुटियाँ	29	54.65	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और पश्चिम बंगाल
घ. अपीलीय आदेशों को लागू करते समय निर्धारण में त्रुटि	01	0.15	बिहार
कुल	54	165.18	

4.2.2 आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ

हमने ऐसे पाँच निदर्शी मामलों को नीचे दर्शाया है:

आयकर अधिनियम, 1961 में प्रावधान है कि एओ को निर्धारिती की कुल आय हानि का सही निर्धारण करना चाहिए तथा कर या प्रतिदाय की सही राशि निर्धारित करनी चाहिए, जैसा भी मामला हो।

4.2.2.1 उत्तर प्रदेश, सीआईटी गोरखपुर प्रभार में ए.ओ ने ₹ 183.21 करोड़ की हानि पर दिसम्बर 2010 में संवीक्षा के पश्चात् नि.व. 2008-09 के लिए एक सहकारी समिति, किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारिती के आय की गणना करते समय एओ ने ₹ 19.91 करोड़ की अनुमत हानि की बजाए ₹ 189.40 करोड़ माना (निर्धारिती के आयकर विवरणी के अनुसार)। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 52.37 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 169.49 करोड़ हानि की अधिक गणना हुई। आईटीडी ने धारा 147 के तहत गलती में सुधार किया (मार्च 2014)।

4.2.2.2 गुजरात, सीआईटी-II सूरत प्रभार में, एओ ने नि.व. 2010-11 के लिए आय की सीमा तक कारोबार हानियों का समायोजन करने के पश्चात् मार्च 2013 में संवीक्षा के पश्चात् एक सहकारी समिति, **सयन विभाग सहकारी खण्ड उद्योग मंडली लिमिटेड** का निर्धारण 'शून्य' आय पर पूरा किया। निर्धारिती के दावों को धारा 145ए के तहत तैयार माल की ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के साथ-साथ कच्चे माल की बिक्री और खरीद पर उत्पाद शुल्क का समायोजन के बाद अनुमत किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने जोड़ने की बजाए क्लोजिंग बैलेंस के प्रति ₹ 36.13 करोड़ घटा दिया और इसको घटाने की बजाए अवशेष में ₹ 21.87 करोड़ जोड़ दिया। त्रुटियों के परिणामस्वरूप ₹ 8.81 करोड़ के कर प्रभाव वाली ₹ 28.51 करोड़ आय का कम निर्धारण हुआ। *आईटीडी ने धारा 154 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की (मार्च 2014)।*

4.2.2.3 दिल्ली, सीआईटी (मध्य)-III प्रभार में, एओ ने धारा 143(3) के साथ पठित धारा 153ए के तहत मार्च 2013 में नि.व. 2006-07 के लिए एक व्यक्ति, **वीरेन्द्र जैन** की ₹ 243.13 करोड़ आय और उस पर ₹ 78.80 करोड़ कर का निर्धारण किया। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि कर माँग की गणना करते समय निर्धारित आय का सटीक आंकड़ा ₹ 243.13 करोड़ की बजाए ₹ 234.13 करोड़ माना गया। त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 5.57 करोड़ कर की कम उगाही हुई। *आईटीडी ने धारा 154 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की (मार्च 2014)।*

4.2.2.4 दिल्ली, सीआईटी (मध्य)-I प्रभार में, एओ ने मार्च 2013 में नि.व. 2008-09 के लिए एक व्यक्ति, **रीशू गुप्ता** की आय का ₹ 3.47 करोड़ और उस पर ₹ 0.13 करोड़ कर का निर्धारण किया। लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि आयकर गणना शीट (आईटीएनएस-150) में ₹ 1.17 करोड़ राशि की बजाए ₹ 0.13 करोड़ के कर माँग की गणना की गई। त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 1.67 करोड़ कर की कम उगाही हुई। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (अक्टूबर 2015) और नवम्बर 2013 में धारा 154 के तहत त्रुटि में सुधार किया।*

4.2.2.5 दिल्ली, सीआईटी (मध्य)-I प्रभार में, एओ ने मार्च 2014 में नि.व. 2006-07 से 2009-10 और नि.व. 2011-12 के लिए धारा 143(3) के साथ पठित धारा 153(ए) के तहत एक व्यक्ति, **ओम प्रकाश कुकरेजा** की आय की क्रमशः ₹ 3.26 करोड़, ₹ 0.06 करोड़, ₹ 0.52 करोड़, ₹ 0.98 करोड़ और ₹ 0.21 करोड़ की गणना की। नि.व. 2012-13 के लिए मार्च 2014 में संवीक्षा

के पश्चात् ₹ 3.03 करोड़ की आय और उस पर ₹ 0.92 करोड़ कर का निर्धारण किया गया। नि.व. 2006-07 से 2009-10 और 2011-12 के लिए अधिनियम की धारा 145(3) के प्रावधानों को देखते हुए निर्धारिती की कारोबार आय अनुमानित बिक्री की पाँच प्रतिशत पर गणना की गई जिसे नि.व. 2006-07 से 2009-10 और नि.व. 2011-12 में क्रमशः ₹ 10 करोड़, ₹ 12 करोड़, ₹ 13 करोड़, ₹ 14 करोड़ और ₹ 15 करोड़ निर्धारित किया गया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि ₹ 3.2 करोड़ की सही राशि की बजाए ₹ 0.32 करोड़ की शुद्ध कारोबार आय की गलत गणना की गई थी। गलती के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 1.50 करोड़ कर के कम उद्ग्रहण वाली ₹ 2.88 करोड़ आय का कम निर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, नि.व. 2012-13 के लिए निर्धारिती द्वारा किए गए गैर प्रकटित निवेश के आधार पर निवल कारोबार आय ₹ 15.50 करोड़ की अनुमानित बिक्री का पाँच प्रतिशत लिया गया था, जबकि अनुमानित बिक्री की पाँच प्रतिशत की गणना करते समय निवल कारोबारी आय ₹ 0.78 करोड़ की सही राशि की बजाए ₹ 0.08 करोड़ दर्शाई गई थी। त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 0.27 करोड़ कर के कम उद्ग्रहण वाली ₹ 0.70 करोड़ आय का कम निर्धारण हुआ। सभी निर्धारण वर्षों के लिए कर की कुल कम उगाही राशि ब्याज सहित ₹ 1.77 करोड़ थी। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की (अक्टूबर 2015) और सितम्बर 2014 में धारा 154 के अंतर्गत त्रुटियों में सुधार किया।

4.2.3 कर और उपकर की दरों का गलत अनुप्रयोग

हमने नीचे चार निदर्शी मामले दर्शाए हैं:

संबंधित वित्त अधिनियम में निर्धारित दरों पर उपकर सहित आयकर प्रभारित किया जाएगा।

4.2.3.1 दिल्ली, सीआईटी (मध्य)-। प्रभार में, एओ ने मार्च 2013 में धारा 144 के अंतर्गत नि.व. 2011-12 के लिए एक व्यक्ति, संजय कुमार सिंह की ₹ 47.42 करोड़ आय की गणना की। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि कर मांग की गणना करते समय लागू दर पर उपकर (10 प्रतिशत की दर पर) के रूप में ₹ 1.42 करोड़ राशि की उगाही की गई थी जबकि निर्धारण वर्ष 2011-12 में आयकर पर उपकर की उगाही का कोई प्रावधान नहीं था। इसके अतिरिक्त, आयकर गणना शीट में कुल कर मांग का आंकड़ा धारा 234ए और 234बी के तहत क्रमशः ₹ 1.45 करोड़ और ₹ 3.54 करोड़ ब्याज जोड़ने के पश्चात् सही आंकड़ा ₹ 21.09 करोड़ की बजाए ₹ 2.11 करोड़ दर्शाया गया था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 17.36 करोड़ की कम उगाही हुई।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपति स्वीकार की (अक्टूबर 2015) और नवम्बर 2013 में त्रुटि में सुधार किया।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 167बी(2)(ii) में प्रावधान है कि कोई सदस्य या इसके सदस्य ऐसे दरों पर प्रभार्य होंगे जो अधिकतम मार्जिनल दर से अधिक होंगे, तो कर उस भाग या संगठन या निकाय की कुल आय के भागों पर प्रभारित किया जाएगा ऐसे उच्च दर या दरों पर ऐसे सदस्य अथवा सदस्यों के भाग या भागों से संबंधित हों, जैसा भी मामला हो और संगठन अथवा निकाय की कुल आय के अधिशेष पर अधिकतम मार्जिनल दर पर कर लगाया जाएगा।

4.2.3.2 ओडिसा, सीआईटी भुवनेश्वर प्रभार में एओ ने मार्च 2013 में संवीक्षा के अंतर्गत नि.व. 2010-11 के लिए एक एओपी, एचसीआईएल अधिकारी एआरएसएस (जेवी), की आय का निर्धारण ₹ 94.23 करोड़ किया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती तीन कंपनियों का एक संयुक्त उद्यम था। तीन सदस्य साझेदारों में से, मै. पं. अधि. कार्य(परसेरो) टीबीके, इक्विटी साझेदारी की 30 प्रतिशत धारक एक इंडोनेशियाई कंपनी थी। इस प्रकार, ₹ 94.23 करोड़ की निर्धारित आय के 30 प्रतिशत पर एओ द्वारा वसूले गए 33.99 प्रतिशत की अधिकतम मार्जिनल दर की बजाए कम निर्धारण वाले वर्ष हेतु लागू 42.23 प्रतिशत दर पर कर लगाया जाना था। ऐसी चूक के परिणामस्वरूप ₹ 7.46 करोड़ के ब्याज सहित कर की कम उगाही हुई। आईटीडी ने बताया कि धारा 148 के तहत नोटिस जारी करके कार्रवाई शुरू की गई है (जुलाई 2014)।

4.2.3.3 गुजरात, सीआईटी-III अहमदाबाद प्रभार में, एओ ने सितम्बर 2010 में ₹ 0.79 करोड़ की विवरणी आय की संवीक्षा के पश्चात् नि.व. 2008-09 के लिए एचयूएफ, बालकृष्ण पी. त्रिवेदी, का निर्धारण किया। मार्च 2014 में ₹ 3.81 करोड़ के अल्पावधि पूँजी अर्जन सहित ₹ 3.92 करोड़ की आय पर धारा 263 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत निर्धारण में संशोधन किया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि अल्पावधि पूँजी अर्जन पर कर 30 प्रतिशत की सामान्य दर की बजाए 20 प्रतिशत दर पर कर वसूला गया था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 0.56 करोड़ के कर की कम वसूली हुई। आईटीडी ने धारा 154 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई की (अगस्त 2014)।

4.2.3.4 दिल्ली, सीआईटी (मध्य)-I प्रभार में, एओ ने नि.व. 2009-10 के लिए ₹ 4.46 करोड़ आय का निर्धारण करते समय धारा 144 के साथ पठित धारा 153सी के तहत मार्च 2013 में एक व्यक्ति, रमा जैन, का निर्धारण किया। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि कर मांग की गणना करते समय

10 प्रतिशत की दर पर वसूली योग्य उपकर की विभाग द्वारा वसूली नहीं की गई थी। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 0.24 करोड़ कर की कम उगाही हुई। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपति स्वीकार की (अक्टूबर 2015) और नवम्बर 2013 में धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि में सुधार किया।*

4.2.4 ब्याज वसूली में त्रुटियां

हमने नीचे चार ऐसे निदर्शी मामले दर्शाए हैं:

आयकर अधिनियम, 1961 में समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर निर्धारिती की ओर से विभिन्न चूकों के लिए ब्याज उगाही का प्रावधान है।

4.2.4.1 महाराष्ट्र, सीआईटी (मध्य)-। मुंबई प्रभार में एओ ने दिसम्बर 2008 में धारा 143(3) के साथ पठित धारा 153बी(1) के तहत नि.व. 2007-08 के लिए एक व्यक्ति, **अतुल अमृतलाल सांघवी**, की आय का ₹ 310.11 करोड़ निर्धारण किया जिसे बाद में आयकर आयुक्त के निर्देश पर संशोधन करके दिसम्बर 2011 में ₹ 331.07 करोड़ कर दिया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि इस तथ्य के बावजूद भी निर्धारिती ने जुलाई 2007 में विवरणी फाइल करने की निर्धारित तिथि की बजाए फरवरी 2008 में बाद में अपना विवरणी फाइल की थी, एओ ने धारा 234ए के तहत ब्याज नहीं वसूला। चूक के परिणामस्वरूप धारा 234ए के तहत ₹ 7.80 करोड़ ब्याज की गैर-वसूली हुई। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपति स्वीकार की (अक्टूबर 2015) और मार्च 2015 में धारा 154 के तहत त्रुटि में सुधार किया।*

4.2.4.2 उत्तर प्रदेश, सीआईटी (मध्य) कानपुर प्रभार में एओ ने मार्च 2013 में धारा 153ए/144 के तहत नि.व. 2010-11 और 2011-12 के लिए एक व्यक्ति, **संदीप कुमार** की आय का क्रमशः ₹ 96.45 करोड़ और ₹ 90.50 करोड़ निर्धारण किया। यद्यपि निर्धारिती ने आयकर विवरणी फाइल नहीं की थी, धारा 234ए के तहत विभाग द्वारा ब्याज की वसूली नहीं की गई थी। *इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 7.08 करोड़ के कर की कम वसूली हुई। आईटीडी ने धारा 154/144 के तहत त्रुटि में सुधार कर लिया।*

4.2.4.3 मध्य प्रदेश में सीआईटी (केन्द्रीय) भोपाल प्रभार के एओ ने मार्च 2014 में धारा 153ए/143(3) के अन्तर्गत नि.व. 2010-11 और 2011-12 के लिए क्रमशः ₹ 34.47 करोड़ और ₹ 25.01 करोड़ की आय पर **मुकेश सिंगला**, एक व्यक्ति का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि आईटीडी ने नि.व. 2010-11 और 2011-12 के लिए क्रमशः ₹ 3.25 करोड़ और ₹ 2.76 करोड़ की सही राशि की बजाए धारा 234बी के अन्तर्गत ₹ 2.10 करोड़ और ₹ 0.92 करोड़ का ब्याज लगाया। गलती के परिणामस्वरूप

₹ 2.99 करोड़ का कम ब्याज लगाया गया। आयकर विभाग ने धारा 154 के अन्तर्गत त्रुटि में सुधार किया (नवम्बर 2014)।

4.2.4.4 आन्ध्र प्रदेश में सीआईटी (केन्द्रीय) प्रभार के एओ ने निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए मार्च 2014 में ₹ 32.11 करोड़ की आय के लिए धारा 153ए के साथ पठित धारा 143(3) के अन्तर्गत रघु राम कृष्ण राजू, एक व्यक्ति का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि धारा 234ए और 234बी के अन्तर्गत ब्याज ₹ 2.47 करोड़ तक लगाया गया था। आयकर विभाग ने धारा 154 (जनवरी 2015) के अन्तर्गत गलती को स्वीकार किया और सुधार किया।

4.3 कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन

4.3.1 अधिनियम में अध्याय VI-ए के अन्तर्गत और इसके सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत व्यय के कुछ वर्गों के लिए निर्धारिती को कुल आय की संगणना में रियायतों/छूटों/कटौतियों अनुमत की गई हैं। हमने पाया कि निर्धारण अधिकारियों ने उन लाभार्थियों को अनियमित रूप से कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के लाभ दिए थे जो इनके हकदार नहीं थे। ये मामले आइटीडी की ओर से कर रियायतों/कटौतियों/छूटों के प्रशासन में कमजोरियों के बारे में बताते हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तालिका 4.2 उप श्रेणियों को दर्शाती है। जिससे कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रशासन पर प्रभाव पड़ा है।

तालिका 4.2 कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रशासन के तहत त्रुटियों की उपश्रेणियां				(₹ करोड़ में)
उप-श्रेणी	सं.	टीई	राज्य	
क. व्यक्ति को दी गई अनुचित छूटों/कटौतियों/रियायत	7	2.64	कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, यूटी चंडीगढ़ और उत्तराखंड।	
ख. न्यास/फर्म/समितियों/एओ पी को दी गई अनुचित छूटों/ कटौतियों/रियायत	8	16.05	आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।	
ग. कारोबारी व्यय की गलत अनुमति	23	60.79	गुजरात, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, यूटी चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।	
घ. मूल्यहास/कारोबार हानियों/पूँजीगत हानियों में अनियमिततायें	11	13.70	बिहार, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल।	
कुल	49	93.18		

4.3.2 व्यक्तियों को अनुचित छूट/कटौतियाँ/रियायत

हमने ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दर्शाया है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80आईबी(10) के तहत, जहां एक निर्धारिती की कुल सकल आय में प्रगतिशील अथवा बिल्डिंग हाऊसिंग परियोजनाओं से कोई लाभ या आय शामिल हो तो ऐसी हाऊसिंग परियोजना से नि.व. से संबंधित पिछले वर्ष में अर्जित लाभ की कुल आय की गणना करते समय शत प्रतिशत कटौती अनुमत की जाएगी, बशर्ते कि अन्य बातों के साथ-साथ उस परियोजना की भूमि के प्लॉट का आकार न्यूनतम एक एकड़ क्षेत्रफल का हो।

4.3.2.1 केरल, सीआईटी कोझिकोड प्रभार में, एओ ने कचेरी गाँव, कोझिकोड की हाऊसिंग परियोजना के संबंध में धारा 80आईबी(10) के अंतर्गत ₹ 3.13 करोड़ की कटौती अनुमत करने के पश्चात् नवम्बर 2011 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2009-10 के लिए एक व्यक्ति पी.वी. हेमलता की आय का ₹ 0.25 करोड़ और कृषिगत आय ₹ 0.05 करोड़ निर्धारण किया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि परियोजना केवल 70.57 सेंट्स के भूमि प्लाट पर अक्टूबर 2008 में पूर्ण हुई थी। चूँकि परियोजना एक एकड़ से कम क्षेत्रफल वाली जमीन के प्लॉट पर थी, निर्धारिती धारा 80आईबी(10) के तहत छूट का पात्र नहीं था। निर्धारिती को अनुमत ₹ 3.13 करोड़ की अनियमित कटौती के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 1.41 करोड़ राशि के कर की कम उगाही हुई। आईटीडी ने धारा 263 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की (मार्च 2015)।

4.3.3 न्यासों/फर्मों/समितियों/एओपीज को अनियमित छूट/कटौतियाँ/राहत

हमने नीचे चार ऐसे निदर्शी मामले दर्शाए हैं।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 37(1) में प्रावधान है कि कारोबार या व्यवसाय के उद्देश्य से किसी व्यय पर (धारा 30 से 36 में उल्लिखित प्रकृति का न हो और पूँजीगत व्यय या निर्धारिती के व्यक्तिगत व्यय की प्रकृति का न हो) कारोबार या व्यवसाय के लाभ और अर्जन शीर्ष के अंतर्गत प्रभार्य आय की गणना करते समय पूर्णरूपेण या विशेष रूप से छूट अनुमत की जाएगी। इसके अतिरिक्त, धारा(1)(iv) में प्रावधान है कि नियोक्ता को निर्धारिती द्वारा मान्यताप्राप्त निधि अथवा एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि के प्रति योगदान के माध्यम से अदा की गई किसी भी राशि पर छूट अनुमत होगा।

4.3.3.1 तमिलनाडु, सीआईटी 1 मदुरै प्रभार में, एओ ने नि.व. 2009-10 और 2010-11 के लिए दिसम्बर 2011 और मार्च 2013 में संवीक्षा के पश्चात् तृतीकोरीन पोर्ट ट्रस्ट की आय का क्रमशः ₹ 94.15 करोड़ और ₹ 95.75 करोड़ निर्धारण किया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि नि.व. 2008-09 और 2009-10 के लिए (नि.व. 2009-10 और 2010-11 से

संबंधित) लाभ एवं हानि लेखे में ₹ 15.50 करोड़ और ₹ 15.00 करोड़ की राशि के पेंशन भुगतान के प्रति क्रमशः ₹ 12.61 करोड़ और ₹ 15.78 करोड़ से अलग पेंशन एवं ग्रेच्यूटी निधि में योगदान के प्रति डेबिट की गई थी। चूँकि पेंशन एवं ग्रेच्यूटी हेतु भुगतान संबंधित निधि पर प्रभारित है, पेंशन के प्रति ₹ 12.61 करोड़ और ₹ 15.78 करोड़ का भुगतान लाभ एवं हानि लेखे से डेबिट नहीं किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, पेंशन निधि के प्रति योगदान का दावा धारा 36(1)(iv) के तहत स्वीकार्य है और इसलिए धारा 37 के तहत फिर से इसका दावा नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, ₹ 12.61 करोड़ और ₹ 15.78 करोड़ राशि का पेंशन भुगतान व्यय मना कर दिया जाना था और इसे क्रमशः नि.व. 2009-10 और 2010-11 की आय में वापस जोड़ दिया जाना चाहिए था। ऐसी चूक के परिणामस्वरूप ₹ 9.16 करोड़ के कुल कर प्रभाव वाली समान राशि तक आय का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी ने बताया कि नि.वि. 2010-11 के लिए धारा 263 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की गई है और एओ को नि.व. 2009-10 के लिए धारा 147 लागू करने का निर्देश दिया गया है (मई 2015)।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10बी में प्रावधान है कि पिछले वर्ष से संबंधित निर्धारण वर्ष जिसमें उपक्रम वस्तु का निर्माण या उत्पादन करते हैं, जैसा भी मामला हो, के साथ शुरू होने वाले 10 लगातार निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए वस्तुओं या सामानों या कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात से शत प्रतिशत निर्यात-उन्मुख उपक्रम द्वारा प्राप्त ऐसे लाभ और अर्जन की कटौती कुल आय से अनुमत होगी।

4.3.3.2 उत्तर प्रदेश, सीआईटी 1 कानपुर प्रभार में, एओ ने नि.व. 2011-12 के लिए मार्च 2014 में संवीक्षा के पश्चात् एक साझेदारी फर्म, मेहरा ब्रदर्स की आय का निर्धारण ₹ 35.38 लाख करते हुए 11^{वें} लगातार वर्ष के लिए अर्थात् 10 वर्षों की अनुमत सीमा के बाहर (नि.व. 2001-02 से नि.व. 2010-11) ₹ 4.62 करोड़ के लाभ की कटौती का फायदा पहुँचाया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 1.94 करोड़ के कर प्रभाव वाली ₹ 4.62 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी ने बताया कि इसने धारा 263 के तहत कार्रवाई शुरू किया था (मई 2015)। धारा 263 के तहत कार्यवाहियों के दौरान, निर्धारिती ने ₹ 4.66 करोड़ की राशि को वापस लौटा दिया था और नि.व. 2011-12 के लिए कर चालान जमा किया (मई 2015)।

4.3.3.3 आंध्र प्रदेश, डीआईटी(छूट) हैदराबाद प्रभार में, एओ ने दिसम्बर 2011 में संवीक्षा के पश्चात् नि.व. 2009-10 के लिए एक निर्धारिती, **नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन**, की आय का निर्धारण ₹ 23.76 करोड़ किया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने आयकर के प्रति ₹ 3.04 करोड़ की राशि डेबिट की थी (वर्ष 2006-07 से संबंधित ₹ 0.92 करोड़ तथा वर्ष 2007-08 से संबंधित ₹ 2.12 करोड़)। चूँकि अदा किए गए आयकर को व्यय के रूप में नहीं माना जा सकता और अनुमत नहीं किया जा सकता, इसे वापस आय में जोड़कर कर निकाला जाना चाहिए था। इस चूक के परिणामस्वरूप इतनी राशि की आय की कम संगणना हुई जिसके फलस्वरूप ब्याज सहित ₹ 1.31 करोड़ की कम माँग की गई। *आईटीडी ने धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत त्रुटि में सुधार किया (मार्च 2014)।*

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसार किसी व्यक्ति के वर्ष की कुल आय की गणना करने में कृषि आय के अंतर्गत आने वाली कोई भी आय निर्धारिती की कुल आय में शामिल नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त चाय निर्माता के विशेष मामले से संबंधित आयकर नियमावली, 1962 के नियम 8 के मामले में विक्रेता द्वारा उगाई और बनाई गई चाय की भारत में बिक्री से होने वाली आय को कारोबार से हुई आय के रूप में संगणना की जाएगी और ऐसी आय के 40 प्रतिशत आय पर कर लगाया जाएगा।

4.3.3.4 पश्चिम बंगाल, प्रधान सीआईटी-XII, कोलकाता प्रभार में एओ ने नि.व. 2012-13 के लिए मार्च 2014 में संवीक्षा के पश्चात एक फर्म, **आत्माराम एण्ड कंपनी** की आय ₹ 2.74 करोड़ निर्धारित की। निर्धारिती चाय की खेती और इसके उत्पादन में संलग्न था और करयोग्य आय के रूप में लाभ का 40 प्रतिशत प्रस्तुत की थी। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारिती ने वर्ष के दौरान कुल ₹ 33.07 लाख किग्रा चाय का उत्पादन एवं विक्रय किया और ₹ 5.97 करोड़ का लाभ अधिशेष दर्शाया। वर्ष के दौरान बेची गई चाय की कुल मात्रा में से 14.43 लाख किग्रा चाय खरीदी गई चाय की हरी पत्तियों से बनाई गई थी और न कि निर्धारिती द्वारा उगाई गई थी। अतः निर्धारिती द्वारा खरीदी गई चाय की हरी पत्तियों से तैयार चाय की बिक्री से अर्जित ₹ 2.60 करोड़ का समानुपातिक 100 प्रतिशत लाभ आयकर नियम के नियम 8 के तहत लाभ हेतु अर्हक नहीं है, इसलिए सम्पूर्ण लाभ पर कारोबार आय के रूप में कर लगाया जाना चाहिए था। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 59.89 लाख के कर प्रभाव वाली ₹ 1.56 करोड़ आय (₹ 2.60 करोड़ का 60 प्रतिशत) का कम निर्धारण हुआ। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की (अगस्त 2015) और जनवरी 2015 में धारा 147 के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई की।*

4.3.4 कारोबार व्यय की गलत अनुमति

हमने नीचे ऐसे चार निदर्शी मामले दर्शाए हैं।

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार एओ को संवीक्षा निर्धारण में आय की सही गणना और उसका निर्धारण करना पड़ता है। सीबीडीटी ने एओ और अपने पर्यवेक्षण अधिकारियों को समय-समय पर निर्देश भी जारी किया था कि समीक्षा निर्धारण में त्रुटि न हो।

4.3.4.1 तमिलनाडु, सीआईटी-1 चेन्नई प्रभार में, एओ ने नि.व. 2009-10 के लिए दिसम्बर 2011 में संवीक्षा के पश्चात् **तमिलनाडु कोआपरेटिव स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड** की आय ₹ 1.97 करोड़ निर्धारित की। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि ₹ 140.24 करोड़ राशि, लाभ एवं हानि लेखे में 'डाउनसीजिंग में ब्लॉकड एसएआरडीबी एफएस वेबर में अंतर का प्रावधान' के प्रति डेबिट कर दी गई थी। चूँकि उपरोक्त राशि गैर-सांविधिक रिजर्व के प्रति मात्र एक प्रावधान था, यह एक स्वीकार्य व्यय नहीं है। इसकी अननुमति के परिणामस्वरूप ₹ 47.67 करोड़ कर की कम उगाही के साथ ₹ 140.24 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की (नवम्बर 2015) और मार्च 2013 में धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की।*

4.3.4.2 हरियाणा, सीआईटी पंचकुला प्रभार में, एओ ने नि.व. 2009-10 के लिए ₹ 12.35 करोड़ पर **हरियाणा स्टेट को आपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड** का दिसम्बर 2011 में निर्धारण किया। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि ₹ 3.01 करोड़ की राशि बैंक के कृषि क्रेडिट स्थायीकरण निधि में क्रेडिट दी गई थी (₹ 100.29 करोड़ की कृषि क्रेडिट स्थायीकरण निधि के अर्द्ध शेष के तीन प्रतिशत पर प्रभारित)। उक्त राशि को बैंक द्वारा अदा किए गए ब्याज के करण व्यय में शामिल किया गया था और कृषि क्रेडिट स्थायीकरण निधि के अतिरिक्त के रूप में दर्शाया गया था जो रिजर्व और अधिशेष का एक भाग है। चूँकि रिजर्व और अधिशेष में जोड़ना लाभ के प्रति एक विनियोजन है और न कि लाभ एवं हानि लेखे पर प्रभार, इसे करयोग्य आय में दुबारा जोड़ा जाना चाहिए था। ऐसी चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1.24 करोड़ के कर की कम उगाही सहित ₹ 3.01 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की (नवम्बर 2015) और जुलाई 2014 में धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की।*

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी में प्रावधान है कि कुछ व्यय के प्रति कटौती तभी की जाएगी जब आयकर विवरणी दाखिल करने की निर्धारित तिथि से पूर्व अथवा पिछले वर्ष में इसे वास्तव में अदा किया गया हो।

4.3.4.3 उत्तर प्रदेश, सीआईटी मेरठ प्रभार में, एओ ने नि.व. 2008-09 के लिए दिसम्बर 2010 में संवीक्षा के पश्चात् ₹ 1.83 करोड़ की हानि पर एक सहकारी समिति, रामला सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड का निर्धारण करते समय उपाजित और देय लेकिन अदा न किए ब्याज के लिए ₹ 3.64 करोड़ अनुमत किया। चूँकि आयकर विवरणी फाइल करने की निर्धारित तिथि तक सरकारी खाते में राशि जमा नहीं की गई थी, इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 36.17 लाख का सकारात्मक कर प्रभाव पड़ा और कुल कर प्रभाव ₹ 85.13 लाख हुआ। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की (नवम्बर 2015) और मार्च 2013 में 143(3) के साथ पठित धारा 147 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की।*

4.3.4.4 ओड़िसा, सीआईटी कटक प्रभार में, एओ ने नि.व. 2009-10 के लिए नवम्बर 2011 में हानि को अग्रेनीत हानियों को सेटिंग ऑफ करने के पश्चात् निर्धारिती द कटक डेवलपमेंट अर्थारिटी की आय की 'शून्य' गणना की। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने भूमि प्रीमियम के प्रति अपने लाभ एवं हानि लेखे में ₹ 3.50 करोड़ डेबिट किया था जो पूँजीगत व्यय की प्रकृति का है। गैर अनुमत व्यय की अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 1.18 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 3.50 करोड़ तक की आय का कम निर्धारण हुआ। *आईटीडी ने गलती स्वीकार की और धारा 263/143(3) के तहत गलती में सुधार किया (मार्च 2015)।*

4.3.5 मूल्यहास/कारोबार हानियों/पूँजीगत हानियों में अनियमिततायें

हमने नीचे दो ऐसे निदर्शी मामले दर्शाए हैं:

आयकर नियम, 1962 के नियम 5 के अनुसार धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के तहत अनुमति, परिसंपत्तियों के किसी ब्लॉक पर मूल्यहास परिसंपत्तियों की ऐसे ब्लॉक के अवलेखित मूल्य पर आयकर नियमों के परिशिष्ट-1 में विनिर्दिष्ट प्रतिशतता पर गणना की जाएगी जैसे कि पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय निर्धारिती के कारोबार या व्यवसाय के उद्देश्य हेतु प्रयोग किया गया हो। इसके अतिरिक्त, मुख्यतः आवासीय प्रयोजनार्थ प्रयुक्त होने वाले भवनों के अलावा भवनों पर मूल्यहास की दर 10 प्रतिशत है और ऐसे भवनों में सड़कें, पुल, पुलिया, कुएँ, नलकूप शामिल हैं (आयकर नियमावली 1962 के नए परिशिष्ट-1 के नीचे टिप्पणी 1)।

4.3.5.1 पश्चिम बंगाल, प्रधान सीआईटी-IX कोलकाता प्रभार में, एओ ने मार्च 2013 में संवीक्षा के पश्चात् नि.व. 2010-11 के लिए ₹ 46.11 करोड़ की

निवल हानि मानते हुए एक स्थानीय प्राधिकरण, **हल्दिया विकास प्राधिकरण** का निर्धारण किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारिती को ₹ 57.02 करोड़ का मूल्यहास किया गया था जिसमें सड़कों पर ₹ 17.29 करोड़ का मूल्यहास शामिल था। आगे यह भी देखा गया कि 10 प्रतिशत अनुमत दर की बजाए सड़कों पर 100 प्रतिशत मूल्यहास दर अनुमत किया गया था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 4.81 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 15.56 करोड़ के अधिक मूल्यहास की अनुमति दी गई। *आईटीडी का उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।*

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 72 के अनुसार, 'कारोबार आय' शीर्ष के तहत अनुमत न की गई कोई हानि अग्रणीत नहीं की जाएगी। और आगामी वर्षों की कारोबार आय के प्रति मुआवजा नहीं दिया जाएगा जब तक कि हानि की विवरणी निर्धारित तिथि से पूर्व फाइल नहीं की जाती है। इसके अतिरिक्त, धारा 2(11) में परिसंपत्तियों के 13 ब्लॉकों का प्रावधान है जिस पर अधिनियम में प्रावधानों के अनुसार मूल्यहास अनुमन्य है। भूमि, परिसंपत्तियों के किसी भी ब्लॉक में नहीं आती और इसलिए मूल्यहास की अनुमति हेतु अर्हक नहीं है।

4.3.5.2 बिहार, सीआईटी । 'पटना प्रभार में, मार्च 2014 में संवीक्षा के पश्चात ₹ 1.03 करोड़ के अनावशोषित मूल्यहास सहित ₹ 8.12 करोड़ की हानि पर एक स्थानीय प्राधिकरण, **बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण पटना** का नि.व. 2011-12 के लिए निर्धारण किया गया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि धारा 139(1) के बहत आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि 30 सितम्बर 2011 के प्रति नि.व. 2011-12 के लिए आयकर विवरणी 26 मार्च 2012 को फाइल की गई थी। जैसा कि निर्धारिती की आय शून्य और कारोबार हानि ₹ 7.09 करोड़ निर्धारित की जानी चाहिए थी और उसे अग्रणीत करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। आगे यह भी देखा गया कि निर्धारिती ने भूमि विकास, भूमि अधिग्रहण और क्षेत्रीय विकास पर दावा किया था और ₹ 50.31 लाख का मूल्यहास अनुमत किया गया था जो अनुमन्य नहीं था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 2.35 करोड़ के प्रभावी कर प्रभाव वाली ₹ 50.31 लाख की मूल्यहास हानि और ₹ 7.09 करोड़ की कारोबार हानि अग्रणीत करने की गलत अनुमति हुई। *आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की (सितम्बर 2014) और यह बताया कि सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।*

4.4 चूकों के कारण निर्धारण से छूटने वाली आय

4.4.1 अधिनियम में प्रावधान है कि किसी पूर्व वर्ष के लिए एक व्यक्ति की कुल आय में किसी भी स्रोत से आर्जित आय, वास्तव में प्राप्त अथवा प्राप्त होने वाली या प्राप्ति या प्राप्ति हेतु मांग से सभी आय शामिल होंगी। हमने देखा कि निर्धारण अधिकारी ने कुल आय का निर्धारण नहीं किया/कम किया जिस पर कर लगाया जाना था। टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों के कार्यान्वयन में भी चूक हुई थी जिससे कर लगाना छूट गया। तालिका 4.3 उप श्रेणियां दर्शाती है जियके कारण चूकवश आय निर्धारण से छूट गई।

तालिका 4.3 चूकों के कारण निर्धारण से छूटने वाली आय			(₹ करोड़ में)
उप श्रेणियां	सं.	टीई	राज्य
क. पूंजीगत अर्जन का गलत वर्गीकरण और संगणना	03	1.41	गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान।
ख. आय की गलत संगणना	13	10.26	असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड।
ग. टी.डी.एस./टी.एस.एस. के प्रावधानों के कार्यान्वयन में चूक	05	2.88	गुजरात, झारखंड और पश्चिम बंगाल।
घ. अस्पष्ट निवेश/नकद क्रेडिट	06	2.38	छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल।
ड. संपत्ति कर की गैर/कम उगाही	06	0.18	गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल
कुल	33	17.11	

4.4.2 पूंजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण और संगणना

हमने नीचे ऐसा एक निदर्शी मामला दर्शाया है।

4.4.2.1 गुजरात, प्रधान सीआईटी-IV, अहमदाबाद प्रभार में, एओ ने नि.व. 2009-10 के लिए नवंबर 2011 में संवीक्षा के पश्चात एक व्यक्ति, **मयूर मुकुंदभाई देसाई** की आय का ₹ 0.69 करोड़ निर्धारण किया जिसे बाद में जून 2012 में धारा 250 के तहत संशोधित करके 0.66 करोड़ कर दिया। निर्धारिती ने धारा 10(36) के तहत शेयरों की बिक्री पर ₹ 2.32 करोड़ के दीर्घावधि पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) की छूटप्राप्त आय का दावा किया और आय के विभिन्न शीर्षों के तहत कुल आय से शेयरों की बिक्री पर ₹ 0.67 करोड़ की अल्पावधि पूंजीगत हानि (एसटीसीएल) को समायोजित

किया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि उन शेयरों का निवेश के रूप में प्रकटन नहीं किया गया था जैसा कि निर्धारिती द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया था और इस प्रकार एसटीसीजी और एसटीसीएल के रूप में दावित अंतरणों को कारोबार आय के रूप में माना जाना चाहिए था और उस पर कर लगाना चाहिए था। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 0.23 करोड़ के संभावित कर और ब्याज सहित ₹ 0.97 करोड़ कर की कम वसूली हुई। आईटीडी ने धारा 147 के साथ पठित धारा 143 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की (मार्च 2015)।

4.4.3 आय की गलत संगणना

हमने नीचे चार ऐसे निदर्शी मामले दर्शाये हैं:

धारा 143(3) में प्रावधान है कि एओ आय का सही अवधारण एवं निर्धारण करें। विवरणी के साथ संलग्न खातों, अभिलेखों और सभी दस्तावेजों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के दावों की संवीक्षा निर्धारणों के विवरण में जांच की जाए। सीबीडीटी ने भी इस संबंध में समय-समय पर निर्देश जारी किए हैं।

4.4.3.1 उत्तर प्रदेश, सीआईटी, गाज़ियाबाद प्रभार में एओ ने नि.व. 2009-10 के लिए दिसंबर 2011 में संवीक्षा के पश्चात ₹ 133.17 करोड़ हानि पर **एओपी, गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण** का निर्धारण किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि निर्धारिती ने मार्च 2008 में हापुड पिलखुआ विकास प्राधिकरण (एचपीडीए) को ब्याज पर ₹ 51.71 करोड़ का ऋण दिया था, उस पर प्राप्त ब्याज को आय के रूप में नहीं दर्शाया था। ब्याज को फिर से जोड़ने की चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1.96 करोड़ के संभावित कर वाली ₹ 5.80 करोड़ हानि का अधिक निर्धारण हुआ। आईटीडी ने धारा 263/143(3) के तहत त्रुटि में सुधार किया (मार्च 2015)।

4.4.3.2 झारखंड, सीआईटी रांची प्रभार में, दिसंबर 2012 में एक फर्म का निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए, झारखंड ट्रेडिंग कंपनी ₹ 3.82 लाख की आय पर संवीक्षा निर्धारण किया गया। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि नि.व. 2009-10 के लिए लाभ एवं हानि खाते के अनुसार फर्म द्वारा की गई कुल खरीद ₹ 29.12 करोड़ दर्शाई गई थी, जबकि निर्धारिती के डिपो के क्रय बही-खाते में ₹ 32.75 करोड़ की खरीद शामिल की गई थी। क्रय खाते में ₹ 3.63 करोड़ राशि के अंतर पर संवीक्षा निर्धारण में ध्यान नहीं दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 1.49 करोड़ कर के कम उद्ग्रहण वाली उतनी ही राशि के बराबर राशि तक आय का कम निर्धारण हुआ।

मंत्रालय में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की (नवंबर 2015) और मई 2015 में धारा 147 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 28 के प्रावधानों के अनुसार, निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष के दौरान किसी समय किए गए किसी कारोबार या व्यवसाय से प्राप्त लाभ और आय पर कारोबार अथवा व्यवसाय के लाभ या आय शीर्ष के तहत आयकर प्रभारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त धारा 40ए(3) के प्रावधानों के अनुसार, जहां निर्धारिती के ₹ 20,000 से अधिक किसी बैंक से आहरण किए गए खाते में दिये चैक या खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा किसी दिन किसी व्यक्ति को किए गए भुगतानों का भुगतानों के औसत के संबंध में कोई व्यय करता है, वहाँ ऐसे व्यय के संबंध में कोई कटौती अनुमत नहीं होगी।

4.4.3.3 छत्तीसगढ़, सीआईटी रायपुर में एओ द्वारा नि.व. 2008-09 के लिए एक व्यक्ति **अतुल कुमार सिन्हा** की आय का अक्टूबर 2010 में संवीक्षा के पश्चात निर्धारण ₹ 0.09 करोड़ किया गया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निर्धारिती ने लाभ एवं हानि खाते में ₹ 0.40 करोड़ की कुल प्राप्ति दर्शायी थी जबकि आय की संगणना के अनुसार कुल प्राप्ति ₹ 2.28 करोड़ दर्शायी गई थी। इसके अलावा, निर्धारिती ने 'राहुल कोम्यूनिकेशन' को ₹ 0.45 लाख का नकद भुगतान किया था, तथापि, विभाग ने इस राशि को निर्धारिती की आय में नहीं जोड़ा। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 1.88 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ब्याज सहित ₹ 0.81 करोड़ के कम कर का उदग्रहण किया गया। *आयकर विभाग ने धारा 147 के तहत गलती में परिशोधन किया (मार्च 2014)।*

4.4.3.4 उत्तराखण्ड में सीआईटी हल्दवानी प्रभार के एओ ने एक व्यक्ति **संजय कुमार चौहान** का नि.व. 2010-11 के लिए अप्रैल 2012 में संवीक्षा के बाद ₹ 0.13 करोड़ की आय पर निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि यद्यपि निर्धारिती लेखाकंन की मर्केटाइंडल प्रणाली का अनुसरण कर रहा था फिर भी उसने अपने लाभ और हानि खाते में बही खाते के अनुसार ₹ 3.92 करोड़ के प्रति ₹ 3.07 करोड़ की ठेका प्राप्ति की गणना की। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 0.85 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 0.33 करोड़ के कर का कम उदग्रहण शामिल था। *आयकर विभाग ने धारा 148 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ की थी (मार्च 2015)।*

4.4.4 टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों के कार्यान्वयन में चूकें

नीचे हम ऐसे दो निदर्शी मामले दे रहे हैं।

धारा 40(ए)(आईए) में उन भुगतानों के लिए व्यय की कटौती का प्रावधान किया गया है जहां टीडीएस की कटौती नहीं की गई या कटौती के बाद, देय तिथि या उस से पूर्व, जमा नहीं किया गया, उसे अनुमत नहीं होगा।

4.4.4.1 सीआईटी रांची प्रभार, झारखण्ड में एक व्यक्ति, **ओम प्रकाश सिंह** का नि. व. 2010-11 के लिए संवीक्षा निर्धारण दिसम्बर 2012 में ₹ 0.58 करोड़ की आय पर किया गया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि एओ ने उप-ठेकेदार को किए गए ₹ 4.65 करोड़ के भुगतान जिस पर कर स्रोत पर नहीं काटा गया था, की अनुमति दी थी। चूंकि कर की कटौती नहीं की गई थी, इसलिए ₹ 4.65 करोड़ के भुगतान को अस्वीकृत करने की आवश्यकता थी। ऐसी चूक के परिणामस्वरूप ₹ 4.65 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ब्याज सहित ₹ 1.86 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। *आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा आपति को स्वीकार किया (जनवरी 2015) और कहा कि धारा 147 के अन्तर्गत सुधारात्मक कार्रवाई की गई है।*

4.4.4.2 सीआईटी-बुर्दवान, कोलकाता प्रभार, पश्चिम बंगाल में एक व्यक्ति विष्णु घोष का नि.व 2008-09 के लिए निर्धारण दिसम्बर 2010 में संवीक्षा के बाद ₹ 9.13 लाख की आय अवधारित करते हुए पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि एओ ने मजदूरी प्रभार और जॉब कार्यों के लिए ₹ 0.69 करोड़ के भुगतान की अनुमति दी थी जिस पर कर की कटौती की गई थी किन्तु उसे निर्धारण वर्ष के लिए रिटर्न फाइल करने की देय तिथि के अंदर जमा नहीं किया गया था। चूंकि कर देय तिथि के अन्दर जमा नहीं करवाया गया था इसलिए ₹ 0.69 करोड़ के भुगतान का अस्वीकृति करना आवश्यक था। ऐसा करने में चूक के परिणामस्वरूप ₹ 0.69 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ब्याज सहित ₹ 0.31 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। *आयकर विभाग ने धारा 263 के अन्तर्गत गलती में परिशोधन किया (जनवरी 2014)।*

4.4.5 अस्पष्ट निवेश

हम नीचे ऐसा एक निदर्शी मामला दर्शा रहे हैं।

4.4.5.1 सीआईटी (केन्द्रीय) XXV कोलकाता प्रभार, पश्चिम बंगाल में एओ ने एक व्यक्ति, **मदन मोहन चौधरी** का नि.व. 2008-09 के लिए निर्धारण दिसम्बर 2010 में धारा 144 के अन्तर्गत ₹ 1.91 करोड़ की आय पर पूरा किया, जिसे दिसम्बर 2011 में धारा 144 के साथ पठित धारा 263 के

अन्तर्गत आगे ₹ 4.82 लाख की आय पर संशोधित किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि मूल निर्धारण में एओ ने अस्पष्ट नकद जमा के ₹ 1.86 करोड़ की राशि को जोड़ा। आगे यह देखा गया कि उक्त निर्धारण आदेश को धारा 263 के तहत परित आदेश द्वारा निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ अलग रख दिया गया कि वह उचित जांच के बाद नया निर्धारण बनाए और निर्धारिती को सुनने का उचित और यथोचित अवसर दिया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने ₹ 1.86 करोड़ के अस्पष्ट नकद जमा को हटा दिया और केवल ₹ 3.72 लाख की राशि को कमीशन आय के रूप में जोड़ा यद्यपि विभाग ने न तो निर्धारिती या अस्पष्ट नकद जमा के लाभार्थियों से कोई नया तथ्य या सूचना प्राप्त की थी। अस्पष्ट स्त्रोतों से आय को शामिल करने में चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1.86 करोड़ की आय निर्धारण से बच गई जिसमें ₹ 0.92 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था। *आयकर विभाग ने धारा 147 के तहत गलती में परिशोधन किया (नवम्बर 2014)।*

4.4.6 धन कर का अनुदग्रहण/कम उदग्रहण

मई 2015 से सितम्बर 2015 के दौरान मंत्रालय ने ₹ 0.18 करोड़ के कर प्रभाव वाले धन कर के छः मामले सूचित किए। हमने पाया कि एओ ने गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में इन मामलों में सीबीडीटी के निर्देशों⁵¹ का अनुपालन नहीं किया। हम नीचे ऐसा एक निदर्शी मामला दे रहे हैं:

4.4.6.1 सीआईटी-III बेंगलोर प्रभार, कर्नाटक में एओ ने एक व्यक्ति **लोहित पुनीत राजकुमार** की नवम्बर 2012 में नि.व. 2010-11 के लिए आयकर निर्धारण संवीक्षा पूर्ण की। आय कर निर्धारण अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती के पास निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए ₹ 4.05 करोड़ का निवल धन (अचल और चल परिसप्तियां) था। तथापि निर्धारिती ने न तो विवरणी दाखिल की और न ही विभाग ने कोई धन कर निर्धारण कार्रवाई प्रारंभ की। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 3.75 लाख के परिणामी कर प्रभाव सहित ₹ 4.05 करोड़ के धन का छिपाव हुआ। निर्धारिती ने विवरणी दाखिल की (मई 2014) और निर्धारण पूर्ण किया गया (अक्टूबर 2014) जिसमें धारा 16(3) के साथ पठित धारा 17 के तहत निवल धन विवरणी स्वीकार की और ₹ 4.18 लाख की मांग की जिसका निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया (मई 2014)।

51 एओ को सीबीडीटी के निर्देश नवम्बर 1973, अप्रैल 1979 और सितम्बर 1984 में जारी किए गए थे।

4.5 कर/ब्याज का अति प्रभार

4.5.1 हमने दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, ओडिसा, पंजाब और यूटी चण्डीगढ़ में सात मामलों में आय का अधिक निर्धारण पाया जिसमें ₹ 11.0 करोड़ के कर/ब्याज का अति प्रभार शामिल था। हमने नीचे दो ऐसे निदर्शी मामले दिए हैं।

4.5.1.1 सीआईटी (केन्द्रीय)-I प्रभार, दिल्ली में एक व्यक्ति, **संजय कुमार** का नि.व. 2010-11 के लिए निर्धारण ₹ 89.54 करोड़ की आय और उस पर ₹ 30.42 करोड़ के कर पर पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया इस तथ्य के बावजूद कि निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए आय कर पर अधिभार के उदग्रहण के लिए कोई प्रावधान नहीं था, लागू कर पर अधिभार के रूप में ₹ 2.69 करोड़ की राशि उदग्रहीत की गई थी। गलती के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 4.04 करोड़ का कर अधिक प्रभारित हुआ। *आयकर विभाग ने गलती को स्वीकार किया और धारा 154 के अन्तर्गत उसमें सुधार किया (नवम्बर 2013)।*

4.5.1.2 सीआईटी केन्द्रीय गुडगांव प्रभार, हरियाणा में **स्वामी देवी दयाल हाईटेक एडुकेशनल अकादमी** के मामले में नि.व. 2008-09 और 2009-10 के लिए निर्धारण जुलाई 2011 में धारा 143(3) के साथ पठित धारा 153ए(1)(बी) के तहत पूरा किया गया था। तदन्तर अपील प्रभाव देते समय कर योग्य आय को संशोधित कर निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए ₹ 23.37 करोड़ और नि.व. 2009-10 के लिए ₹ 18.21 करोड़ कर दिया गया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि यद्यपि निर्धारण निर्धारिती को एओपी के रूप में मानकर पूरा किया गया था फिर भी कर मांग की गणना सोसाइटी को लागू दरों पर की गई थी। कर की गलत दरों को लागू करने में त्रुटियों के परिणामस्वरूप ₹ 3.03 करोड़ (नि.व. 2008-09 के लिए ₹ 1.91 करोड़ और नि.व. 2009-10 के लिए ₹ 1.12 करोड़) तक की राशि का कर और ब्याज अति प्रभारित हुआ।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया (नवम्बर 2015) और दिसम्बर 2014 में दोनों नि.व. के लिए धारा 154 के अन्तर्गत गलती को सुधारा।

अध्याय V: अंतरण मूल्य निर्धारण

5.1 प्रस्तावना

अंतरण मूल्य निर्धारण (टीपी) का संदर्भ दो संबंधित सत्त्वों के बीच सीमा पार लेन देन के मूल्य निर्धारण से है। जब दो संबंधित सत्त्व कोई सीमा पार लेन देन करते हैं तो मूल्य जिस पर वह अपना लेन देन करते हैं को अंतरण मूल्य कहते हैं। संबंधित कम्पनियों के बीच विशेष संबंधों के कारण अंतरण मूल्य असंबंधित कम्पनियों के बीच सहमत हुई कीमत से भिन्न हो सकता है। अनियंत्रित परिस्थितियों में असंबंधित पार्टियों के बीच मूल्य को 'आर्मस लेन्थ प्राइस' (एएलपी) के रूप में जाना जाता है। अतः अंतरण मूल्य सीमा पार लेन देन में शामिल पार्टियों की आय निर्धारित करता है।

वित्तीय अधिनियम 2001, में अंतरण मूल्य निर्धारण विनियमावली प्रारंभ की गई थी जिसके प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 (अधिनियम) में पूर्व अधिनियम की धारा 92 के प्रतिस्थापन में धारा 92 से 92एफ में लागू करते हुए समाविष्ट किए गए थे। आय कर नियमावली, 1962 (नियमावली) के नियम 10ए, 10बी, 10सी, और 10ई टीपी विनियमों के पूरक को भी नियमों में समाविष्ट किया गया है। यह प्रावधान 'संबद्ध उद्यमों' (एई) या विशिष्ट घरेलू लेन देनों⁵² के साथ 'अन्तर्राष्ट्रीय लेन देनों' से उद्भूत आय की गणना से संबंधित हैं। विनियमावली में प्रावधान है कि एक अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेन से उद्भूत किसी भी आय की संगणना एएलपी का ध्यान में रखकर की जानी चाहिए।

अधिनियम और समय समय पर जारी सीबीडीटी के निर्देश के अनुसार अपनाई गई प्रक्रिया का बॉक्स 5.1 में विस्तृत विवरण दिया गया है।

बॉक्स 5.1 अंतरण मूल्य निर्धारण के प्रावधान


धारा 92 सी के अन्तर्गत एएलपी की संगणना अन्तरण मूल्य निर्धारण अधिकारी (टीपीओ) को संदर्भित की जानी चाहिए। टीपीओ को, निर्धारिती की सुनने के बाद, उसके द्वारा दिए गए साक्ष्य और किसी विशिष्ट बिन्दु पर यथा अपेक्षित साक्ष्य पर विचार करने के बाद और सभी प्रासंगिक सामग्रियों के ध्यान में रखने के बाद, जो उसने इक्वेटा किया हों, लिखित में आदेश द्वारा, धारा 92सीए(3) के प्रावधानों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेनों के संबंध में एएलपी के निर्धारण और निर्धारण अधिकारी (एओ) निर्धारिती को निर्धारण आदेश को अन्तिम रूप देने के लिए अपने आदेश की एक प्रति भेजेगा। धारा 92सी(2) में प्रावधान है कि एएलपी और अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेन का मूल्य जिस पर वास्तव में लेनदेन हुआ के बीच का अन्तर, उसके पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसे एएलपी माना जाए। धारा 144सी(5) के अन्तर्गत, विवाद निपटान पैनल (डीआरपी) एओ को निर्देश देने के लिए जैसा उसे ठीक लगेगा निर्देश जारी करेगा ताकि वह टीपीओ की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद

52 01.04.2013 से वित्तीय अधिनियम, 2012 द्वारा समाविष्ट

निर्धारण पूरा कर सके। धारा 92डी(1) में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति जो अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेन करता है, आयकर नियमावली के नियम 10डी में जैसा निर्धारित है ऐसी सूचना और दस्तावेज रखेगा और उसका अनुरक्षण करेगा। इसके अलावा धारा 92ई के अन्तर्गत वह व्यक्ति जो अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेन करता है को निर्धारित फार्म 3सीईबी में लेखाकार से रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेनों के सभी सुसंगत विवरण होंगे।

चार्ट 5.1 आईटीडी द्वारा अंतरण मूल्य निर्धारण लेखापरीक्षा प्रक्रिया और अपनाए गए विभिन्न स्तरों को दर्शाता है।

चार्ट 5.1: अंतरण मूल्य निर्धारण लेखापरीक्षा प्रक्रिया




5.2 विवाद समाधान पैनल

विवादों के सुलझाने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए, वित्तीय अधिनियम 2009 ने विवाद समाधान पैनल (डीआरपी) की अवधारणा प्रारंभ की ताकि एक वैकल्पिक विवाद निपटान तंत्र प्रदान किया जा सके जो अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेनों में अन्तरण मूल्य निर्धारण से संबंधित विवादों का शीघ्र समाधान कर सकेंगे। धारा 144सी डीआरपी से संबंधित प्रावधानों को शासित करती है और धारा 144सी की उप धारा 15 डीआरपी को एक कोलोजियम के रूप में परिभाषित करती है जिसमें तीन प्रधान कमिश्नर या आय कर कमिश्नर (सीआईटी) शामिल हैं जो इस उद्देश्य के लिए सीबीडीटी द्वारा गठित की गई है। धारा 144सी की उप धारा (14) द्वारा दी गई शक्तियों के उपयोग में सीबीडीटी डीआरपी के दक्षपूर्ण कार्य के उद्देश्यों के लिए और योग्य निर्धारितियों द्वारा उप धारा (2) के अन्तर्गत दर्ज आपत्तियों के शीघ्र समाधान के लिए नियम बना सकता है।

चार्ट 5.2 अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित को उपलब्ध विवाद निपटान प्रक्रिया दर्शाता है।

चार्ट 5.2: विवादों के निपटान की प्रक्रिया



5.3 अन्तरण मूल्य निर्धारण आदेशों पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष

हमने अहमदाबाद, हैदराबाद और मुम्बई के टीपीओ द्वारा जनवरी 2014 से जनवरी 2015 के दौरान पारित टीपी आदेशों का चयन किया हम नीचे 10 उच्च मूल्य वाले मामले दे रहे हैं जिनमें टीपीओ ने एएलपी और उसके समायोजन में त्रुटियां की हैं।

5.3.1 सीआईटी (टीपी)-3, मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में टीपीओ ने नवम्बर 2014 में नि.व. 2011-12 के लिए धारा 92सीए(3) के अन्तर्गत निर्धारिती कम्पनी (रिलायन्स मीडिया वर्क्स लिमिटेड) का कॉरपोरेट गारंटी के अन्तर्राष्ट्रीय लेन देनों और संबंधित उद्यमों (एई) से उन्हें दिए गए ऋण पर वसूली योग्य ब्याज के लिए ₹ 30.63 करोड़ के समायोजन का आदेश पास किया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि टीपीओ ने अपने आदेश में उसकी सहायक कम्पनी आरएमडब्ल्यू यूएसए इंक को दिए गए बकाया/नए ऋण पर 12.69 प्रतिशत की दर पर ब्याज प्रभारित करने का प्रस्ताव दिया ताकि लेनदेन की एएलपी का निर्धारण हो सके। तथापि टीपीओ ने ₹ 18.18 करोड़ के बकाया ऋण पर ब्याज की संगणना नहीं की जिसके परिणामस्वरूप बराबर राशि का कम समायोजन हुआ। इसके अलावा, यूके शेयर धारक कम्पनी को दिए गए बकाया/नए ऋण पर ब्याज की संगणना करते समय, कुल ब्याज राशि ₹ 3.91 करोड़ के बजाय ₹ 3.79 करोड़ जोड़ी गई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.12 करोड़ का कम समायोजन हुआ। उपरोक्त त्रुटियों के परिणामस्वरूप ₹ 18.30 करोड़ का कुल कम समायोजन हुआ। *मंत्रालय ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2015) और नवम्बर 2015 में धारा 154 के साथ पठित धारा 92सीए(5) के अन्तर्गत सुधारात्मक कार्रवाई की।*

5.3.2 सीआईटी (टीपी)-4 मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में टीपीओ ने नि.व. 2011-12 के लिए जनवरी 2015 में निर्धारिती कम्पनी (वेदान्ता एल्यूमिनियम लिमिटेड) को धारा 92सीए(3) के तहत एई के ऋण पर ब्याज के भुगतान के संबंध में ₹ 2.30 करोड़ का समायोजन किया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने अपनी एई (वेल्टर ट्रेडिंग लिमिटेड, साइप्रस) से जापानी येन में ऋण के लिए (यूएस \$400 मिलियन के बराबर) के लिए एक एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग (ईसीबी) ऋण करार किया। चूंकि ऋण की अवधि पांच वर्षों से अधिक थी, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) परिपत्र⁵³ के अनुसार अधिकतम सम्पूर्ण लागत छः महीने एलआईबीओआर + 500 मूल प्वाइंट थी। तथापि, टीपीओ ने एई को

53 आरबीआई/2008-09/245 ए.पी. (डीआईआरकम) परिपत्र सं. 26 दिनांक 22 अक्टूबर 2008

प्रदत्त आर्मस लेंथ ब्याज की गणना करते समय छः महीने जेपीवाई-एलआईबीओआर ब्याज दर+500 बीपीएस के प्रति 12 माह का जेपीवाई-एलआईबीओआर ब्याज दर + 500 बीपीएस लगे। अतः देय अधिकतम ब्याज दर 5.431 प्रतिशत के बजाय 5.659 प्रतिशत⁵⁴ पर निकाली गई 1 गलती के परिणामस्वरूप आर्मलेंथ ब्याज की गलत गणना हुई जिसका ₹ 29.04 करोड़ के बजाय ₹ 30.26 करोड़ पर भुगतान किया गया, इसके कारण ₹ 1.22 करोड़ का कम समायोजन हुआ। इसके अलावा, निर्धारिती ने अपने एई (वेल्टर ट्रेडिंग लिमिटेड, साइप्रस) के साथ पाँच वर्षों से अधिक के लिए 500 मिलियन यूएस डालर के ऋण के लिए एक और ईसीबी ऋण करार किया। टीपीओ ने 5.923 प्रतिशत⁵⁵ के रूप में देय ब्याज दर पर विचार किया और कोई समायोजन नहीं किया क्योंकि निर्धारिती और एई के बीच लेनदेन आर्मस लेंथ पर था (5.9 प्रतिशत की ब्याज दर के भुगतान पर)। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि टीपीओ ने गलती से छः महीने के लीबोर ब्याज दर+500 बीपीएस के प्रति 12 महीने का यूएस \$ लीबोर ब्याज दर +500 बीपीएस को लेते हुए देय ब्याज दर पर 5.519 प्रतिशत के ब्याज 5.923 के रूप में विचार किया, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारिती द्वारा अपने एई को अत्यधिक ब्याज के भुगतान के कारण ₹ 8.68 करोड़ का कम समायोजन हुआ। इन गलतियों के परिणामस्वरूप ₹ 9.90 करोड़ का कम समायोजन हुआ। मंत्रालय ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2015) और नवम्बर 2015 में धारा 154 के साथ पठित धारा 92सीए(5) के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई की।

5.3.3 सीआईटी (टीपी)-4 मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में टीपीओ ने नि.व. 2011-12 के लिए धारा 92सीए(3) के तहत जनवरी 2015 में ₹ 17.56 करोड़ के समायोजन पर निर्धारिती कम्पनी (थामस कुक इंडिया लिमिटेड) का आदेश पारित किया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि टीपीओ ने ट्रेवल सेगमेंट स्तर के लिए ट्रेड विंग लिमिटेड की तुलना योग्य के लाभ स्तर संकेतक (पीएलआई)⁵⁶ की पुनः गणना की और अशोध्य ऋण को घटाने के बाद लागत का समायोजन किया, तथापि तुलना योग्य के पीएलआई की 28.75 प्रतिशत के बजाय 19.34 प्रतिशत पर संगणना की गई थी जैसा नीचे तालिका 5.1 में दिया गया है:

54 जापानी-येन के अनुसार लीबोर दर 2010 –(<http://www.global-rates.com/interest-rates/libor/american-dollar/2010.aspx>)

55 2010 के यूएस \$ लिबोर दरे–(<http://www.global-rates.com/interest-rates/libor/american-dollar/2010.aspx>)

56 पीएलआई वह अनुपात है जो एक सत्त्व के लाभ और निवेश किए गए संसाधनों या लाभ प्राप्ति पर व्यय की गई लागत के बीच संबंध को मापता है इसकी गणना आपरेटिंग लाभ (ओपी)/आपरेटिंग लागत (ओसी) के रूप में की जाती हैं।

तालिका 5.1: लाभ स्तर संकेतक की संगणना		₹ करोड़ में राशि
विवरण	टीपीओ के आदेश के अनुसार	लेखापरीक्षा के अनुसार
ट्रेवल सेगमेंट के अनुसार बिक्री लागत	16.46	16.46
98.6 प्रतिशत के अनुपात में अशोध्य ऋण घटा	1.20	1.20
समायोजित लागत	12.78	12.78
ट्रेवल सेगमेंट लाभ	2.47	3.68
समायोजित लागत के प्रति ट्रेवल सेगमेंट लाभ की प्रतिशतता	19.34	28.75

इस प्रकार तुलना योग्य के पीएलआई की गलत गणना के परिणामस्वरूप ₹ 3.52 करोड़ का कम समायोजन हुआ। मंत्रालय ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2015) और जून 2015 में धारा 154 के अन्तर्गत सुधारात्मक कार्रवाई की।

5.3.4 सीआईटी (टीपी)-1 मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में टीपीओ ने जनवरी 2015 में नि.व. 2011-12 के लिए धारा 92सीए(3) के अन्तर्गत निर्धारिती कम्पनी (आदित्य बिरला मिनेक्स वर्ल्डवाइड लिमिटेड) का ₹ 13.25 करोड़ के समायोजन पर आदेश पारित किया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि टीपीओ ने एई को दिए गए ऋण पर ब्याज के समायोजन की गणना करते समय 14 जनवरी 2011 से 22 मार्च 2011 तक की ऋण अवधि के लिए 68 दिन के बजाय 22 दिन अपनाए। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 52.59 लाख का कम समायोजन हुआ। मंत्रालय ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2015) और अगस्त 2015 में धारा 154 के साथ पठित धारा 92सीए(5) के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की।

5.3.5 सीआईटी-आईटी एवं टीपी अहमदाबाद प्रभार, गुजरात में, टीपीओ ने जनवरी 2014 में नि.व. 2010-11 के लिए धारा 92सीए(3) के अन्तर्गत निर्धारिती कम्पनी (क्यूएसजी रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड) का ₹ 2.16 करोड़ के समायोजन पर आदेश पारित किया। निर्धारिती ने अपवार्ड समायोजन के प्रति डीआरपी से पूर्व एक संदर्भ किया। टीपीओ ने डीआरपी के निर्देशों के अनुसरण में 15.43 प्रतिशत के तुलना योग्य औसत मार्जिन की पुनः गणना की। चूंकि निर्धारिती का मार्जिन पांच प्रतिशत की रेंज की अनुमत सीमा के अन्दर था इसलिए कोई समायोजन प्रस्तावित नहीं किया गया और तदनुसार दिसम्बर 2014 में धारा 144सी के साथ पठित धारा 143(3) के तहत आदेश पारित कर अपवार्ड समायोजन को कम कर ₹ 'शून्य' कर दिया गया। टीपीओ के आदेश की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि डीआरपी आदेश के निर्देश को

लागू करते समय, एक तुलना योग्य (स्प्रे रिशोसेस) के एक असमायोजित और समायोजित मार्जिन को 33.25 प्रतिशत और 21.63 प्रतिशत के बजाय क्रमशः 15.52 प्रतिशत और 9.42 प्रतिशत लिया गया था जैसा कि धारा 92सीए(3) के तहत पारित आदेश में अपनाया गया था। इसके परिणामस्वरूप, तुलना योग्य के औसत समायोजित मार्जिन की संगणना 16.54 प्रतिशत के बजाय 15.43 प्रतिशत पर की गई थी। चूंकि निर्धारिती द्वारा प्रभारित मूल्य पाँच प्रतिशत की सीमा से बाहर आता है इसलिए ₹ 1.00 करोड़ का अपवर्ड समायोजन अधिनियम के अन्तर्गत किया जाना अपेक्षित था। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा पैराग्राफ को स्वीकार करते समय सूचित किया (दिसम्बर 2015) कि धारा 154 के अन्तर्गत सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है।*

5.3.6 सीआईटी-आईटी एवं टीपी अहमदाबाद प्रभार, गुजरात में, टीपीओ ने अक्टूबर 2014 में नि.व. 2011-12 के लिए धारा 92सीए(3) के तहत निर्धारिती कम्पनी (केएचएस मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड) का आदेश एई के रायल्टी प्रभार (के एचएस जीएमबी एच जर्मनी) के प्रति ₹ 2.27 करोड़ के समायोजन पर पास किया गया। निर्धारिती कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने एई को रायल्टी के भुगतान के प्रति बही खातों में ₹ 3.07 करोड़ का रायल्टी प्रभार डेबिट किया था। अतः रायल्टी लेनदेन के एएलपी के निर्धारण के समय, ₹ 2.27 करोड़ के बजाय लेखे में ₹ 3.07 करोड़ लिए जाने चाहिए थे जैसा कि निर्धारिती द्वारा फार्म 3सीईबी में रिपोर्ट किया गया था। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 0.80 करोड़ का कम समायोजन हुआ। *मंत्रालय ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2015) और सितम्बर 2015 में धारा 154 के साथ पठित धारा 92सीए(5) के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की।*

5.3.7 सीआईटी-आईटी एवं टीपी अहमदाबाद प्रभार, गुजरात में टीपीओ ने जनवरी 2014 में नि.व. 2010-11 के लिए धारा 92सीए(3) के तहत निर्धारिती कम्पनी (क्वीन्टाइल्स टेकनालजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) का आदेश ₹ 17.44 करोड़ के समायोजन पर पास किया था। टीपीओ ने जून 2014 में धारा 154 के साथ पठित निर्धारिती द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर धारा 92सीए(5) के तहत गलती को सुधारा और अग्रिमों पर ब्याज के कारण ₹ 6.00 करोड़ से ₹ 1.14 करोड़ का कुल अपवर्ड समायोजन कम किया। तदन्तर डीआरपी के आदेश को लागू करते समय, जनवरी 2015 में धारा 144सी(5) के तहत प्राप्यों पर ब्याज के प्रति ₹ 8.64 करोड़ का कुल समायोजन जिसमें ₹ 2.81 करोड़ शामिल है, किया गया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि धारा 154 के साथ पठित धारा 92सीए(5) के अन्तर्गत आदेश पास करते समय निर्धारिती का तर्क कि ब्याज की संगणना, संबंधित माह के लिए देय

औसत राशि के वृद्धि संबंधी मूल्य पर की जाए को टीपीओ द्वारा स्वीकार किया गया था। तदनुसार, समायोजन को ₹ 6.00 करोड़ से घटाकर ₹ 1.14 करोड़ किया गया। धारा 144सी(5) के अनुसार डीआरपी निर्देशों को लागू करते समय ब्याज की गणना दोबारा प्रत्येक महीने के लिए अवधि जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति अर्थात् 31 मार्च 2010 के महीने के प्रारंभ से देय पूरी औसत राशि पर की गई थी। संबंधित महीने के लिए देय औसत राशि के वृद्धि संबंधी मूल्य पर ब्याज की गणना में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 2.27 करोड़ का अनियमित अपवर्ड समायोजन हुआ। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा पैराग्राफ स्वीकार करते समय सूचित किया (दिसम्बर 2015) कि धारा 154 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है।*

5.3.8 सीआईटी-आई एवं टीपी अहमदाबाद प्रभार, गुजरात में टीपीओ ने जनवरी 2015 में नि.व. 2011-12 के लिए धारा 92सीए(3) के तहत निर्धारिती कम्पनी (ब्रिजस्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) का आदेश ₹ 23.80 करोड़ के समायोजन पर पास किया। टीपीओ के आदेश की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि बिक्री का औसत मार्जिन नि.व. 2011-12 के लिए 0.79 प्रतिशत के बजाय नि.व. 2009-10 (नि.व. 2010-11 के लिए प्रासंगिक) की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर 0.61 प्रतिशत निकाला गया था। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 2.23 करोड़ का अपावर्ड समायोजन हुआ जैसा कि नीचे तालिका 5.2 में विस्तृत विवरण दिया गया है।

तालिका 5.2: समायोजन की संगणना		करोड़ ₹ में राशि
विवरण	टीपीओ के आदेश के अनुसार	लेखापरीक्षा के अनुसार
निर्धारिती की कुल बिक्री	1,237.34	1,237.34
आर्मस लेंथ मीन रायल्टी दर	निवल बिक्री का 0.61 प्रतिशत	निवल बिक्री का 0.79 प्रतिशत
खर्चों की एएलपी	7.55	9.77
किया गया वास्तविक व्यय	31.35	31.35
धारा 92 सीए के तहत समायोजित की जाने वाली कमी	23.80	21.58

मंत्रालय ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2015) और अगस्त 2015 में धारा 92सीए(5) के साथ पठित धारा 154 के अन्तर्गत सुधारात्मक कार्रवाई की।

5.3.9 सीआईटी-आईटी एवं टीपी प्रभार, आन्ध्र प्रदेश में टीपीओ ने निर्धारिती कम्पनी (डा. रेड्डी लेबोरेट्रीज लिमिटेड) का आदेश जनवरी 2015 में नि.व. 2011-12 के लिए धारा 92सीए(3) के अन्तर्गत एईज, को दिए गए ऋण पर ब्याज, कारपोरेट गारंटी और मार्केटिंग और वितरण पर लाभ सहभाजन के कारण ₹ 38.92 करोड़ के समायोजन पर पास किया। एईज को दिए गए ऋण पर प्रभारित ब्याज के कारण कमी की संगणना करते समय, टीपीओ ने एईज को ऋण पर ब्याज के लिए एएलपी के रूप में सात प्रतिशत निर्धारित किया और तदनुसार ₹ 7.04 करोड़ के समायोजन की गणना की जहां एईज को दिए गए ऋण पर ब्याज की दर सात प्रतिशत से कम थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि एई (डीआरएल आस्ट्रेलिया प्राईवेट लिमिटेड, आस्ट्रेलिया) को दिए गए ऋण के संबंध में कोई समायोजन प्रस्तावित नहीं किया गया था क्योंकि कर दाता द्वारा प्रभारित ब्याज (9.74 प्रतिशत) एएलपी से अधिक था (सात प्रतिशत) तथापि, समायोजन की गणना करते समय, उक्त एई से संबंधित ₹ 2.69 करोड़ के ब्याज का भी संमजन किया गया था। गलती के परिणामस्वरूप समान राशि द्वारा कम समायोजन हुआ। मंत्रालय ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2015) और नवम्बर 2015 में धारा 154 के साथ पठित धारा 92सीए(3) के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की।

5.3.10 सीआईटी-आईटी एवं टीपी प्रभार, आंध्र प्रदेश में टीपीओ ने निर्धारिती कम्पनी (कोगनी जेंट टेकनालजी सर्विसेस (प्रा.) लिमिटेड) का आदेश जनवरी 2014 में नि.व. 2010-11 के लिए धारा 92सीए(3) के तहत एईज को दी गई आईटीईएस सेवाओं पर ब्याज के लिए ₹ 36.71 करोड़ के समायोजन पर पास किया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि ओपरेटिंग राजस्व और परिचालन लागत एई और गैर एई के लिए अलग थी और एई लेनदेनों पर समायोजन प्रस्तावित था। आईटीईएस के लिए आर्मस लेंथ मार्जिन का समायोजन 26.23 प्रतिशत पर किया गया था और उसे एई परिचालन लागत पर चिंहित किया गया था। तथापि, समायोजन पर पहुंचने पर के समय, कुल परिचालन राजस्व (एई एवं गैर एई) से संबंधित ₹ 296.27 करोड़ को ₹ 290.90 करोड़ के प्रति चिंहित एई से घटाया गया था जैसा नीचे तालिका 5.3 में विस्तृत विवरण दिया गया है।

तालिका 5.3: समायोजन की संगणना		करोड़ ₹ में राशि	
विवरण	टीपीओ के आदेश के अनुसार	लेखापरीक्षा के अनुसार	
परिचालन लागत (ओसी)	268.66	268.66	
कुल ओआर	296.27	296.27	
एई को बिक्री	290.90	290.90	
कुल ओआर के प्रतिशत के रूप में एई को बिक्री	98.19	98.19	
एई बिक्री से कुल बिक्री के अनुपात में ओसी	263.79	263.79	
समायोजित आर्मस लेंथ मार्जिन (प्रतिशत में)	26.23	26.23	
ओसी के 126.23 प्रतिशत की दर पर एएलपी	332.99	332.99	
प्राप्त कीमत	296.27	290.90	
धारा 92सीए के तहत समायोजन	36.71	42.08	

मंत्रालय ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2015) और नवम्बर 2015 में धारा 154 के साथ पठित धारा 92सीए(3) के तहत सुधारात्मक कार्रवाई की।

अध्याय VI: कर मांग के बकायों को बट्टे खाते में डालना

6.1 प्रस्तावना

हाल के दिनों में आय कर अधिनियम (अधिनियम) में कई प्रावधानों⁵⁷ और कर मांग की वसूली से संबंधित सीबीडीटी द्वारा जारी निर्देशों के बावजूद कर मांग के बकाया कई गुना बढ़ गए हैं और वर्ष दर वर्ष इक्ठ्ठा हो रहे हैं। 31 मार्च 2014 तक, लम्बित कर मांग का कुल बकाया ₹ 5.75 लाख करोड़ था जिसमें ₹ 2.21 लाख करोड़ (38 प्रतिशत) प्रमाणित मांग⁵⁸ के रूप में शामिल था। आयकर विभाग ने प्रत्येक सीआईटी-प्रभार⁵⁹ के लिए अनन्य रूप से एक टीआरओ को आवंटित करते हुए कर मांग की बकाया का माँनीटर और वसूली करने के लिए कर वसूली अधिकारी (टीआरओ) के रूप में एक विशिष्ट तंत्र का गठन किया। जब कर मांग टीआरओ द्वारा वसूली की शक्ति का उपयोग करने के बावजूद भी वसूल नहीं होती है तब असंशोध्य कर मांग के बकाया को बट्टे खाते में डालने के लिए विचार किया जाता है। वित्तीय शक्तियां, 1978 के प्रत्यायोजन की अनुसूची VII के साथ पठित नियम 13 आयकर कमिश्नर (सीआईटी) को वसूल नहीं हुई कर मांगों को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन बट्टे खाते में डालने की शक्ति प्रदान की गई है। सीबीडीटी द्वारा जारी कार्यालय प्रक्रिया की नियमपुस्तिका (एमओपी) खण्ड-II (तकनीकी) में कर मांग के बकायों को बट्टे खाते में डालने से संबंधित कानून के प्रावधान हैं।

लोक लेखा समिति ने 11 अगस्त 2006 को लोकसभा में प्रस्तुत अपनी 29^{वीं} रिपोर्ट और 2014 में कर प्रशासन सुधार आयोग (टीएआरसी) में भी वसूली की प्रक्रिया और कर मांग के बकायों को बट्टे खाते में डालने पर अपनी चिंता जताई। मौजूदा अध्ययन आयकर विभाग में बकाया मांगों को बट्टे खाते में डालने की प्रणाली की प्रभावकारिता के मूल्यांकन से संबंधित है।

6.2 प्रशासनिक ढांचा

सीबीडीटी द्वारा यथा निर्धारित कर मांग के बकाया को बट्टे खाते में डालने की मौद्रिक सीमा⁶⁰ की तुलना में प्रशासनिक ढांचे को चार्ट 6.1 में दर्शाया गया है।

57 अध्याय XVII-डी में धारा 220 से 232 और अधिनियम की दूसरी अनुसूची है।

58 फार्म 57 में नोटिस के माध्यम से अधिनियम की दूसरी अनुसूची के नियम 2 के तहत टीआरओ द्वारा जारी मांग

59 नवम्बर 2014 में आईटीडी के हाल ही की पुर्नसंरचना के बाद एक टीआरओ किसी सीआईटी के अन्तर्गत प्रत्येक रैंज के बजाय प्रत्येक सीआईटी के लिए प्रदान किया गया है।

60 दिनांक 06.11.2003 के सीबीडीटी के निर्देश सं. 14/2003

चार्ट 6.1: कर माँग के बकाया को बट्टे खाते में डालने का प्रशासनिक ढाँचा

वित्त मंत्री	⇒ ₹ 50 लाख से अधिक के मामलों का अनुमोदन करता है;
सीबीडीटी	⇒ ₹ 25 लाख से ₹ 50 लाख के बीच के मामलों का अनुमोदन करता है;
सीसीआईटी	⇒ तीन सीसीआईटीज वाली क्षेत्रीय समिति ₹ 10,00,001 और ₹ 50 लाख के बीच के मामलों का अनुमोदन करती है; सीसीआईटी (क) सीबीडीटी को सूचना के साथ ₹ 10 लाख से ₹ 25 लाख तक के, (ख) सीबीडीटी के अनुमोदन से ₹ 25 लाख से ₹ 50 लाख तक तथा (ग) वित्त मंत्री के अनुमोदन से ₹ 50 लाख से अधिक के आदेश पारित करता है।
अपर/संयुक्त सीआईटी	⇒ तीन सीआईटी वाली क्षेत्रीय समिति ₹ एक लाख से ₹ 10 लाख तक के मामलों का अनुमोदन करती है; सीआईटी सीसीआईटी को सूचित करके ₹ एक लाख से ₹ 10 लाख तक की राशि के लिए आदेश पारित करता है। वह ₹ 10,000 तक स्वयं भी आदेश पारित कर सकता है।
अपर/संयुक्त. सीआईटी	⇒ तीन अपर सीआईटी वाली स्थानीय समिति ₹ शून्य से ₹ 5,000 (आईटीओ/टीआरओ), ₹ 5,001 से ₹ 25,000 (एसी/डीसी), ₹ 25,001 से ₹ एक लाख (अपर जेसीआईटी) तक के मामलों का अनुमोदन करती है अपर/संयुक्त सीआईटी; ₹ 25,001 तथा ₹ एक लाख तक के मध्य राशि के आदेश पारित करता है।
एओ (आईटीओ/एसी/डीसी)	⇒ टीआरओ प्रमाणपत्रों के आहरण हेतु बकाया माँग प्राप्त करता है तथा 'अवसूली योग्य प्रमाणपत्र' जारी करता है। एओ ₹ 5,000 (आईटीओ/टीआरओ) तथा ₹ 5,001 से ₹ 25,000 (एसी/डीसी) तक राशि के लिए आदेश पारित करता है।

6.3 विधिक प्रावधान एवं प्रक्रियाएं

अधिनियम अथवा किसी अन्य प्रत्यक्ष कर अधिनियम में कर बकाया को जो वसूली योग्य नहीं हैं बट्टे खाते में डालने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। सामान्य वित्तीय नियमावली, 1963 के नियम 31 के अनुसरण में राजस्व को बट्टे खाते में डालने की संस्वीकृति देने की शक्तियाँ केन्द्रीय सरकार द्वारा आय-कर प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित की गई हैं। सीबीडीटी द्वारा जारी किये गए एमओपी, खण्ड II (तकनीकी) के अध्याय 13 में कर माँग के बकाया को बट्टे खाते में डालने से संबंधित विधिक प्रावधान शामिल हैं। सीबीडीटी ने कर माँग के बकाया को बट्टे खाते में डालने के लिए शक्तियाँ तथा मौद्रिक सीमाओं पर समय समय पर निर्देश/दिशा निर्देश जारी किये हैं। संपूर्ण तथा आंशिक बट्टे खाते में डालने में दोनों के लिए प्रक्रिया समान है। कर बकाया किसी भी एक प्रक्रिया नामतः (i) सार बट्टे खाते में डालना (ii) बट्टे खाते में डालने हेतु तदर्थ प्रक्रिया तथा (iii) बट्टे खाते में डालने के लिए नियमित प्रक्रिया द्वारा बट्टे खाते में डाले जा सकते हैं।

6.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

अध्ययन का उद्देश्य यह आश्वासन प्राप्त करना था कि

- क. सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर माँग के बकाया को आवधिक रूप से बट्टे खाते में डाला गया था;
- ख. कर माँग के बकाया को बट्टे खाते में डालने हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया था; तथा
- ग. आईटीडी में कर माँग के बकाया को बट्टे खाते में डालने की निगरानी हेतु एक प्रभावी आन्तरिक नियंत्रण तंत्र है।

6.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र तथा कवरेज

अध्ययन में वि.व. 2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान आईटीडी में बकाया को बट्टे खाते में डालने के लिए पालन की गई प्रक्रिया की जाँच शामिल है। विशिष्ट जोखिम पैरामीटर⁶¹ के आधार पर, आईटीडी के 30 प्रतिशत प्रधान सीआईटी/सीआईटी का अध्ययन हेतु चयन किया गया था। चयनित 89 प्रधान सीआईटी/सीआईटी में सभी सर्किल/टीआरओज तथा 25 प्रतिशत वार्डों को लेखापरीक्षा में कवर किया गया था।

61 संवीक्षा निर्धारणों की संख्या, आन्तरिक/बाह्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों इत्यादि से संबंधित निर्धारित/उनके टर्नओवर/छूट/कटौती मुद्दों की प्रवृत्ति।

6.6 बाधाएँ

13 राज्यों⁶² में आईटीडी ने लेखापरीक्षा द्वारा माँगी गई सभी महत्वपूर्ण सूचना, उत्तर तथा अभिलेख नहीं भेजे। दो राज्यों⁶³ में नवम्बर 2014 में आईटीडी की पुनर्संरचना तथा विद्यमान तथा नये कार्यालयों के बीच कार्यों के पुनर्वितरण के कारण वर्ष 2014-15 हेतु डाटा के साथ 2012-13 से 2013-14 की अवधि के डाटा में सहसंबंध नहीं था।

6.7 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

हमारे लेखापरीक्षा निष्कर्ष आईटीडी की क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना/डाटा तथा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों पर आधारित हैं। आईटीडी द्वारा कर माँग के बकाया को बट्टे खाते में डालने से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों का आने वाले पैराग्राफों में वर्णन किया गया है।

6.7.1 कर माँग के बकाया तथा बट्टे खाते में डालना

वि.व. 2012-13 से 2014-15 के दौरान 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों⁶⁴ के चयनित पीसीआईटी/सीआईटी के संबंध में कर माँग के कुल बकाया की तुलना में लम्बित बट्टे खाते में डालने/पता लगाने योग्य निर्धारिती न होने/परिसम्पत्ति न होने तथा अपर्याप्त संसाधनों के कारण कर माँग के कुल बकाया जिनकी वसूली होनी कठिन है तथा बट्टे खाते में डाली गई राशि की स्थिति नीचे तालिका 6.1 में दर्शायी गई है:

तालिका 6.1: कर माँग के कुल बकाया	(₹ करोड़ में)		
	वि.व. 2012-13	वि.व. 2013-14	वि.व. 2014-15
कुल कर माँग के बकाया	2,77,770.80	2,90,011.60	3,27,722.08
लम्बित बट्टे खाते में डालने/पता लगाने योग्य निर्धारिती न होने/परिसम्पत्ति न होने तथा अपर्याप्त संसाधनों के कारण कर माँग के कुल बकाया जिनकी वसूली होनी कठिन है	34,962.26	34,782.28	74,077.78
अवधि के दौरान बट्टे खाते डाले गए	1.49	0.66	0.06

{स्रोत: चयनित सीसीआईटी/सीआईटी के केन्द्रीय योजना (सीएपी) तथा आईटीडी की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट}

62 आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड एवं पश्चिम बंगाल

63 कर्नाटक एवं गोवा

64 आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, यूटी चण्डीगढ़, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल। सभी तीनों वर्षों के लिए छत्तीसगढ़, गोवा तथा मध्य प्रदेश के लिए तथा 2012-13 तथा 2013-14 के लिए केरल तथा तमिलनाडु के लिए कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए थे;

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि चयनित प्रधान सीआईटी/सीआईटी के संबंध में कर माँग के कुल बकाया मार्च 2013 की तुलना में मार्च 2015 में 17.98 प्रतिशत तक बढ़ गए थे। कर माँग के कुल बकाया के पीडब्ल्यूओ/एएनटी/एनएआर की प्रतिशतता विव 2012-13 में 12.59 प्रतिशत से विव 2014-15 में 22.60 प्रतिशत तक बढ़ गई थी। तथापि, चयनित 24 राज्यों/लेखापरीक्षा में कवर किये गए संघ राज्य क्षेत्रों में से नौ राज्यों⁶⁵ में पीडब्ल्यूओ/एएनटी/एनएआर के कारण कठिनाई से वसूल होने वाली माँग के ₹ 74,077.78 करोड़ में से, केवल ₹ 2.21 करोड़ ही विव 2012-13 से 2014-15 के दौरान बट्टे खाते में डाले गए थे।

14,252 मामलों में कुल ₹ 1.19 करोड़ की छोटी राशियों के कर माँग के बकाया को बट्टे खाते में नहीं डाला गया था तथा 5,485 मामलों में उपयुक्त प्रक्रियाओं का पालन किये बिना ही ₹ 68.96 लाख बट्टे खाते में डाल दिये गए थे।

6.7.2 कर माँग के बकाया को बट्टे खाते में डालना

सीबीडीटी के एमओपी खण्ड-II (तकनीकी) के अध्याय 13 के पैरा 2.1 के अनुसार, प्रत्येक मामले में ₹ 1000 से कम छोटी माँगों को निर्धारण अधिकारी (एओ) द्वारा किसी अतिरिक्त पूछताछ के बिना ही संक्षेप रूप से बट्टे खाते में डाला जा सकता है यदि राशि पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया है तथा राशि किसी चालू मामले⁶⁶ से संबंधित नहीं है। छोटी राशियों (प्रत्येक मामले में ₹ 500 से कम) के कर माँग के बकाया को बट्टे खाते में डालने के लिए, जो संक्षिप्त रूप से बट्टे खाते में डालने के अन्तर्गत नहीं आती, तथा किसी मामले में माँग आठ वर्षों से अधिक से बकाया होने पर एक आय कर निरीक्षक को चूककर्ता की सम्पत्तियों तथा वसूली के अवसरों की पूछताछ करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। यदि उसकी रिपोर्ट यह दर्शाती है कि माँग वसूली योग्य नहीं रही है, तो एओ टीआरओ से एक औपचारिक अवसूली योग्य प्रमाणपत्र की प्रतीक्षा किये बिना सीधे ही माँग को बट्टे खाते में डाल सकता है।

₹ 5,000 तक कर के बकाया को 'तदर्थ' प्रक्रिया के अन्तर्गत बट्टे खाते में डाला जा सकता है बशर्ते कि वे उस वित्तीय वर्ष से जिसके दौरान बट्टे खाते में डाला जाना प्रस्तावित है, तुरन्त पहले पाँच वर्षों से अधिक से निर्धारित के विस्तृत पते तथा निर्धारण अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण प्रत्येक निर्धारित के प्रति बकाया हों। 'प्रत्येक मामले' का अर्थ उन सभी निव से होना

65 असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तराखण्ड तथा संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़

66 विभिन्न निर्देशों के अन्तर्गत निर्धारित आर्थिक सीमाओं तथा शर्तों के साथ पठित एमओपी खण्ड-II के अनुसार, नवीनतम-निर्देश सं. 2/2010 दिनांक 18.03, 2010।

चाहिए जिससे एकल निर्धारिती के संबंध में अवसूली योग्य माँग संबंधित हो सकती है।

6.7.2.1 हमने पाया कि ₹ 1.19 करोड़ (14,252 मामलों⁶⁷), के कर माँग के बकाया में संक्षिप्त/तदर्थ ढंग से विधि की उपयुक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत बट्टे-खाते में डालने की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई थी।

असम, गुजरात, झारखण्ड, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में ₹ 0.39 करोड़ (5,814 मामले), के कर माँग के बकाया को संक्षिप्त प्रक्रिया का पालन करके बट्टे खाते में नहीं डाला गया था जबकि प्रत्येक मामले में कर माँग के बकाया की राशि ₹ 1,000 से कम थी तथा माँग पाँच वर्षों से अधिक से लम्बित थी। असम में, 213 मामलों तथा कर माँग के बकाया के अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। आईटीडी ने बताया (जुलाई 2015) कि मामले 20 से 30 वर्षों से अधिक पुराने थे तथा माँग बिल्कुल भी संग्रहण योग्य नहीं थीं।

झारखण्ड, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में, ₹ 0.16 करोड़ (6,661 मामले) की कर माँग के बकाया को उपयुक्त प्रक्रिया का पालन करके बट्टे खाते में नहीं डाला गया था जबकि प्रत्येक मामले में कर माँग के बकाया की राशि ₹ 500 से कम थी तथा आठ वर्षों से अधिक से बकाया थी। आयकर विभाग ने झारखण्ड के 24 मामलों (₹ 0.07 लाख) में स्वीकार किया (जून 2015) कि मामले बहुत पुराने थे तथा पता लगाने योग्य नहीं थे। तथापि, अभिलेखों का पता लगाने तथा उन्हें बट्टे खाते में डालने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

गुजरात तथा झारखण्ड में, ₹ 0.64 करोड़ (1,777 मामले) के कर माँग के बकाया को तदर्थ प्रक्रिया का पालन करके बट्टे-खाते में नहीं डाला गया था जबकि प्रत्येक मामले में कर माँग के बकाया की राशि ₹ 5,000 से कम थी तथा पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया थी।

6.7.2.2 हमने पाया कि 5,485 मामलों⁶⁸ में ₹ 68.96 लाख के कर माँग के बकाया को उपरोक्त प्रावधान के उल्लंघन में बट्टे खाते में डाला गया था।

छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा में, विव 2013-14 तथा विव 2012-13 के दौरान क्रमशः ₹ 57.63 लाख (4,553 मामले) तथा ₹ 4.53 लाख (694 मामले) के बकाया माँग को टीआरओ द्वारा किसी प्राधिकार के बिना ही तदर्थ/संक्षिप्त आधार पर बट्टे खाते में डाल दिया गया।

67 असम (213 मामले), गुजरात (2,789 मामले), झारखण्ड (74 मामले), मध्य प्रदेश (116 मामले), राजस्थान (10,934 मामले) तथा पश्चिम बंगाल (126 मामले)

68 असम (39 मामले) छत्तीसगढ़ (4,553 मामले) तथा ओडिशा (893 मामले)

असम तथा ओडिशा में, वि.व. 2014-15 तथा वि.व. 2012-13 के दौरान क्रमशः ₹0.24 लाख (39 मामले) तथा ₹ 0.19 लाख (दो मामले) के बकाया माँग को संक्षिप्त/तदर्थ प्रक्रिया के अन्तर्गत बट्टे खाते में डाले गए थे जबकि प्रत्येक ₹ 1,000/₹ 5,000 से अधिक थी।

ओडिशा में, 197 मामलों में ₹ 6.37 लाख की बकाया माँग, प्रत्येक ₹ 2,000 से अधिक परन्तु ₹ 5,000 से कम वि.व. 2012-13. के दौरान अवसूली योग्य प्रमाणपत्र जारी किये बिना बट्टे खाते में डाली गई थीं।

उन मामलों में नियमित प्रक्रिया का पालन करके ₹ 290.83 करोड़ के कर माँग के बकाया को अवसूली योग्य घोषित नहीं किया गया था जहाँ निर्धारिती पता लगाने योग्य नहीं थे तथा जहाँ कोई निधि/सम्पति अथवा अपर्याप्त निधि/परिसम्पति नहीं थीं।

6.7.3 नियमित प्रक्रिया के अन्तर्गत कर माँग के बकाया को बट्टे खाते में डालना
बट्टे खाते में डालने हेतु नियमित प्रक्रिया के अनुसार बट्टे खाते में डालने के लिए कर माँग के बकाया पर विचार किया जा सकता है जो तीन वर्ष से अधिक पुराने हैं तथा निम्नलिखित कारणों से 'अवसूली योग्य' हो गए हैं:

- क. निर्धारिती मृत है, दिवालिया हो गया है, पता लगाने योग्य नहीं है, भारत छोड़ चुका है तथा कुर्की योग्य परिसम्पत्तियाँ नहीं हैं;
- ख. निर्धारिती कम्पनी का परिसमापन हो गया है;
- ग. निर्धारिती फर्म विघटित हो गई है तथा इसका कारोबार बन्द हो गया है; तथा
- घ. जिस मामले में चूककर्ता को सिविल कारावास की सहायता लेने समेत द्वितीय अनुसूची में निर्धारित नियमों के अनुसार वसूली के सभी तरीके समाप्त हो चुके हैं तथा बकाया अभी भी शेष है।

बट्टे-खाते में डालने के लिए मामले की सिफारिश करने से पहले, संबंधित प्राधिकारी को स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए कि मामले में वसूली हेतु पर्याप्त तथा समय पर उपाय किये गए थे।

6.7.3.1 कर माँग के बकाया को 'अवसूली योग्य' घोषित नहीं किया गया जहाँ निर्धारिती पता लगाने योग्य नहीं था।

हमने पाया कि नि.व. 1984-85 से 2009-10 तक से संबंधित ₹ 138.77 करोड़ के कर माँग के बकाया वाले 260 मामलों⁶⁹ थे जहाँ 'निर्धारिती पता लगाने योग्य नहीं' होने के कारण माँग 31 मार्च 2015 को बकाया पड़ी थी। बॉक्स 6.1 में चार ऐसे मामलों को दर्शाया गया है।

69 असम (तीन), दिल्ली (छह), गुजरात (दो), झारखण्ड (आठ), कर्नाटक (237) तथा पश्चिम बंगाल (चार)

**बॉक्स 6.1: 'अवसूली योग्य' घोषित न किए गए कर माँग के बकाया पर
निदर्शी मामले जहाँ निर्धारिती पता लगने योग्य नहीं था**

क. दिल्ली, सीआई टी-IX प्रभार में, विशाल ग्लोबल लिमिटेड के मामले में, नि.व. 1989-90 से 1998-99 के लिए ₹ 40.03 करोड़ की कर माँग का बकाया बाकी था क्योंकि निर्धारिती पता लगने योग्य नहीं था तथा वसूली हेतु कोई परिसम्पत्ति नहीं थी। अपर सीआईटी रैंज-17 ने बकाया माँग को बट्टे खाते में डालने के लिए संबंधित एओ को निर्देश दिया (मार्च/जून 2005) तथा टीआरओ से भी अवसूली योग्य प्रमाणपत्र (आईसी) जारी करने का अनुरोध किया गया था। उच्चतर प्राधिकारी द्वारा निर्देश दिए जाने के बावजूद टीआरओ ने मार्च 2015 तक बट्टे खाते में डालने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए एओ को सक्षम करने हेतु आईसी जारी नहीं किया था।

ख. दिल्ली, सीआईटी-VI (नई सीआईटी-IX) प्रभार में, वैशाली इन्टरनेशनल मैनेजमेंट एण्ड रिसोर्सिंग लिमिटेड के मामले में नि.व. 2008-09 के लिए, ₹ 6.11 करोड़ के कर माँग के बकाया की वसूली लम्बित थी। जून 2013 में, सीआईटी ने एओ को निदेशकों के ठिकाने का पता लगाने तथा पुलिस के साथ आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अभिलेख पर कोई ओर प्रगति नहीं पाई गई थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने निर्धारिती की वार्षिक रिपोर्ट (2004) से पाया कि आईटीडी ने निदेशकों के सेवा/पेंशन अभिलेखों से उनके ठिकाने का पता लगाने का प्रयास करने के बजाए, एक नियमित ढंग से कार्रवाई की जिसका कोई लाभदायक परिणाम नहीं निकला। अतः आईटीडी में न तो मामले को उचित रूप से जारी रखा एवं नहीं बट्टे खाते में डालने की प्रक्रिया प्रारंभ की। आईटीडी ने उपरोक्त दोनों मामलों के लिए अपने उत्तर (अगस्त 2015) में बताया कि वसूली हेतु नीति को श्रेष्ठ करने तथा ईष्टतम करने अथवा बट्टे खाते में डालने के लिए इसे संसाधित करने के लिए उक्त ₹ एक करोड़ के डोजियर मामलों की समीक्षा की जा रही थी।

ग. पश्चिम बंगाल, प्रधान सीआईटी-4 कोलकाता प्रभार में नि.व. 1996-97 के लिए वी आर बी इन्जीनियर्स एण्ड कन्सल्टेन्ट्स के मामले में ₹ 7.44 करोड़ के कर माँग के बकाया 31 मार्च 2015 को बकाया थे। डोजियर रिपोर्ट (दिसम्बर 2003) से यह देखा गया था कि सीसीआईसी VI, कोलकाता ने मामले को बट्टे खाते में डालने की प्रक्रिया के लिए एओ को निर्देश दिए थे यदि कम्पनी स्थानीय जाँच पड़ताल द्वारा अथवा कम्पनियों के रजिस्टर से पता लगाने योग्य नहीं है। अभिलेखों से पता चला कि आईटीडी ने न तो निर्धारिती का पता लगाने के लिए कोई ढूँढने की प्रक्रिया पूरी की थी और न ही 31 मार्च 2015 तक अवसूली योग्य के रूप में घोषित माँग को बट्टे खाते में डालने की प्रक्रिया प्रारम्भ की थी।

घ. पश्चिम बंगाल, प्रधान सीआईटी-2 कोलकाता प्रभार में, यशमन डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में नि.व. 1996-97 के लिए ₹ 2.37 करोड़ के कर माँग का बकाया था। जुलाई 2004 से निर्धारिती का पता नहीं लग रहा था। एओ ने टीआरओ को सूचित किया (जून 2004) कि सीसीआईटी कोलकाता ने देय राशियों के संग्रहण की संभावना का पता लगाने के पश्चात पहले ही आईसी जारी करने के लिए निर्देश जारी कर दिए थे। इसके अतिरिक्त, अभिलेख पर मामले में प्रगति नहीं पाई गई थी।

6.7.3.2 उन मामलों के संबंध में अवसूली योग्य प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए जहाँ कोई निधि/परिसम्पत्ति अथवा अपर्याप्त निधि/परिसम्पतियाँ नहीं हैं।

हमने पाया कि ₹ 152.06 करोड़ के बकाया माँग वाले 240 मामलों⁷⁰ में, निर्धारितियों के पास बकाया कर माँग को पूरा करने के लिए कोई निधि/परिसम्पत्ति अथवा अपर्याप्त निधि/परिसम्पत्ति नहीं थी। बकाया माँग की सभी वसूली की दूरस्थ संभावना अथवा कोई संभावना नहीं होने के बावजूद बकाया माँग को अवसूली योग्य घोषित नहीं किया गया था तथा उपयुक्त प्रक्रिया के तहत बट्टे-खाते में डालने की कार्रवाई शुरू करने के लिए 'अवसूली योग्य प्रमाणपत्र' जारी नहीं किया गया था। बॉक्स 6.2 ऐसे दो मामलों को दर्शाता है।

बॉक्स 6.2: 'अवसूली योग्य' घोषित न किए गए कर माँग के बकाया पर निदर्शी मामले जहाँ निर्धारिती पता लगाने योग्य नहीं था

क. पश्चिम बंगाल, प्रधान सीआईटी-1 कोलकाता प्रभार में, **राप्ती निधि लिमिटेड** के मामले में जो नवम्बर 2005 से परिसमापन के अन्तर्गत था, नि.व. 1991-92 के लिए, आधिकारिक परिसमापक ने टीआरओ को सूचित किया था (सितम्बर 2009) ₹ 10.23 करोड़ के कर माँग के बकाया के प्रति कम्पनी के पास केवल ₹ 8,040 उपलब्ध था। यद्यपि बकाया माँग की वसूली की संभावना दूरस्थ थी, तथापि उपयुक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत बट्टे खाते में डालने की कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए 'आईसी' जारी नहीं किया गया था।

ख. पश्चिम बंगाल, प्रधान सीआईटी-4 कोलकाता प्रभार में, **रेडिएन्ट इन्डस्ट्रीज लिमिटेड** के मामले में, नि.व. 1998-99 के लिए ₹ 1.04 करोड़ की बकाया माँग बाकी थी। कम्पनी परिसमापन के अन्तर्गत थी। जनवरी 2005 में उच्च न्यायालय, कोलकाता के आदेशों के अन्तर्गत कम्पनी बेच दी गई तथा कम्पनी के लेनदारों से 25 अक्टूबर 2005 तक अपने दावे प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। तदनुसार, आईटीडी ने अपना दावा दर्ज करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की (सितम्बर 2005) परन्तु इसी बीच दावा फाईल करने की अन्तिम तिथि समाप्त हो गई थी तथा दावा फाईल नहीं कराया जा सका। तथापि आईटीडी ने बकाया माँग की वसूली की किसी संभावित गुर्जाईश के लिए सितम्बर 2011 से अप्रैल 2014 के दौरान आधिकारिक परिसमापक से सम्पर्क किया। अन्ततः मई 2014 में, आधिकारिक परिसमापक ने सूचित किया कि निर्धारिती की निधियाँ पहले ही वितरित की जा चुकी हैं तथा कम्पनी के पास कोई निधि उपलब्ध नहीं है। बकाया माँग की वसूली की कोई संभावना नहीं होने के बावजूद 'आईसी' जारी नहीं किया गया था।

70 आंध्र प्रदेश (छह मामले), गुजरात (दो मामले), कर्नाटक (228 मामले), पश्चिम बंगाल (चार मामले)

आईटीडी ने ₹ 278.64 करोड़ की कर माँग के बकाया को बट्टे खाते में नहीं डाला था जिसके लिए संबंधित टीआरओज द्वारा 'अवसूली योग्य प्रमाण पत्र' जारी किये गए थे।

6.7.4 'अवसूली योग्य प्रमाण पत्र' जारी किये जाने के पश्चात कर माँग के बकाया बट्टे खाते में नहीं डाले गए थे

सीबीडीटी के एमओपी खण्ड II (तकनीकी) के अध्याय 13 के पैरा 4.3 के अनुसार, जब अधिनियम के अर्न्तगत टीआरओ को दी गई वसूली की शक्तियों का प्रयोग करने के बावजूद एक प्रभावित कर माँग वसूल नहीं होती है, तो टीआरओ कर माँग के अवसूली योग्य बकाया के संबंध में (अवसूली योग्य प्रमाण पत्र (आईसी) जारी करता है तथा कानून की उचित प्रक्रिया के तहत कर माँग का बट्टे खाते में डालने की कार्रवाई के लिए इसे वापस क्षेत्राधिकारी एओ को प्रेषित करता है।

₹ 278.64 करोड़ के कर माँग के बकाया वाले 77 मामलों⁷¹ में हमने पाया कि संबंधित टीआरओज द्वारा 'आईसी' जारी किये जाने के बावजूद बट्टे खाते में नहीं डाले गए थे। ऐसे चार मामले बॉक्स 6.3 में दर्शाये गए हैं।

बॉक्स 6.3: 'अवसूली योग्य प्रमाण पत्र' जारी किये जाने के पश्चात कर माँग के बकाया बट्टे खाते में नहीं डाले गए थे

क. महाराष्ट्र प्रधान सीआईटी-3 मुम्बई प्रभार में, डायनाक्राफ्ट मशीन कम्पनी लिमिटेड के मामले में, नि.व. 1981-82 से 1984-85 के लिए, ₹ 65.67 करोड़ की कर माँग के बाकी बकाया के लिए क्षेत्राधिकारी टीआरओ द्वारा सितम्बर 2013 में एक 'आईसी' जारी किया गया था। सीबीडीटी को बट्टे-खाते में डालने का एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया था परन्तु इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, मार्च 2015 तक कर माँग के बकाया को बट्टे खाते में नहीं डाला गया था।

ख. महाराष्ट्र, प्रधान सीआईटी-2 मुम्बई प्रभार में, जी.एम.एस. कम्प्यूटर्स (इण्डिया) लिमिटेड के मामलों में नि.व. 1995-96 से 1998-99 के लिए ₹ 34.50 करोड़ की कर माँग के बाकी बकाया के लिए क्षेत्राधिकारी टीआरओ द्वारा सितम्बर 2012 में एक 'आईसी' जारी किया गया था परन्तु मार्च 2015 तक और कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

ग. पश्चिम बंगाल, प्रधान सीआईटी-3 कोलकाता प्रभार में, टी किंग प्राइवेट लिमिटेड के मामले में नि.व. 1976-77, 1979-80 तथा नि.व. 1983-84 से 1987-88 हेतु ₹ 11.58 करोड़ की कर माँग के बकाया के लिए नवम्बर 1996 में टीआरओ द्वारा एक 'आईसी' जारी किया गया था तथा इसे बट्टे खाते में डालने के लिए क्षेत्रीय समिति को एक प्रस्ताव भेजा गया था। जुलाई 1999 में, क्षेत्रीय समिति के निर्णय के आधार पर, धारा 220(2) के तहत ब्याज शामिल कर के कुल माँग ₹ 22.47 करोड़ पर पुनः संगणित की

71 आंध्र प्रदेश (नौ मामले), असम (एक मामला), दिल्ली (एक मामला), गुजरात (तीन मामले), झारखण्ड (तीन मामले), कर्नाटक (27 मामले), केरल (दो मामले), मध्य प्रदेश (दो मामले), महाराष्ट्र (छह मामले), राजस्थान (तीन मामले), तमिलनाडु (छह मामले), पश्चिम बंगाल (14 मामले)

गई थी (फरवरी 2001)। आईसी जारी करने के तिथि से 18 वर्ष बीत जाने के बाद भी मार्च 2015 तक इस मामले में और कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

घ. पश्चिम बंगाल, प्रधान सीआईटी-4 कोलकाता में, गणपति कॉमर्स लिमिटेड के मामले में, नि.व. 1992-93, 1993-94, 1997-98 तथा 1998-99 के लिए, ₹ 19.20 करोड़ की कर माँग के बाकी बकाया के लिए नवम्बर 2006 में क्षेत्राधिकारी टीआरओ द्वारा एक 'आईसी' जारी किया गया था। आईसी जारी करने की तिथि से आठ वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी मार्च 2015 तक और कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

अनेक राज्यों में अप्राप्त योग्य माँगों की समीक्षा के लिए क्षेत्रीय समिति गठित नहीं की गई थी। यद्यपि, कुछ राज्यों में ऐसी समितियाँ गठित की गई थी फिर भी 2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

6.7.5 क्षेत्रीय समिति द्वारा अप्राप्त योग्य कर माँगों की समीक्षा

समय समय पर सीबीडीटी द्वारा जारी किये गए निर्देशों के अनुसार, किसी मामले में कर बकाया ₹ 10 लाख से अधिक हो जाने पर, सीबीडीटी प्रत्यक्ष कर बकाया को बट्टे खाते में डालने के प्रस्तावों की समीक्षा, संवीक्षा तथा विचार हेतु सीजआईटी की क्षेत्रीय समिति गठित करता है। ये समितियाँ चारों क्षेत्रों के लिए गठित की गई हैं। वर्तमान में उत्तरी क्षेत्र हेतु पाँच, दक्षिण क्षेत्र हेतु चार, पूर्वी क्षेत्र हेतु दो तथा पश्चिमी क्षेत्र हेतु चार समितियाँ गठित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, सबसे वरिष्ठ कमिश्नर क्षेत्रीय समिति की बैठक की कार्रवाई की अध्यक्षता करेगा तथा मामले से संबंधित कमिश्नर बैठक का संचालनकर्त्ता होगा।

सीबीडीटी के 2003 के दिनांक 18 नवम्बर 2003 के निर्देश सं. 16 के अनुसार, तीन सीसीआईटी के स्थाई स्टदर्सों के साथ क्षेत्रीय समिति का पुनर्गठन किया गया था। क्षेत्रीय समिति ₹ 10 लाख से अधिक एवं ₹ 25 लाख तक की अवसूली योग्य माँग को बट्टे खाते में डालने के प्रस्ताव की सिफारिश करेगी। एमओपी खण्ड-II (तकनीकी) के अध्याय 13 के पैरा 5.2 के अनुसार, क्षेत्रीय समिति को महीने में कम से कम एक बार बैठक करनी है तथा अवसूली योग्य कर माँग की निरंतर समीक्षा सुनिश्चित करनी है।

हमने पाया कि छह राज्यों⁷² में क्षेत्रीय समिति गठित नहीं की गई थी, तीन राज्यों⁷³ के बारे में क्षेत्रीय समिति के गठन के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त, चार राज्यों⁷⁴ में, यद्यपि क्षेत्रीय समिति थी, फिर भी 2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान कोई बैठक नहीं की गई थी।

72 बिहार, झारखण्ड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड

73 आंध्रप्रदेश, केरल, तेलंगाना

74 असम, ओड़ीशा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल

गुजरात में 2012-13 और 2013-14 में प्रत्येक वर्ष एक-एक बैठक की गई थी। इसलिए इन राज्यों में, उगाही न की गई मांग की आवधिक समीक्षा नहीं की गई थी। तमिलनाडु और असम के मामले में, हमने देखा कि बट्टे खाते में डालने के प्रस्ताव क्षेत्रीय समिति को भेजे गए थे लेकिन समिति द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया था।

₹ 86.47 करोड़ की कर मांग के बकाया को सीबीडीटी की नियमपुस्तिका में निर्धारित बट्टे खाते में डालने की प्रक्रिया को अपनाए बिना समाप्त कर दिया गया था।

6.7.6 निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत बट्टे खाते में डाले बिना कर बकाया को समाप्त करना

कर मांग के बकाया पर नियंत्रण और उसकी वसूली को सरल बनाने को ध्यान में रखते हुए, आईटीडी ने मांग और संग्रहण रजिस्टर (डी एंड सीआर), बकाया मांग और संग्रहण रजिस्टर (एडीसीआर), त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर), आदि जैसे विभिन्न नियंत्रण रजिस्टर और रिपोर्ट नियत किये हैं। वर्ष के दौरान की गई मांगों और उसके संग्रहण की डी एंड सीआर के माध्यम से आईटीडी द्वारा निगरानी की जाती है और वित्तीय वर्ष के अंत में शेष बकाया कोई भी राशि कर मांग की निगरानी के लिए एडीसीआर में अग्रेषित की जानी चाहिए। कर वसूली कार्यालय में, कर मांग की प्रमाणित बकाया क्यूपीआर के माध्यम से मॉनीटर की जाती है।

हमने पाया कि कर वसूली प्रमाण पत्रों (टीआरसी) के 4,981 मामलों में, ₹ 86.47 करोड़ की कर मांग का बकाया आईटीडी द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों से हटा दिया गया था।

पश्चिम बंगाल, प्रधान सीआईटी-2 और प्रधान सीआईटी-3, कोलकाता प्रभागों में, 4,978 टीआरसी से संबन्धित, ₹ 86.40 करोड़ की प्रमाणित बकाया मांग को सितम्बर 2013 में समाप्त तिमाही के लिए क्यूपीआर से इस आधार पर हटा दिया गया था कि प्रमाणपत्र फोल्डर भौतिक रूप से नहीं पाए गए थे और मामले बहुत पुराने थे। इस प्रकार ₹ 86.40 करोड़ की प्रमाणिक बकाया मांग को उचित प्रक्रिया अर्थात् सार/अनौपचारिक/नियमित प्रक्रिया के अंतर्गत उसे बिना बट्टे खाते में डाले आईटीडी की बुक से कम कर दिया गया था।

राजस्थान, प्रधान सीआईटी-1, जोधपुर प्रभाग में, तीन मामलों में वि.व. 2011-12 के लिए एडीसीआर में बकाया दिखाये गए ₹ 7.54 लाख की कर मांग के प्रमाणित बकाया को वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए एडीसीआर में अग्रेषित नहीं किया गया था। इसके अलावा, उचित टीआरसी को सक्षम कर प्राधिकारी के किसी भी विशिष्ट आदेशों के बिना वापस ले लिया गया था।

₹ 1630.02 करोड़ की पुरानी बकाया मांग को वसूल ना किए जाने योग्य घोषित किया गया था और आईसी जारी होने के बाद बट्टे खाते में डालने के लिए टीआरओ द्वारा क्षेत्राधिकारी एओ को वापस संदर्भित नहीं किया था।

6.7.7 पुरानी निष्क्रिय मांगों को बट्टे खाते में डालना

एमओपी, खंड-II (तकनीकी) के अध्याय 13 के अनुसार, जब अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित वसूली की शक्ति का प्रयोग करने के बावजूद मांग वसूल न करने योग्य रहे, बकाया को बट्टे खाते में डालने के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए।

हमने देखा कि 12,007 मामलों⁷⁵ में, ₹ 1,630.02 करोड़ की कर मांग के पुराने बकाया को वसूल किए जाने योग्य घोषित नहीं किया गया था और मामले आईसी जारी होने के बाद उचित प्रक्रिया के अंतर्गत बट्टे खाते में डालने की प्रक्रिया के लिए टीआरओ द्वारा क्षेत्राधिकारी एओ को वापस संदर्भित भी नहीं किया गया था।

महाराष्ट्र, प्रधान सीआईटी-2, मुंबई प्रभार में, 1981-82 से 2000-01 के बीच के निर्धारण वर्ष से संबन्धित 16 मामलों में, ₹ 928.92 करोड़ की कुल बकाया मांग 10 से 20 वर्षों से अधिक के लिए लंबित थी। न तो एओ ने और न ही टीआरओ ने वसूली के लिए लंबित मामलों की समीक्षा और बट्टे खाते में डालने योग्य मामलों को पहचानने के लिए उनको प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग किया।

असम, प्रधान सीआईटी-1, गुवाहाटी प्रभार में, 1,752 टीआरसी के मामले में, ₹ 71.99 करोड़ की कर मांग के पुराने बकाया 31 मार्च 2015 तक बकाया पड़े थे लेकिन बट्टे खाते में डालने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। आईटीडी ने कहा कि (जुलाई 2015) मांग संग्रहणीय नहीं थी चूंकि इनमें से 90 प्रतिशत मामले 20 से 30 वर्षों से अधिक पुराने थे और उनके पास उचित अभिलेख भी उपलब्ध नहीं थे। आईटीडी ने यह भी कहा कि इन बकाया मांगों में से, 1651 टीआरसी से जुड़े ₹ 59 करोड़ संदिग्ध थे और बिल्कुल भी संग्रहण योग्य नहीं थे।

पश्चिम बंगाल, प्रधान सीआईटी-3, कोलकाता प्रभार में, 671 टीआरसी के मामले में, ₹ 10.60 करोड़ की कर मांग के बकाया को टीआरओ द्वारा 'निष्क्रिय मांग' के रूप में घोषित किया गया था (जैसा कि मार्च 2014 की मासिक प्रगति

75 ओडिशा (115 मामले), असम (3,415 मामले), बिहार (365 मामले), छत्तीसगढ़ (1,058 मामले), गुजरात (1,273 मामले), झारखंड (1,516 मामले), कर्नाटक (355 मामले), केरल (नौ मामले), महाराष्ट्र (227 मामले), राजस्थान (221 मामले), तमिलनाडु (1,135 मामले), उत्तर प्रदेश (314 मामले), उत्तराखंड (999 मामले) और पश्चिम बंगाल (965 मामले)

रिपोर्ट में दर्शाया गया है) चूँकि टीआरसी की प्रत्यक्ष मौजूदगी नहीं थी और मांगों को केवल रजिस्टर-एक्स में दर्शाया गया था। इसके अतिरिक्त, कोई पेन, क्षेत्राधिकारी, निर्धारण फोल्डर नहीं था और मांगें 20 से 40 वर्ष पुरानी थीं, जहाँ उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके बावजूद, मांग को बट्टे खाते में डालना उचित प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रभावित नहीं हुआ था।

आईटीडी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ₹ 362.13 करोड़ की वसूली के लिए प्रयास किए जा रहे थे और बट्टे खाते में डालने के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी। ओडिशा के संबंध में, आईटीडी ने यह कहा कि उच्च प्राधिकारियों के निर्देश के बाद उचित कदम उठाए जाएंगे। आईटीडी ने स्वीकार किया कि बिहार में ₹ 12.79 करोड़ की वसूली के लिए सभी टीआरसी में प्रयास किए जाने बाकी थे। झारखंड में, आईटीडी ने आश्वस्त किया है कि बट्टे खाते में डालने योग्य ₹ 14.28 करोड़ के मामलों की जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

लेखापरीक्षा की राय है कि बट्टे खाते में डालने के लिए की जाने वाली कार्रवाई के लिए प्रक्रिया नियमपुस्तिका में निर्धारित की गई है, आईटीडी को उचित कदम उठाना अपेक्षित है। इसलिए तथ्य यह रह जाता है कि या तो समय पर वसूली या कर मांग के बकाया को बट्टे खाते में डालने के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई थी।

₹ 51.72 करोड़ की कर मांग के बकाया का टीआरओ और क्षेत्राधिकारी ए.ओ के बीच समन्वय की कमी के कारण प्रभावी निपटान के लिए अनुसरण नहीं किया गया था।

6.7.8 एओ और टीआरओ के बीच समन्वय

एओ और टीआरओ के बीच समन्वय कर मांग के बकाया का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के मामलों को संदर्भित करने के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार एओ टीआरओ को एक वर्ष⁷⁶ से अधिक के लिए बकाया कर मांग को सूचित कर देता है करता है तो मांग में किए गए किसी भी अनुवर्ती संशोधन, कमी आदि के बारे में टीआरओ को सूचित करना एओ के लिए अनिवार्य हो जाता है। इसी प्रकार, टीआरओ को समय समय पर किए गए निपटान के बारे में एओ को सूचित करना आवश्यक है।

हमने देखा कि 79 मामलों⁷⁷ में, ₹ 51.72 करोड़ के कुल कर मांग के बकाया को टीआरओ और क्षेत्राधिकारी एओ के बीच समन्वय की कमी के कारण

76 सी.बी.डी.टी. का पत्र एफ.एन 402/2/2002- आई.टी.सी.सी. दिनांक 18 जनवरी 2002

77 आंध्र प्रदेश (24 मामले), असम (एक मामला), दिल्ली (11 मामले), कर्नाटक (38 मामले) और पश्चिम बंगाल (पांच मामले)

प्रभावी निपटान के लिए नहीं लिया गया। बॉक्स 6.4 ऐसे दो मामलों को दर्शाता है

बॉक्स 6.4: एओ और टीआरओ के बीच समन्वय की कमी के कारण लंबित कर मांग के बकाया पर निदर्शी मामले

क. दिल्ली, प्रभार सीआईटी (सेंट्रल)-2 प्रभार में, नि.व. 1998-99 और 1999-2000 के लिए ए.आर.के. स्टील्स (प्राइवेट) लिमिटेड के मामले में, अक्टूबर 2002 तक धारा 220(2) के अंतर्गत ब्याज सहित, ₹ 12.88 करोड़ की कर मांग का कुल बकाया क्रमशः नि.व. 2001-02 और 2002-03 से वसूली के लिए लंबित था। दिसम्बर 2002 में टीआरओ द्वारा जारी मांग नोटिस निर्धारिती को उसके अभिलेखित पते पर नहीं दिया जा सका। मार्च 2003 में, टीआरओ ने एओ को सूचित किया कि मांग नोटिस डाक प्राधिकारियों द्वारा “इस पते पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं” की टिप्पणी सहित वापस प्राप्त हुआ था। मांग नोटिस उसी पते पर अप्रैल 2003 और जुलाई 2012 के बीच चार बार टीआरओ द्वारा फिर से जारी किया गया था। सितम्बर 2012 से टीआरओ, वसूली कार्रवाई शीघ्र करने के लिए निर्धारिती का नवीनतम पता, चल और अचल संपत्ति का विवरण प्रदान करने के लिए एओ से निरंतर अनुरोध कर रहा था। तथापि, इस संबंध में जुलाई 2015 तक टीआरओ को एओ द्वारा कोई भी उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था और मांग बकाया रही।

ख. पश्चिम बंगाल, प्रधान सीआईटी-1, कोलकाता प्रभार में, नि.व. 1994-95 से 1998-99 के लिए सोमानी स्विस् इंडस्ट्रीज के मामले में, ₹ 6.27 करोड़ की मांग के लिए टीआरसी सितम्बर 2005 में निकाला गया था। तदनुसार, निर्धारिती को नोटिस जारी किया गया था (सितम्बर 2005)। अभिलेखों से यह स्पष्ट था कि टीआरओ ने संबन्धित एओ को सूचित किया (सितम्बर 2008) कि निर्धारिती कंपनी नहीं मिल रही थी। इससे पूर्व, टीआरओ ने, यदि पता लगाने योग्य हो तो, निदेशक के संबंध में धारा 179 के प्रावधानों के बारे में एओ से अनुरोध भी किया था (जून 2008)। परिणाम का कोई भी तथ्य कि एओ द्वारा ऐसे आदेश प्राप्त हुए थे या मांग की वसूल न किए जाने योग्य के रूप में घोषणा अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी। आईटीडी ने कहा (जुलाई 2015) कि धारा 179⁷⁸ के अंतर्गत आदेश जारी करना और मांग की वसूली न किए जाने योग्य की घोषणा पर विचार किया जा रहा था।

₹ 136.67 करोड़ के कर मांग की बकाया के लिए टीआरसी या तो बिलकुल भी तैयार नहीं किए गए थे या विलम्बित थे।

6.7.9 कर वसूली प्रमाण-पत्र का आहरण

दिनांक 18.01.2002 के एफ सं. 402/2/2002-आईटीसी में अधिनियम की धारा 119 के अंतर्गत बोर्ड के आदेश के संदर्भ में, धारा 222⁷⁹ के अंतर्गत टीआरसी जारी करना अपेक्षित है। सभी मामलों में जहां मांग एक वर्ष पुरानी है, वसूली के लिए समय पर और शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए ताकि

78 धारा 179 परिसमापि प्रायवेट कंपनी के निदेशकों की जिम्मेदारी का प्रावधान करती है

79 धारा 222 से 232 टीआरओ के कार्य से सम्बन्धित है।

चूककर्ता द्वारा निपटान, हटाने, चल/अचल संपत्ति को छुपाने के अवसर न्यूनतम हों।

हमने ₹ 136.67 करोड़ के कर मांग के बकाया से जुड़े 95 मामलों⁸⁰ में देखा कि जहां टीआरसी या तो बिल्कुल भी तैयार नहीं किए थे या विलंब से तैयार किए गए थे। बॉक्स 6.5 ऐसे दो मामले दर्शाता है

बॉक्स 6.5 टीआरसी का विलंबित आहरण/आहरण नहीं किया गया

क. उत्तर प्रदेश, सीआईटी-II, कानपुर प्रभार में, फ़ाईन इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, दिसंबर 2011 और जनवरी 2012 में पूर्ण संवीक्षा के निर्धारण के बाद ₹ 20.54 करोड़ और ₹ 37.94 करोड़ की मांग तीन वर्षों से अधिक के लिए वसूली हेतु लंबित थी। एओ ने टीआरसी के आहरण और धारा 222 से 232 के प्रावधानों के अनुसार शक्तियों का प्रयोग करके प्रभावी वसूली कार्रवाई के लिए अगस्त 2014 में टीआरओ को सूचित किया। तथापि, (जून 2015) तिथि तक टीआरओ द्वारा कोई भी टीआरसी तैयार नहीं किया।

ख. बिहार, सीआईटी सेंट्रल, पटना प्रभार में, डॉ. अजीत कुमार वर्मा का मामले में एओ ने टीआरसी जारी करने के लिए फरवरी 2008 में टीआरओ से अनुरोध किया था लेकिन सात वर्ष समाप्त होने के बाद भी वह जारी नहीं किया गया था।

इस प्रकार, उपरोक्त लेखापरीक्षा निष्कर्ष दर्शाते हैं कि या तो कर मांग के बकाया को बट्टे खाते में डालने की प्रक्रिया नहीं की गई थी या सीबीडीटी नियमपुस्तिका प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बट्टे खाते में डाला गया था। इसके अतिरिक्त, टीआरओ और क्षेत्राधिकारी एओ के बीच समन्वय की कमी के परिणामस्वरूप कर मांग के बकाया के शेष का संचय भी हुआ। इसके अतिरिक्त, या तो क्षेत्रीय समितियां अधिकतर प्रभारों/राज्यों में बनाई नहीं गई थीं; या यदि बनाई गई थीं, तो कर मांग के बकाया को बट्टे खाते में डालने के प्रस्ताव की समीक्षा, संवीक्षा और विचार करने के लिए उनकी कोई बैठक नहीं की गई थी।

आईटीडी ने बट्टे खाते में डालने योग्य उचित मामलों को पहचानने के लिए शीघ्र कार्रवाई नहीं की। सीबीडीटी ने उच्च मूल्य मामले जो काफी समय से लंबित थे और बट्टे खाते में डालने के लिए अपेक्षित थे, की मॉनीटरिंग के लिए तंत्र/प्रणाली भी नहीं बनाई।

80 आन्ध्र प्रदेश (89 मामले), बिहार (एक मामला), तमिलनाडु (चार मामले), और उत्तर प्रदेश (एक मामला)

एओ और सीजआईटी ने सीबीडीटी नियमपुस्तिका में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार रिपोर्ट/विवरण प्रस्तुत नहीं किए थे। 'कर वसूली' और 'बट्टे खाते में डालने' के लिए बनाए गए अपेक्षित रजिस्टर या तो अनुरक्षित नहीं किए गए थे या उचित रूप से अनुरक्षित नहीं किए गए थे। वसूल न किए जाने योग्य मांग या बट्टे खाते में डाली गई बकाया मांग के संबंध में ऐसी मांगों की मोनीटरिंग के लिए संबन्धित निर्धारिती के एकीकृत चालू वही खाता (आईआरएलए) में कोई भी प्रविष्टि नहीं की गई थी। विभिन्न रिपोर्टों अर्थात् डॉज़ियर रिपोर्ट, सीएपी, क्यूपीआर जो गलत प्रबंधन सूचना प्रणाली का जोखिम उत्पन्न कर सकती है, में विसंगति थी। टीआरओ की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

6.8 आंतरिक नियंत्रण

6.8.1 एओ और सीजआईटी द्वारा रिपोर्ट/विवरणों का प्रस्तुतीकरण

एमओपी खंड-II (तकनीकी) के अध्याय 13 के पैरा 15.1 और 15.2 के अनुसार, एओ को क्षेत्राधिकारी सीआईटी को बट्टे खाते में डाली गई राशि के संबंध में निर्धारित प्रो-फ़ोर्मा में त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, सभी क्षेत्राधिकारी सीजआईटी को निर्धारित प्रो-फ़ोर्मा में निदेशक निरीक्षण (आरएस एंड पीआर) को राजस्व के दावों की छूट या छोड़ने के संबंध में वार्षिक विवरण और आंशिक रूप से बट्टे खाते में डाले गए मामलों में रखी गई राशि की वसूली की प्रगति रिपोर्ट दर्शाते हुए निर्धारित प्रो-फ़ोर्मा में अर्द्ध-वार्षिक रिपोर्ट सीबीडीटी को प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

हमने देखा कि 2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान, एओ ने 11 राज्यों⁸¹ के मामले में त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी। सीबीडीटी और निदेशक, निरीक्षण (आरएस एंड पीआर) को सीएसआईटी द्वारा छह राज्यों⁸² द्वारा अर्द्ध वार्षिक और वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी।

इसलिए यह दर्शाता है कि सीआईटी और सीबीडीटी के स्तर पर बट्टे खाते में डालने, वसूली की प्रगति और दावों की छूट और छोड़ने पर प्रभावी निगरानी और नियंत्रण नहीं थे।

6.8.2 रजिस्ट्रों का रखरखाव

एमओपी खंड-II, (तकनीकी) के अध्याय 12 के पैरा 7.1 के अनुसार टीआरओ द्वारा 11 महत्वपूर्ण रजिस्टर⁸³ अनुरक्षित किए जाने हैं और एओ को वसूल न किए जाने योग्य मांग (अध्याय 13 के पैरा 15.1) का रजिस्टर अनुरक्षण

81 आंध्रप्रदेश, असम, गोआ, गुजरात, कर्नाटक, केरल, उडिशा, राजस्थान, तमिलनाडू, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल

82 असम, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और पश्चिम बंगाल

83 कैश बुक, सम्बद्ध और बेची गई चल एवं अचल सम्पत्तियों का रजिस्टर, निष्पादन रजिस्टर, प्रमाणिक मांग के दैनिक कटौती उगाही का रजिस्टर, स्टे रजिस्टर, किश्त रजिस्टर, निपटान रजिस्टर, समाप्त प्रमाणपत्र रजिस्टर, अभिरक्षक रजिस्टर, दैनिक डायरी और परिसमापन बीआईएफआर और सिक में कंपनी के मामले में वसूली का रजिस्टर;

करना अपेक्षित है। आईटीडी में टीआरओ ने उनके द्वारा जारी टीआरसी का विवरण दर्शाते हुए एक 'वसूली प्रमाण-पत्र के रजिस्टर' का अनुरक्षण किया।

इसके अतिरिक्त, वसूल न किए जाने योग्य मांग (अध्याय 13 का पैरा 9.1) को बट्टे खाते में डालना पूर्ण रूप से प्रशासनिक कार्य है। यह आईटीडी को अधिनियम के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करके ऐसे बट्टे खाते में डाली गई राशि की वसूली से नहीं रोकता। वसूली सिविल मुकदमा दायर करके भी प्रभावित की जा सकती है। परिसीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची में अनुच्छेद 112 को ध्यान में रखते हुए, यद्यपि जिस तिथि में कर देय हुआ था से 30 वर्ष समाप्त होने के बाद सिविल मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता।

हमने निम्नलिखित देखा:

क. ओडिसा और मध्य प्रदेश में टीआरओ द्वारा अधिकांश निर्धारित 11 रजिस्टर तैयार नहीं किए गए थे। असम, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश में, आईटीडी ने 'वसूली प्रमाण पत्र का रजिस्टर उचित रूप से अनुरक्षित नहीं किया था।

ख. 11 राज्यों⁸⁴ में 'वसूली प्रमाण पत्र का रजिस्टर' नहीं बनाया गया था।

ग. असम, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश में, आईटीडी ने बट्टे खाते में डाली गई मांग की प्रगति देखने के लिए कोई भी अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए थे।

यह दर्शाता है कि आईटीडी का आंतरिक नियंत्रण प्रभावी नहीं था।

6.8.3 कर मांग के बकाया का कम्प्यूटरीकरण और बट्टे खाते में डालना

आईटीडी में कम्प्यूटरीकरण के साथ, एकीकृत चालू बही खाता (आईआरएलए) मोड्यूल एओ को कर मांग के बकाया जो वसूली न करने योग्य हो गया हो का विवरण प्रवृष्टि करने की अनुमति देता है। तथापि, यदि भविष्य की तिथि में, यदि वसूल न किए जाने योग्य/बट्टे खाते में डाली गई बकाया मांग में से संबन्धित निर्धारिती से कोई उगाही की गई हो, ए.ओ को मांग की उचित मॉनीटरिंग के लिए उस परिणाम की संबन्धित निर्धारिती के आईआरएलए में प्रवृष्टि करनी चाहिए।

पश्चिम बंगाल के साथ-साथ असम में पूर्व कम्प्यूटरीकरण और पश्च कम्प्यूटरीकरण की अवधि की वसूल न किए जाने योग्य मांगों और बट्टे खाते में डाली गई मांगों को आईआरएलए मोड्यूल में समाविष्ट किया गया था की कोई भी जानकारी लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से नहीं पाई गई थी। गुजरात और राजस्थान में, आईआरएलए उचित रूप से कार्य नहीं कर रहा था और जब भी निर्धारिती द्वारा मांग जमा की जाती थी, वह आईआरएलए में स्वतः ही प्रतिबिम्बित नहीं होती थी।

84 असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल

6.8.4 डोज़ियर रिपोर्ट, केंद्रीय कार्रवाई योजना (सीएपी) रिपोर्ट और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर)

सीबीडीटी ने कर मांग के बकाया की मॉनीटरिंग के लिए प्रभावी नियंत्रण तंत्र के रूप में डोज़ियर रिपोर्ट, सीएपी रिपोर्ट, क्यूपीआर आदि तैयार किया। प्रत्येक डोज़ियर रिपोर्ट में दर्शाए गए कर मांग के बकाया को निर्धारण अभिलेखों और अन्य संबन्धित अभिलेखों में दर्शाए गई राशि के अनुरूप होना चाहिए।

हमने देखा कि 11 राज्यों⁸⁵ में, आईटीडी द्वारा अनुरक्षित अन्य सुसंगत अभिलेखों के संदर्भ में बकाया में काफी विसंगति थी।

विभिन्न रिपोर्ट/विवरणियों में रिपोर्टिंग में असंगति गलत प्रबंधन सूचना प्रणाली के जोखिम से पूर्ण है। बॉक्स 6.6 ऐसे दो मामले दर्शाता है।

बॉक्स 6.6: डोज़ियर रिपोर्ट, सीएपी और क्यूपीआर पर विसंगतियों पर निदर्शी मामले

क. पश्चिम बंगल, प्रधान सीआईटी-2, कोलकाता प्रभार में, **बाहबली ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड** के मामले में, नि.व. 2008-09, निर्धारण अभिलेखों के अनुसार कर मांग का वास्तविक बकाया ₹ 6.80 करोड़ था जबकि मार्च 2015 में समाप्त तिमाही के लिए उचित डोज़ियर रिपोर्ट में निर्धारित के प्रति कर मांग का बकाया ₹ 10.33 करोड़ दर्शाया गया था।

ख. दिल्ली, सीआईटी सेंट्रल-II प्रभार में, 01.04.1990 से 14.02.2001 के ब्लॉक अवधि के लिए **ऊषा जनरल फूड्स लिमिटेड** के प्रति फरवरी 2003 में ₹ 27.92 करोड़ की मांग की गई थी। इस मांग को धारा 221(1) के अंतर्गत एओ द्वारा अक्टूबर 2011 में ₹ 54.73 करोड़ तक बढ़ा दिया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि मांग को बढ़ाने के तीन वर्ष से अधिक समय समाप्त होने के बाद भी, सीसीआएटी ने मार्च 2015 में समाप्त तिमाही के लिए डोज़ियर में निदेशालय आयकर (वसूली) को ₹ 27.92 करोड़ की वास्तविक मांग ही भेज रहा था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 26.81 करोड़ की गलत रिपोर्टिंग हुई।

6.8.5 टीआरओ की आंतरिक लेखापरीक्षा

आईटीडी में गठित आंतरिक लेखापरीक्षा सुनिश्चित करता है कि आईटीडी के सुचारू कार्यचालन के लिए निर्धारित विनियमों और प्रक्रियाओं का गलती और धोखाधड़ी के प्रति पर्याप्त सुरक्षा उपायों सहित अनुपालन किया जाता है। आंतरिक लेखापरीक्षा विंग प्रत्यक्ष रूप से सीआईटी के नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करता है और आईटीडी की विभिन्न इकाइयों की लेखापरीक्षा के लिए त्रैमासिक कार्यक्रम तैयार करता है।

हमने देखा कि आईटीडी के आंतरिक लेखापरीक्षा विंग ने 2012-13 से 2014-15 के दौरान टीआरओ की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की। प्रत्येक वर्ष आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा कवर किए जाने वाले टीआरओ की न्यूनतम संख्या निर्धारित करने के लिए बकाया कर की वसूली की प्रभावी रूप से मॉनीटर करने के लिए पशच निर्धारण संग्रहण प्रक्रिया की आंतरिक लेखापरीक्षा को मज़बूत करने के संबंध में सीएजी की 2011-12 की रिपोर्ट संख्या 23 के अध्याय 3 में भी सिफ़ारिश की गई थी।

85 दिल्ली, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओड़ीशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल

6.9 निष्कर्ष

वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान, कर मांग के कुल बकाया सहित पीडब्ल्यूओ/एएनटी/एनएआर के कारण वसूल करने में मुश्किल मांग की प्रतिशतता 12.59 प्रतिशत से 22.60 प्रतिशत तक काफी बढ़ी। तथापि, पीडब्ल्यूओ/एएनटी/एनएआर के कारण वसूली करने में मुश्किल मांग के ₹ 74,077.78 करोड़ में से, केवल ₹ 2.21 करोड़ 31 मार्च 2015 तक बट्टे खाते में डाला गया। अधिकांश प्रभागों/राज्यों में, क्षेत्रीय समिति या तो उगाही न की गई मांगों की समीक्षा के लिए बनाई ही नहीं गई थी या यदि बनाई गई थी तो, 2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान कोई बैठक नहीं की गई थी।

हमने देखा कि बकाया मांग, सीबीडीटी नियमपुस्तिका के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बट्टे खाते में डाली गई थी। आईटीडी ने कर मांग के बकाया को बट्टे खाते में नहीं डाला जिसके लिए संबन्धित टीआरओ द्वारा आईसी जारी किए गए थे। बकाया मांग को भी नियमित प्रक्रिया का पालन करके वसूल न किए जाने योग्य घोषित नहीं किया गया जहां पर निर्धारिती का पता नहीं लग पा रहा था और कोई भी निधि/परिसंपत्ति या अपर्याप्त निधि/परिसंपत्ति नहीं थी। इसके अतिरिक्त, न तो पुराने कर मांग के बकाया को वसूल न किए जाने योग्य घोषित किया गया था न ही इन्हें जारी करने के बाद बट्टे खाते में डालने के लिए टीआरओ द्वारा आईसी क्षेत्राधिकारी एओ को वापस संदर्भित किया गया था। बकाया मांग को टीआरओ और क्षेत्राधिकारी एओ के बीच समन्वय में कमी के कारण प्रभावी निपटान के लिए नहीं लिया गया था। एओ और सीएसआईटी ने सीबीडीटी नियमपुस्तिका में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार रिपोर्ट/विवरण प्रस्तुत नहीं किया। 'कर वसूली' और 'बट्टे खाते में डालने' के लिये अपेक्षित रजिस्टर या तो बनाए नहीं किए थे या अनुचित रूप से बनाए गए थे।

कर मांगों के बकाया को बट्टे खाते में डालने के लिये मौद्रिक सीमा अंतिम बार 2003 में संशोधित की गई थी जिसे आईटीडी में नवीनतम पुनर्गठन और राजस्व संग्रहण में वृद्धि को ध्यान में रखते हुये फिर से नहीं देखा गया। आईटीडी ने उचित मामले जो बट्टे खाते में डालने योग्य थे, की पहचान के लिये शीघ्र कार्रवाई नहीं की। सीबीडीटी ने उच्च मूल्य वाले मामले जो काफी समय से लंबित थे और बट्टे खाते में डालने के लिए अपेक्षित थे की मानीटरिंग के लिये कोई तंत्र/प्रणाली भी विकसित नहीं की थी।

6.10 सिफारिशें

हम सिफारिश करते हैं कि :

- क. आईटीडी को सुनिश्चित करना चाहिये कि उचित प्रक्रिया के अंतर्गत बट्टे खाते में डालने की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिये उगाही न की गई मांगों का पता लगाने के लिए कर मांग के बकाया की आवधिक

समीक्षा की जाये और बकाया के मामलों के शीघ्र निपटान के लिये एओ और टीआरओ के बीच उचित समन्वय हो।

- ख. आईटीडी बकाया कर की वसूली की संभावना का निर्णय लेने में अनिश्चित विलंब से बचने और बट्टे खाते में डाले गये मामलों के शीघ्र निपटान के लिए टीआरओ के साथ-साथ अन्य प्राधिकारियों द्वारा देखे जाने हेतु निश्चित समयसीमा निर्धारित करे।
- ग. आईटीडी सुनिश्चित करे कि अद्यतित रिपोर्टों/विवरणों/रजिस्ट्रों सहित पीडब्ल्यूओ/एएनटी/एनएआर के रूप में वर्गीकृत बकाया मांग के विवरणों का टीआरओ/एओ द्वारा उचित रूप से रखरखाव किया गया है। आईटीडी प्रत्येक वर्ष टीआरओ की पर्याप्त संख्या की लेखापरीक्षा सुनिश्चित करने के लिये अपने आंतरिक लेखापरीक्षा विंग को भी सुदृढ़ करे।

उपरोक्त सिफारिशों पर, मंत्रालय ने बताया (30 नवंबर 2015) कि कर प्रशासन सुधार कमीशन की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये, सीबीडीटी ने मौजूदा दिशानिर्देशों को अद्यतित करने और संशोधित करने के लिये पहले से समिति का गठन किया हुआ था जिसने बट्टे खाते में डालने की प्रक्रिया को सरल बनाने और सुधारने का प्रस्ताव रखते हुये जून 2015 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने बताया कि समिति की रिपोर्ट विचाराधीन है और लेखापरीक्षा की सिफारिशों को जारी किए जाने हेतु प्रस्तावित संशोधित दिशानिर्देशों में समाविष्ट करने पर विचार किया जायेगा।

नई दिल्ली
दिनांक: 09 फरवरी 2016


(राजीव भूषण सिन्हा)
महानिदेशक (प्रत्यक्ष कर)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 09 फरवरी 2016


(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट 1 (संदर्भ: पैराग्राफ 1.2.2)

प्रत्यक्ष कर प्रशासन का विवरण					(₹ करोड़ में)
1. संग्रहण⁸⁶	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
i) निगम कर	2,98,688	3,22,816	3,56,326	3,94,678	4,28,925
ii) आयकर	1,39,102	1,64,525	1,96,843	2,37,870	2,58,374
iii) अन्य प्रत्यक्ष कर	8,205	6,646	5,820	6,048	8,493
iv) कुल प्रत्यक्ष कर संग्रहण	4,45,995	4,93,987	5,58,989	6,38,596	6,95,792
2. निर्धारिती प्रोफाईल⁸⁷	(आंकड़े लाख में)				
i) गैर कार्पोरेट निर्धारिती	332.04	357.61	367.87	463.57	599.88
ii) कार्पोरेट निर्धारिती	3.76	5.85	5.90	6.75	7.72
कुल निर्धारिती	335.80	363.46	373.77	470.32⁸⁸	607.60⁸⁸
3. संग्रहण के स्तर⁸⁹	(₹ करोड़)				
क. पूर्व निर्धारण संग्रहण	(₹ करोड़)				
i) स्रोत पर कर कटौती	1,68,669	1,98,680	2,10,654	2,48,547	2,59,106
ii) अग्रिम कर	2,12,538	2,51,526	2,75,794	2,92,522	3,26,525
iii) स्व-निर्धारण कर	36,887	27,648	39,470	44,123	52,050
(iv) आनुपातिक अधिभार और उपकर	18,007	23,814	18,568	25,174	27,731
कुल पूर्व निर्धारण संग्रहण	4,36,101	5,01,667	5,44,486	6,10,366	6,65,412
ख पश्च-निर्धारण संग्रहण	(₹ करोड़)				
i) नियमित निर्धारण	51,838	51,512	62,418	72,528	80,189
ii) अन्य प्राप्तियाँ	21,622	20,705	25,792	32,080	46,151
iii) आनुपातिक अधिभार और उपकर	4,337	5,615	4,236	6,630	7,707
कुल पश्च-निर्धारण संग्रहण	77,797	77,832	92,446	111,238	134,047
सकल संग्रहण की प्रतिशतता के रूप में पूर्व निर्धारण संग्रहण	84.86	86.57	85.49	84.58	83.23
4. निर्धारणों की स्थिति⁸⁷	(संख्या)				
i) निपटान हेतु देय संवीक्षा निर्धारण	8,47,196	7,74,807	5,93,761	6,98,652	10,26,575
ii) निपटाये गये संवीक्षा निर्धारण (प्रतिशत)	4,55,213 (53.73)	3,69,320 (47.67)	3,08,398 (51.94)	2,84,750 (40.76)	5,35,444 (52.16)
iii) प्रक्रिया के लिए बकाया गैर-संवीक्षा निर्धारण	5,22,76,829	3,92,32,628	2,90,37,299	2,68,22,541	1,99,59,846
iv) संसाधित गैर-संवीक्षा निर्धारण (प्रतिशत)	3,06,36,718 (58.60)	2,77,21,088 (70.66)	1,70,47,634 (58.71)	1,75,37,405 (65.38)	1,25,58,932

86 स्रोत: संबंधित वर्ष के संघ वित्तीय लेखे।

87 स्रोत: महानिदेशक, आयकर (लौजिस्टिक्स), अनुसंधान एवं सांख्यिकी विंग, नई दिल्ली।

88 वि.व. 2013-14 में 159.93 लाख मामले और वि.व. 2014-15 में 169.35 लाख मामले शामिल हैं जहां गैर शून्य 26एस विद्यमान है लेकिन अभिलेख में कोई आईटीआर दर्ज नहीं हैं।

89 स्रोत: कर संग्रहण ऑफ़-प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीडीटी, नई दिल्ली।

2016 की प्रतिवेदन संख्या 3 (प्रत्यक्ष कर)

v) निर्धारण कार्य हेतु तैनात अधिकारियों की संख्या ⁸⁷	3,687	3,737	3,657	4,033	6,576
5. प्रत्यक्ष प्रतिदाय मामले⁹⁰					(लाख में संख्या)
	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
i) निपटान हेतु बकाया दावे	59.92	52.83	38.84	34.53	31.53
ii) निपटाए गए दावे (प्रतिशत)	40.42 (67.46)	40.33 (76.34)	27.65 (71.19)	25.76 (74.60)	22.68 (71.93)
iii) लंबित दावों की संख्या	19.50	12.50	11.19	8.77	8.85
6. प्रतिदाय और प्रतिदायों पर ब्याज					(₹ करोड़ में)
i) प्रतिदाय ⁹¹	75,169	93,814	83,766	89,060	1,12,163
ii) प्रतिदायों पर ब्याज ⁹⁰	10,499	6,486	6,666	6,598	5,332
iii) प्रतिदायों की प्रतिशत के रूप में ब्याज	13.9	6.9	8.0	7.4	4.8
7. संग्रहण की दक्षता⁹²					(₹ करोड़ में)
i) पूर्व वर्ष के लंबित संग्रहण की मांग	2,02,859	2,65,040	4,09,456	4,80,066	5,68,724
ii) चालू वर्ष के लंबित संग्रहण की माँग	88,770	1,43,378	76,724	95,274	1,31,424
कुल लंबित मांग	2,91,629	4,08,418	4,86,180	5,75,340	7,00,148
8. सीआईटी (ए) स्तरों पर अपीलों की स्थिति⁹⁰					(संख्या)
i) निपटान हेतु लंबित अपीलें	2,57,656	3,06,134	2,84,439	3,02,944	3,05,862
ii) निपटायी गई अपीलें (प्रतिशत)	70,474 (27.40)	75,518 (24.67)	85,049 (29.90)	87,770 (28.97)	73,736 (24.20)
iii) लंबित अपीलें	1,87,182	2,30,616	1,99,390	2,15,174	2,32,126
iv) अपीलों में अवरूद्ध राशि	1,98,088	2,42,182	2,59,556	2,87,443	3,83,797
9. कर वसूली अधिकारी⁹⁰					(₹ करोड़ में)
i) कुल प्रमाणित मांग	1,11,065.4	1,23,288.08	1,60,582.32	2,27,950.21	2,43,330.96
ii) वसूली गई प्रमाणित माँग (प्रतिशत)	4,074.6 (3.70)	9,756.39 (7.91)	6,764.65 (4.21)	6,703.02 (2.94)	7,391.07 (3.04)
iii) लंबित प्रमाणित माँग (प्रतिशत)	1,06,990.8 (96.30)	1,13,531.7 (92.09)	1,53,817.7 (95.79)	2,21,247.2 (97.06)	2,35,939.89 (96.96)
10. संग्रहण की कुल लागत⁹¹					(₹ करोड़ में)
संग्रहण की कुल लागत	2,698	2,976	3,284	3,642	4,101

90 स्रोत: महानिदेशक, आयकर (लौजिस्टिक्स), अनुसंधान एवं सांख्यिकीय विंग, नई दिल्ली।

91 स्रोत: प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीडीटी, नई दिल्ली।

92 स्रोत: मार्च 2015 माह के विश्लेषण सहित सीएपी-1 मांग एवं संग्रहण विवरण।

परिशिष्ट 2.1 (संदर्भ: पैराग्राफ 2.5.2)

राज्य	वर्ष 2013-14 के दौरान पूर्ण किए गए निर्धारण	वर्ष 2014-15 के दौरान लेखापरीक्षा में जांचे गए निर्धारण	त्रुटियों वाले निर्धारण	संवीक्षा निर्धारणों में की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों का कुल राजस्व प्रभाव (₹ करोड़ में)	त्रुटियों वाले निर्धारणों की प्रतिशतता (कॉ. 4/ कॉ. 3x100)
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	15,660	13,600	1,133	2,688.63	8.33
असम	2,995	2,973	309	56.91	10.39
बिहार	797	765	230	38.63	30.07
छत्तीसगढ़	3,219	3,326	153	200.21	4.60
दिल्ली	28,563	26,421	1,191	1,672.8	4.51
गोवा	509	507	16	25.31	3.16
गुजरात	23,914	22,518	1,052	1,498.96	4.67
हरियाणा	4,780	4,544	510	333.87	11.22
हिमाचल प्रदेश	1,040	655	248	4.88	37.86
जम्मू एवं कश्मीर	520	407	37	1.86	9.09
झारखण्ड	2,884	1,446	123	35.26	8.51
कर्नाटक	17,222	13,783	802	1,339.37	5.82
केरल	5,720	5,172	454	230.18	8.78
मध्य प्रदेश	9,275	8,743	491	243.56	5.62
महाराष्ट्र	35,109	34,164	1,791	3,020.31	5.24
ओडिशा	3,794	3,601	299	544.11	8.30
पंजाब	3,701	3,594	306	82.40	8.51
संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	1,620	1,583	152	70.40	9.60
राजस्थान	10,740	13,236	865	1,056.67	6.54
तमिलनाडु	17,296	16,324	1,684	1,606.93	10.32
उत्तर प्रदेश	20,879	18,093	1,101	821.93	6.09
उत्तराखण्ड	906	897	69	35.16	7.69
पश्चिम बंगाल	14,552	14,155	2,541	3,464.38	17.95
जोड़	2,25,695	2,10,507	15,557	19,077.72	7.39

परिशिष्ट 2.2 (संदर्भ: पैराग्राफ 2.5.4 देखें)

स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए आय कर और निगम कर से संबंधित अवनिर्धारणों का श्रेणीवार विवरण		
(₹ करोड़ में)		
उप श्रेणी	मामले	कर प्रभाव
क. निर्धारणों की गुणवत्ता	4,377	2,032.05
क. आय और कर की संगणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ	1,255	922.49
ख. कर, अधिभार इत्यादि की गलत दर लगाना	404	85.73
ग. विवरणियों की प्रस्तुती, कर के भुगतान में विलम्ब के लिए ब्याज/शास्ति का उदग्रहण/अनुदग्रहण	2,512	861.11
घ. प्रतिदायों पर अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदायों पर ब्याज	164	141.68
ङ. अपीलीय आदेशों को प्रभावी करते समय निर्धारणों में त्रुटियाँ	42	21.04
ख. रियायतों/छूटों/कटौतियों का कर प्रशासन	6,778	11,201.11
क. निगमों को दी गई अनियमित छूटों/ कटौतियाँ/ राहतें	655	1,502.41
ख. ट्रस्टों/फर्मों/सोसाइटियों को दी गई अनियमित छूटें/ कटौतियाँ/राहतें	487	273.25
ग. व्यक्तियों को दी गई अनियमित छूटें/ कटौतियों/ राहतें	277	43.68
घ. कारोबारी व्यय की गलत अनुमति	4,235	5,613.88
ङ. मूल्यहास/कारोबारी हानियाँ/पूँजीगत हानियाँ अनुमत करने में अनियमितताएं	1,122	3,766.41
च. डीटीएटी राहत की गलत अनुमति	2	1.48
ग. चूकों के कारण निर्धारणों से छूटी आय	2,639	2,799.31
क. मेट/टनेज कर इत्यादि सहित विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत	172	197.83
ख. अस्पष्ट निवेश/नकद क्रेडिट इत्यादि	527	548.94
ग. पूँजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण और संगणना	484	738.00
घ. आर्म लैन्थ मूल्य का गलत आंकलन	9	0.90
ङ. पति/पत्नी, अवयस्क बच्चे की आय को मिलाने में चूक	13	1.10
च. गृह सम्पत्ति से आय की गलत संगणना	146	24.50
छ. वेतन आय की गलत संगणना	64	17.44
ज. टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों को लागू करने में त्रुटियाँ	1,224	1,270.60
घ. अन्य	2,442	2,749.89
जोड़	16,236	18,782.36

परिशिष्ट 2.3 (पैराग्राफ 2.5.5 देखें)

क्रम सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारित का नाम	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
निगम कर						
निर्धारणों की गणवत्ता आयकर और कर की संगणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ						
1.	20-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी 4, कोलकाता	आई नोवा मार्केटिंग लिमिटेड	2011-12	164.39
2.	23-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-VI, दिल्ली	वोडथ सीमेन्स हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड	2007-08	89.00
3.	24-सीटी	दिल्ली	सीआईटी (केन्द्रीय)-I, दिल्ली	पर्ल बेवरेज लिमिटेड	2011-12	699.15
4.	37-सीटी	दिल्ली	सीआईटी (केन्द्रीय)-II, दिल्ली	ऐरेन्स प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	2006-07	193.73
5.	40-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-I, दिल्ली	सेन्टम लर्निंग लिमिटेड	2010-11	252.20
6.	44-सीटी	तमिलनाडू	सीआईटी-5, चैन्नई	पूमपुहार शिपिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	2008-09	115.35
7.	45-सीटी	तमिलनाडू	सीआईटी-2, चैन्नई	फिचर कन्सल्टिंग इंजिनियर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2011-12	132.35
8.	46-सीटी	तमिलनाडू	सीआईटी-2, चैन्नई	हिलियोस एंड मैथेसन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड	2006-07	69.97
9.	47-सीटी	तमिलनाडू	सीआईटी-2, चैन्नई	एल एंड टी इंटरस्टेट रोड कॉरिडोर लिमिटेड	2011-12	53.66
10.	59-सीटी	कर्नाटक	सीआईटी-III, बैंगलौर	सैफरन इंजिनियरिंग सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2009-10	85.41
11.	68-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-XI, मुम्बई	एसकेओएल ब्रेवरिज लिमिटेड	2005-06	1,406.11
12.	77-सीटी	गुजरात	सीआईटी-I, अहमदाबाद	दियश इन्फ्रा डेवेलोपर्स प्राइवेट लिमिटेड	2009-10	60.47
13.	89-सीटी	कर्नाटक	सीआईटी-I, बैंगलौर	ब्रॉडकॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2009-10	57.76
14.	90-सीटी	कर्नाटक	सीआईटी-एलटीयू, बैंगलौर	श्री एम इंडिया लिमिटेड	2006-07	115.82
15.	92-सीटी	तमिलनाडू	सीआईटी-1, चैन्नई	कोवैनसिस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	2009-10	61.01
16.	96-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-VIII, दिल्ली	श्रीशिवा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	2006-07	91.96

2016 की प्रतिवेदन संख्या 3 (प्रत्यक्ष कर)

क्रम सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
17.	102-सीटी	तमिलनाडू	सीआईटी-एलटीयू चैन्नई	चोलामंडलम एमएस जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	2010-11	154.27
18.	103-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-1, नागपुर	वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड	2005-06	320.98
19.	112-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-IV, दिल्ली	एच.टी मिडिया लिमिटेड	2010-11	198.02
20.	128-सीटी	तमिलनाडू	सीआईटी-2, कोयमबटूर	पी वीज रीअलटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2011-12	50.77
21.	130-सीटी	कर्नाटक	सीआईटी-केन्द्रीय, बैंगलौर	रंजीत पुरा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	2010-11	70.50
22.	132-सीटी	राजस्थान	सीआईटी-अजमेर	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2011-12	267.25
23.	138-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-8, मुम्बई	फर्टिलाइजर फाइजर लिमिटेड	2005-06	695.76
24.	152-सीटी	केरला	सीआईटी-त्रिवेन्द्रम	स्टेट बैंक ऑफ त्रवनकोर	2002-03	240.70
25.	160-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी (आईटी)-1, मुम्बई	एआईजी ऑफशोर सिस्टम सर्विसेज आईएनसी	2010-11	225.04
26.	166-सीटी	पंजाब	सीआईटी-केन्द्रीय, लुधियाना	निखिल एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड	2010-11	45.46
27.	171-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-VII, दिल्ली	पाइनवुड इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	2011-12	887.48
28.	172-सीटी	बिहार	सीआईटी-1, पटना	सिक्वोरिटी एंड इन्टैलिजैन्स सर्विसेज (आई) लिमिटेड	2010-11	48.94
29.	180-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-1, पूणे	हनीवैल टर्बो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2009-10	210.50
30.	184-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-13, मुम्बई	मैग्नस प्रॉपर्टीज. प्राइवेट लिमिटेड	2010-11	54.86
31.	214-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-4, दिल्ली	गैलोर प्रिंटस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	2009-10	199.67
32.	221-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-9, मुम्बई (नया प्रभार)	इस्टर्न इन्टरनेशनल होटल्स लिमिटेड	2011-12	541.99
33.	234-सीटी	गुजरात	सीआईटी-वलसाढ	वापी वेस्ट एंड मैनेजमेंट को. लिमिटेड	2011-12	271.05
34.	256-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-XV, मुम्बई	3i इन्फोटेक लिमिटेड	2009-10	65.84

क्रम सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
35.	257-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-2, मुम्बई	परफेक्ट इंजिनियरिंग एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड	2008-09	64.39
36.	260-सीटी	उत्तर प्रदेश	सीआईटी-II, कानपुर	यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2011-12	203.01
37.	267-सीटी	मध्य प्रदेश	सीआईटी-II, जबलपुर	मध्य प्रदेश पावर जनरेंटिंग क. लिमिटेड	2011-12	4,018.91
38.	276-सीटी	हरियाणा	सीआईटी-पंचकुला	हरियाणा स्टेट रोड एंड ब्रिज डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2009-10	172.78
39.	290-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-8, मुम्बई	रिलायंस कम्यूनिकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	2008-09	1,792.94
40.	295-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-14, मुम्बई	म्यूजिक ब्राडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड	2011-12	756.69
41.	297-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-5, मुम्बई	एस्सार ऑयल लिमिटेड	2009-10	1,026.72
42.	302-सीटी	तमिलनाडू	सीआईटी-एलटीयू चैन्नई	सुन्दरम फाइनेंस लिमिटेड	2009-10	135.93
43.	305-सीटी	तमिलनाडू	सीआईटी-2, चैन्नई	जे होटल्स प्राइवेट लिमिटेड	2009-10	94.67

निर्धारणों की गुणवत्ता - ब्याजके उद्ग्रहण में गलती

44.	8-सीटी	केरल	सीआईटी-कोजीकोड	मीजन रीअलटर्स प्राइवेट लिमिटेड	2006-07	88.43
45.	16-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी-3, कोलकाता	टायर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2009-10	282.23
46.	30-सीटी	दिल्ली	सीआईटी (केन्द्रीय)-I, दिल्ली	शिव नरेश स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	2011-12	61.35
47.	32-सीटी	दिल्ली	सीआईटी (केन्द्रीय)-I, दिल्ली	जेय पॉलीकेम इंडिया लिमिटेड	2012-13	237.09
48.	36-सीटी	दिल्ली	सीआईटी (केन्द्रीय)-I, दिल्ली	वैली आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड	2011-12	75.39
49.	56-सीटी	गुजरात	सीआईटी-I, अहमदाबाद	दियश इन्फ्रा डेवेलपर्स लिमिटेड	2009-10	79.44
50.	64-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी केन्द्रीय-1, कोलकाता	बेसिल इंटरनेशनल लिमिटेड	2011-12	136.31
51.	69-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-8, मुम्बई	वोडाफोन इंडिया लिमिटेड	2008-09	5,671.64
52.	94-सीटी	दिल्ली	डीआईटी-II अंतर्राष्ट्रीय कराधान.-दिल्ली	पीजेएससी स्टॉयट्रैसेज	2009-10	1,093.11

2016 की प्रतिवेदन संख्या 3 (प्रत्यक्ष कर)

क्रम सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिता का नाम	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
53.	117-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-IV, मुम्बई	रीड एंड टेलर लिमिटेड	2010-11	2,102.86
54.	159-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी -7, मुम्बई	मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2011-12	57.40
55.	168-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी -III, कोलकाता	वैष्णो टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड	2009-10	53.83
56.	190-सीटी	ओडिसा	सीआईटी-भुवनेश्वर	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	2010-11	175.60
57.	201-सीटी	दिल्ली	डीआईटी-1, दिल्ली	एमओएल कार्पोरेशन सीएससी सर्विसेज ऑफ नेवादा इंक	2007-08 and 2008-09	2,986.55
58.	220-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी -4, पुणे	हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड	2007-08	78.30
59.	229-सीटी	दिल्ली	सीआईटी (केन्द्रीय) -1, दिल्ली	बेस्ट सिटी डेवलपमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2008-09	56.77
60.	235-सीटी	तमिलनाडू	सीआईटी -2, चेन्नई	इंडियन पोटाश लिमिटेड	2011-12	291.59
61.	241-सीटी	तमिलनाडू	सीआईटी -6, चेन्नई	श्रीराम ईपीसी लिमिटेड	2008-09	55.68
62.	268-सीटी	मध्य प्रदेश	सीआईटी (केन्द्रीय)-भोपाल	शालीमार फेरस प्राइवेट लिमिटेड, इंदौर	2007-08 और 2008-09	303.00
63.	278-सीटी	मध्य प्रदेश	सीआईटी -भोपाल	डीपी वायर्स प्राइवेट लिमिटेड	2007-08, 2008-09 and 2010-11	51.00
64.	300-सीटी	दिल्ली	सीआईटी -II, दिल्ली	जिन्दल साँ लिमिटेड	2008-09	172.50
65.	301-सीटी	दिल्ली	सीआईटी -III, दिल्ली	दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रीयल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट	2011-12	900.44

निर्धारणों की गुणवत्ता -अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदायों पर ब्याज

66.	7-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-8, मुम्बई	फाइजर लिमिटेड	2005-06	100.89
67.	17-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी 1, कोलकाता	एक्सआईड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2009-10	94.48
68.	60-सीटी	कर्नाटक	सीआईटी-I, बेंगलोर	कॉमफंड फाइनेन्शियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	1993-94	194.02
69.	61-सीटी	दिल्ली	डीआईटी-I (अंत. करा.), दिल्ली	आईजेएम कार्पोरेशन बेरहड	2009-10	67.67
70.	83-सीटी	तमिलनाडू	सीआईटी-3, चेन्नई	टीवीएस मोटर कम्पनी लिमिटेड	2006-07	1,461.83

क्रम सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
71.	204-सीटी	दिल्ली	डीआईटी-II (अंत. करा.)- दिल्ली	मोटोरोला इंक	2009-10	59.94
72.	218-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-I, नागपुर	वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड	2007-08	406.34
73.	219-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-2, मुम्बई	टाटा सन्स लिमिटेड	1996-97	946.41
74.	252-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-2, मुम्बई	टाटा सन्स लिमिटेड	1988-89	155.71
75.	271-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-2, मुम्बई	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	2004-05	322.02
76.	286-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-IV, पुणे	हनीवैल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड	2008-09	170.55
निर्धारणों की गुणवत्ता -कर की दरों तथा अधिभार इत्यादि का अशुद्ध						
77.	2-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-I, हैदाराबाद	मै. आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रीयल इंफ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन लिमिटेड	2006-07	343.22
78.	25-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-I, दिल्ली	सीपी एंड एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड	2011-12	86.60
79.	26-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-IV, दिल्ली	डेन्सों सेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2010-11	59.30
80.	27-सीटी	दिल्ली	सीआईटी (केन्द्रीय)-II, दिल्ली	एबीडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	2011-12	60.97
81.	28-सीटी	दिल्ली	सीआईटी (केन्द्रीय)-II, दिल्ली	माहामाया एक्पोर्टस प्राइवेट लिमिटेड	2011-12	61.72
82.	31-सीटी	दिल्ली	डीआईटी (अंत. करा.)-II, दिल्ली	शोवा कार्पोरेशन	2008-09	52.60
83.	55-सीटी	गुजरात	सीआईटी-I, सूरत	जयंत पेपर मिल्स प्रा. लिमिटेड	2005-06	104.08
84.	108-सीटी	ओडिसा	सीआईटी- भुवनेश्वर	हाईटेक एस्टेटस एंड प्रोमोटर्स प्रा. लिमिटेड	2003-04	26.06
85.	158-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी- केन्द्रीय -IV, मुम्बई	क्रेसेन्ट रिएल्टर्स प्रा. लिमिटेड	2010-11	252.75
86.	170-सीटी	दिल्ली	सीआईटी (केन्द्रीय)-II, दिल्ली	जूम कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड	2011-12	307.88

2016 की प्रतिवेदन संख्या 3 (प्रत्यक्ष कर)

क्रम सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
87.	189-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-II, विशाखापट्टनम	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	2008-09	1,187.10
88.	210-सीटी	राजस्थान	सीआईटी-I, जयपुर	ओम मेटल इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड	2010-11	47.10
89.	246-सीटी	उत्तर प्रदेश	सीआईटी- केन्द्रीय - कानपुर	केएम शुगर मिल्स लिमिटेड	2010-11	790.49

निर्धारणों की गुणवत्ता -अपीलीय आदेश को लागू करतेसमय निर्धारणों में गलतियाँ

90.	14-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी- केन्द्रीय -2, कोलकाता	सेन्सीया ग्लोबल इंफ्राप्रोजेक्टस लिमिटेड	2008-09	59.49
91.	57-सीटी	कर्नाटक	सीआईटी- मंगलोर	सिंडीकेट बैंक	2006-07	3,146.58
92.	97-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी-3, कोलकाता	एसपीएमएल इंफ्रा लिमिटेड	2009-10	473.64
93.	142- सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी-I, कोलकाता	वेस्ट बंगाल स्टेट इलैक्ट्रीसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2008-09	170.91

कर रियायतों/छूटों/कटौतियों की व्यवस्था-मूल्यह्रास /कारोबार हानियों/पूजीगत हानियों की अनुमति देने में अनियमितताएं

94.	1-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-II, हैदराबाद	जेटी इंटरनेशनल (इंडिया) प्रा. लिमिटेड	2009-10	5,770.16
95.	4-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-IV, हैदराबाद	लैदर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन ऑफ एपी लिमिटेड	2011-12	109.91
96.	10-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी -II, कोलकाता	विलियमसन मेगर एंड कम्पनी लिमिटेड	2010-11	88.71
97.	11-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी -I, कोलकाता	मैकनेली भारत इंजीनियरिंग को. लिमिटेड	2010-11	85.29
98.	13-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी -III, कोलकाता	जीजीएल होटल एंड रिसोर्ट	2011-12	84.34
99.	15-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी- केन्द्रीय-2, कोलकाता	रामेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2011-12	217.14
100.	18-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी 1, कोलकाता	लेडीस गायर लिमिटेड	2009-10	83.32
101.	19-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी 4, कोलकाता	टॉलीगंज एस्टेट्स प्रा. लिमिटेड	2011-12	52.09
102.	34-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-IV, दिल्ली	हॉटलाईन सीपीटी लिमिटेड	2009-10	403.15
103.	35-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-IV, दिल्ली	हॉटलाईन सीपीटी लिमिटेड	2009-10	360.30

क्रम सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
104.	39-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-IV, दिल्ली	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड	2009-10	71.74
105.	41-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र.सीआईटी-4, कोलकाता	वी2 रिटेल लिमिटेड	2011-12	598.95
106.	49-सीटी	तमिलनाडू	सीआईटी-एलटीयू, चेन्नई	चेट्टीनाद सीमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	2009-10	325.98
107.	51-सीटी	तमिलनाडू	सीआईटी-2, चेन्नई	हवासीन ऑटोमोटिव इंडिया प्रा. लिमिटेड	2009-10	569.55
108.	54-सीटी	गुजरात	सीआईटी-II, अहमदाबाद	गुजरात लीज फाइनेंस लिमिटेड	2009-10	231.87
109.	62-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-III, दिल्ली	स्पैनटैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2011-12	1,940.76
110.	65-सीटी	तमिलनाडू	सीआईटी-5, चेन्नई	पूमपुहार शिपिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	2006-07	146.98
111.	72-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-1, पुणे	ब्रह्मा बजाज होटल लिमिटेड	2006-07	77.22
112.	74-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-2, मुम्बई	इंडस्ट्रीयल इनवेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड	2010-11	79.37
113.	81-सीटी	Goa	सीआईटी-पानाजी	एल्कोन रिजोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड	2004-05	65.28
114.	86-सीटी	तमिलनाडू	सीआईटी-4, चेन्नई	नीडल इंडस्ट्रीज(इंडिया) प्रा. लिमिटेड	2010-11	76.85
115.	91-सीटी	राजस्थान	सीआईटी-अजमेर	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2011-12	60.31
116.	93-सीटी	गुजरात	सीआईटी-IV, अहमदाबाद	शूटज डिशमैन बायोटेक प्रा. लिमिटेड	2009-10	68.09
117.	95-सीटी	दिल्ली	सीआईटी (केन्द्रीय)-1, दिल्ली	लिटन कंसलटेंसी प्रा. लिमिटेड	2009-10	123.21
118.	104-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-1, पुणे	फेबर हीटक्राफ्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2009-10	512.49
119.	105-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-13, मुम्बई	हाथवे केबल तथा डाटाकॉम लिमिटेड	2008-09	126.79
120.	110-सीटी	ओडिसा	सीआईटी-सम्बलपुर	दीपक स्टील एंड पावर लिमिटेड	2008-09	1685
121.	113-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-1, दिल्ली	एलकाटेल लूसेन्ट इंडिया लिमिटेड	2007-08	1,573.69
122.	115-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-1, दिल्ली	अमेरिकन एक्सप्रेससर्विसेज इंडिया प्रा. लिमिटेड	2008-09	73.81

2016 की प्रतिवेदन संख्या 3 (प्रत्यक्ष कर)

क्रम सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
123.	116-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-केन्द्रीय-1, मुम्बई	एवरस्माईल कनस्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड	2003-04	155.42
124.	121-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी-दुर्गापुर	दुर्गापुर मेडिकल सेन्टर प्रा. लिमिटेड	2010-11, 2011-12	223.23
125.	123-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी केन्द्रीय-1, कोलकाता	आधुनिक मेटालिक्स लिमिटेड	2012-13	858.12
126.	125-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी-2, कोलकाता	श्री अंबाजी ग्रीन ट्री सिरिंज प्रा. लिमिटेड	2011-12	77.82
127.	129-सीटी	तमिलनाडू	सीआईटी-6, चैन्नई	सुन्दरम ब्रेक लाइनिंग लिमिटेड	2008-09 और 09-10	488.40
128.	143-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र.सीआईटी-3, कोलकाता	आरकेबीके फिसकल सर्विसेज प्रा. लिमिटेड	2010-11	55.35
129.	148-सीटी	गुजरात	सीआईटी-II, अहमदाबाद	लाभ कन्सट्रक्शन एंड इंडस्ट्रीयल लिमिटेड	2009-10	99.27
130.	149-सीटी	गुजरात	प्र. सीआईटी-II, बडोद	न्यू एस केम सर्च लिमिटेड	2009-10	68.89
131.	150-सीटी	तमिलनाडू	सीआईटी-5, चैन्नई	पीवीपी कार्पोरेट पार्क्स प्रा. लिमिटेड	2011-12	54.54
132.	157-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-1, मुम्बई	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	2009-10	10,915.84
133.	161-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-5, मुम्बई	महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन	2009-10	559.27
134.	163-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-IX, मुम्बई	ग्लोबैट्रोनिक्स बोम्बे प्रा. लिमिटेड	2011-12	142.21
135.	174-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-2, मुम्बई	टाटा कैपिटल लिमिटेड	2011-12	361.85
136.	177-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-1, ओरंगाबाद	जय लक्ष्मी कास्टिंग एंड एल्योस प्रा. लिमिटेड	2008-09	57.46
137.	179-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-10, मुम्बई	लीला लेस साफ्टवेयर साल्यूशन्स प्रा. लिमिटेड	2008-09	202.29
138.	182-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-2, मुम्बई	टाटा कैपिटल लिमिटेड	2010-11	992.08
139.	185-सीटी	गुजरात	सीआईटी-1, अहमदाबाद	देविका प्रोटिन्स लिमिटेड	2009-10	77.67
140.	188-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-1, विशाखापट्टनम	भारत हैवी प्लेट्स एंड वैसल्स लिमिटेड	2010-11	286.84

क्रम सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिता का नाम	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
141.	198-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-4, मुम्बई	एसकेएम फैब्रिक्स अमाना लिमिटेड	2011-12	165.52
142.	200-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-एलटीयू, दिल्ली	रसानदिक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड	2008-09	93.88
143.	212-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-4, दिल्ली	होंडा ट्रेडिंग कार्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2008-09	132.41
144.	223-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-15, मुम्बई (नया)	कोंकण रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड	2008-09	10,505.54
145.	225-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-एलटीयू, मुम्बई	भारती शिपयार्ड लिमिटेड	2009-10	145.61
146.	226-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-1, पुणे	देलावल प्रा. लिमिटेड	2009-10	110.99
147.	231-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-IV, दिल्ली	आईसी टेक्सटाईल लिमिटेड	2010-11	235.58
148.	237-सीटी	कर्नाटक	सीआईटी-हुबली	विजयानन्द प्रिन्टर्स लिमिटेड	2008-09	78.73
149.	245-सीटी	असम	सीआईटी-शिलांग	नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड	2011-12	357.07
150.	253-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-10, मुम्बई	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड	2008-09	1,548.08
151.	254-सीटी	महाराष्ट्र	डीआईटी (आईटी)-1, मुम्बई	अरुण फंड लिमिटेड	2011-12	2,767.23
152.	255-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-V, मुम्बई	महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	2010-11	3,350.11
153.	259-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-15, मुम्बई	आक्सआईडस एंड स्पेशियलटीज लिमिटेड	2009-10	64.90
154.	262-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-IV, दिल्ली	तिआनजिन तिआनशी इंडिया प्रा. लिमिटेड	2008-09	191.84
155.	263-सीटी	दिल्ली	सीआईटी (केन्द्रीय)-1, दिल्ली	धुव इंडिया लिमिटेड	2010-11	139.66
156.	264-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-1, दिल्ली	कनाट प्लाजा रेस्टोरेंट्स प्रा. लिमिटेड	2010-11	68.11
157.	265-सीटी	दिल्ली	डीआईटी-1, दिल्ली	फ्रापोर्टएजी फ्रैंकफर्ट एअरपोर्ट सर्विसेज वर्ल्डवाइड	2010-11	208.53
158.	266-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-1, दिल्ली	रेथेन्ट टेक्नोलोजीस प्रा. लिमिटेड	2008-09	71.44
159.	270-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-II, मुम्बई	महिन्द्रा नवीस्टार ऑटोमोटिव लिमिटेड	2009-10	2,174.82

2016 की प्रतिवेदन संख्या 3 (प्रत्यक्ष कर)

क्रम सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
160.	273-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी-3, कोलकाता	एपीजे टी लिमिटेड	2011-12	83.76
161.	275-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-5, चेन्नई	आप्टीमस आऊटसोर्सिंग कं. प्रा.लिमिटेड	2005-06	52.85
162.	280-सीटी	आंध्रप्रदेश	सीआईटी-केन्द्रीय हैदराबाद	वामादेव ग्रीन फील्डस (प्रा.) लिमिटेड	2008-09	278.72
163.	289-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-केन्द्रीय-3, मुम्बई	ओरीकोन इंटरप्राइजिज लिमिटेड	2008-09	376.89
164.	292-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-2, मुम्बई	टाटा संस लिमिटेड	2009-10	46,385.00
165.	293-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-II, मुम्बई	टाटा स्टील लिमिटेड	2009-10	2681.13
166.	294-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-VIII, मुम्बई	टाटा टेलीसर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड	2011-12	8,519.96
167.	296-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-II, मुम्बई	टाटा संस लिमिटेड	2010-11	16,423.00
168.	298-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-7, मुम्बई	ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2000-01	5,601.22
169.	299-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी (आईटी)-3, मुम्बई	पिकटैट कंट्री फंड मॉरीशस लिमिटेड	2010-11	618.44
170.	314-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-IV, दिल्ली	ग्लोबल वन इंडिया प्रा. लिमिटेड	2009-10	1,149.50

कर छूट/रियायत/कटौतियों का प्रशासन-अनियमित छूट/कटौतियां/रिबेट/राहत/मैट क्रेडिट

171.	71-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-14, मुम्बई	डब्ल्यूएनएस, ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड	2009-10	956.89
172.	73-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी -9, मुम्बई	आदित्य बिरला माइनेक्स् वर्ल्ड वाईड लिमिटेड	2009-10	62.68
173.	76-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-4, पुर्ण	विषय कंपोनेन्ट्स इंडिया लिमिटेड	2009-10	93.61
174.	79-सीटी	गोवा	सीआईटी, पणजी	गोवा स्पंज एंड पावर लिमिटेड	2008-09	165.62
175.	84-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-एलटीयू चेन्नई	चोलामंडलम एमएस जैनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2009-10	190.58
176.	85-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-I, चेन्नई	बेली टेक्नोलॉजी इंडिया प्रा.लिमिटेड	2007-08	69.08

क्रम सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
177.	100-सीटी	गुजरात	सीआईटी-1, बडौदा	एल के इंडिया प्रा. लिमिटेड	2008-09	76.58
178.	119-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्रधान सीआईटी-4, कोलकाता	बंगाल शैल्टर हाऊसिंग डेवलपमेंट लिमिटेड	2011-12	142.80
179.	126-सीटी	गुजरात	सीआईटी-1, बडोदा	कैमरॉक इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड	2008-09	109.80
180.	131-सीटी	कर्नाटक	सीआईटी-III, बेंगलोर	शॉ वैलस ब्रीवेरीज लिमिटेड	2008-09	563.32
181.	136-सीटी	संघ प्रदेश चण्डीगढ़	सीआईटी-1, चण्डीगढ़	रिफॉर्डर्स एंड मेडीकेयर प्रा. लिमिटेड	2009-10	104.26
182.	162-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-14, मुम्बई	गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2010-11	61.72
183.	167-सीटी	केरल	सीआईटी-1, कोच्ची	एस्केपेड रिजार्ट प्रा. लिमिटेड	2009-10	128.40
184.	175-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-5, मुम्बई	टोलनी शिपिंग कंपनी लिमिटेड	2004-05	210.16
185.	178-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-8, मुम्बई	यस बैंक लिमिटेड	2008-09	610.44
186.	183-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-3, मुम्बई	एलआईसी ऑफ इंडिया	2009-10	756.65
187.	191-सीटी	पंजाब	सीआईटी-1, लुधियाना	एसईएल मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड	2009-10	374.95
188.	192-सीटी	हरियाणा	सीआईटी - पंचकुला	यमुना पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	2008-09	41.63
189.	239-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-2, चेन्नई	इंडियन गारनेट सेन्ड कं. प्रा.लिमिटेड	2009-10	80.46
190.	272-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-1, मुम्बई	द न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लिमिटेड	2010-11	8,202.35
191.	291-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-1, मुम्बई	एल्सटॉम प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड	2008-09	621.33
192.	307-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-2, चेन्नई	इन्फो ड्राइव साफ्टवेयर लिमिटेड	2009-10	172.05
कर छूट/रियायत/कटौतियों का प्रशासन-कारोबारी व्यय की गलत अनुमति						
193.	42-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्रधान सीआईटी -3, कोलकाता	मैकल इस्पात एंड फोर्जिंग लिमिटेड	2011-12	68.47

2016 की प्रतिवेदन संख्या 3 (प्रत्यक्ष कर)

क्रम सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
194.	48-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-2, चेन्नई	इटीए जैनरल प्राइवेट लिमिटेड	2008-09	436.54
195.	50-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-6, चेन्नई	सिवा कंप्यूलिंग लिमिटेड	2009-10	51.25
196.	52-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-2, चेन्नई	गोल्ड नेस्ट ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	2011-12	56.85
197.	58-सीटी	कर्नाटक	सीआईटी-1, बेंगलोर	एबीबी ग्लोबल इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज लिमिटेड	2010-11	95.28
198.	78-सीटी	गुजरात	सीआईटी-11 अहमदाबाद	ग्रुह फाइनेंस लिमिटेड	2009-10	56.40
199.	88-सीटी	कर्नाटक	सीआईटी-1, बेंगलोर	बेंगलोर इलैक्ट्रीसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड	2009-10	129.57
200.	99-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्रधान सीआईटी-4, कोलकाता	दुर्गापुर कैमिकल्स लिमिटेड	2011-12	143.50
201.	101-सीटी	गुजरात	सीआईटी-गांधीनगर	गुजरात इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन	2009-10	538.67
202.	106-सीटी	ओडिशा	सीआईटी-भुवनेश्वर	नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड	2011-12	1,809.00
203.	107-सीटी	ओडिशा	सीआईटी-भुवनेश्वर	ओडिशा स्पंज आयरन एंड स्टील लिमिटेड	2011-12	750.11
204.	111-सीटी	ओडिशा	सीआईटी-कटक	ओडिशा स्टीवेडर लिमिटेड	2009-10	108.61
205.	114-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-IV, दिल्ली	भारती टेलीमीडिया लिमिटेड	2010-11	278.36
206.	120-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्रधान सीआईटी-2, कोलकाता	इंडस्ट्रीयल इंवेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड	2008-09	433.35
207.	122-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्रधान सीआईटी-2, कोलकाता	वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	2010-11	339.90
208.	124-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्रधान सीआईटी-5, कोलकाता	नंपा स्टील एंड पावर (इंडिया) प्रा. लिमिटेड	2009-10	125.85
209.	127-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-एलटीयू, चेन्नई	नवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड	2011-12	439.80
210.	133-सीटी	ओडिशा	सीआईटी-भुवनेश्वर	पारादीप फास्फेट लिमिटेड	2010-11	2,900.78
211.	135-सीटी	हरियाणा	सीआईटी-पंचकुला	हरियाणा फाइनेंसियल कार्पोरेशन	2009-10	181.91

क्रम सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
212.	140-सीटी	गुजरात	प्रधान सीआईटी-2, बडौदा	एमएसके प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड	2008-09	76.54
213.	144-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्रधान सीआईटी-4, कोलकाता	ओरियंटल कार्बन एंड केमिकल लिमिटेड	2009-10	144.11
214.	146-सीटी	कर्नाटक	सीआईटी-1, बेंगलोर	बेंगलोर इंलैक्ट्रीसीटी सप्लाई क. लिमिटेड	2009-10	5,688.19
215.	147-सीटी	कर्नाटक	सीआईटी-III, बेंगलोर	रॉयल आर्किड होटल लिमिटेड	2009-10	204.8
216.	151-सीटी	राजस्थान	सीआईटी-अलवर	लखानी शू कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	2009-10	25.22
217.	153-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-I, पुणे	एच.एस.बी.सी. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2009-10	255.37
218.	155-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-II, मुम्बई	कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड	2009-10	324.61
219.	173-सीटी	बिहार	सीआईटी-I, पटना	बिहार स्टेट क्रेडिट इनवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2011-12	174.72
220.	176-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-14, मुम्बई (नई)	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2008-09	1,308.62
221.	187-सीटी	तमिलनाडू	सीआईटी-एल.टी.यू. चैन्नई	अरेवा टी. एंड डी सिस्टम्स इंडिया. लिमिटेड	2009-10	893.04
222.	193-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-I, मुम्बई	कुमका इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2011-12	249.21
223.	197-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-8, मुम्बई	यूनीवर्सल म्यूज़िक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2009-10	51.57
224.	199-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-4, दिल्ली	दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड	2009-10	239.19
225.	203-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-IV, दिल्ली	डाबर इंडिया लिमिटेड	2008-09	64.43
226.	211-सीटी	बिहार	सीआईटी-I, पटना	बिहार स्टेट हाईड्रो इलेक्ट्रीक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2011-12	57.96
227.	213-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-3, दिल्ली	डालमिया लेटेक्स लिमिटेड	2011-12	61.37
228.	227-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-6, पुणे	कुमार हाउज़िंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2008-09	64.19

2016 की प्रतिवेदन संख्या 3 (प्रत्यक्ष कर)

क्रम सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
229.	236-सीटी	कर्नाटक	सीआईटी-III, बंगलुरु	मोटर वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड	2009-10	75.73
230.	240-सीटी	तमिलनाडू	सीआईटी-3, चैन्नई	ट्रेक्टर्स एंड फार्म ईक्विपमेंट्स लिमिटेड	2010-11	102.28
231.	244-सीटी	तमिलनाडू	सीआईटी-एल.टी.यू., चैन्नई	ब्रेक्स इंडिया लिमिटेड	2008-09	128.03
232.	247-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी-2, कोलकाता-	वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2010-11	1,252.27
233.	248-सीटी	हरियाणा	सीआईटी-पंचकुला	हरियाणा वेयरहाउजिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2009-10	582.33
234.	249-सीटी	हरियाणा	सीआईटी-पंचकुला	हरियाणा स्टेट रोड एंड ब्रिजेज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2009-10	40.86
235.	250-सीटी	हरियाणा	सीआईटी-पंचकुला	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम प्राइवेट लिमिटेड	2008-09	85.82
236.	251-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-केन्द्रीय, हैदराबाद	पवित्रवती ग्रीन फील्ड्स प्राइवेट लिमिटेड	2008-09	482.02
237.	258-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-6, मुम्बई (नई)	एस्सेट्स रीकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड	2011-12	66.53
238.	277-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-3, मुम्बई	वर्तशिला इंडिया लिमिटेड	2007-08	64.86
239.	279-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-केन्द्रीय, हैदराबाद	वामदेव ग्रीन फील्ड्स प्राइवेट लिमिटेड	2008-09	405.77
240.	281-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-III, हैदराबाद	रेन सीआईआई कार्बन इंडिया लिमिटेड	2008-09	1542.95
241.	287-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-I, मुम्बई	एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इन्श्यूरेंस कंपनी लिमिटेड	2010-11	649.25
242.	288-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-औरंगाबाद	जय महेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2009-10	294.60
243.	304-सीटी	तमिलनाडू	सीआईटी-2, चैन्नई	इंडिया पिस्टन्स लिमिटेड	2008-09	71.92
244.	306-सीटी	तमिलनाडू	सीआईटी-2, चैन्नई	एमपी ब्रीवरीज लिमिटेड	2009-10	593.48
245.	310-सीटी	तमिलनाडू	सीआईटी-I, चैन्नई	बकिलेज इन्वेस्टमेंट्स एंड लोन्स इंडिया लिमिटेड	2008-09	766.53

क्रम सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
246.	311-सीटी	गुजरात	सीआईटी-1, बड़ोदा	गुजरात स्टेट एलेक्ट्रीसिटी कॉर्पोरेशन	2008-09	573.64
247.	312-सीटी	तमिलनाडू	सीआईटी-1, चैन्नई	कोस्टल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	2008-09 & 09-10	1,532.25
248.	313-सीटी	तमिलनाडू	सीआईटी-3, चैन्नई	टेबमा शिपयाडर्स लिमिटेड	2008-09 & 09-10	1,825.28
चूक के कारण निर्धारण से बचने वाली आय – विशेष प्रावधान के तहत निर्धारित न की गई/कम निर्धारित आय						
249.	9-सीटी	राजस्थान	सीआईटी-1, जोधपुर	राजस्थान गम प्राइवेट लिमिटेड	2010-11	183.90
250.	43-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी-1, कोलकाता	बोन्साई नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2008-09	56.28
251.	53-सीटी	गुजरात	सीआईटी-11, अहमदाबाद	मोनो स्टील इंडिया लिमिटेड	2010-11	523.56
252.	70-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-111, मुम्बई	रैलीज़ इंडिया लिमिटेड	2008-09	105.54
253.	80-सीटी	Goa	सीआईटी-पणजी	स्कॉलर बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	2011-12	134.05
254.	82-सीटी	तमिलनाडू	सीआईटी-2, चैन्नई	द इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड	2008-09	941.14
255.	118-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-13, मुम्बई	नेहा होम बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	2011-12 and 12-13	517.11
256.	137-सीटी	यू.टी.-चंडीगढ़	सीआईटी-1, चंडीगढ़	इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड	2011-12	29.17
257.	139-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-8, मुम्बई	रिलायन्स कम्युनिकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	2005-06	141.33
258.	154-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-8, मुम्बई	सीमेंस इन्फोर्मेशन सिस्टम्स लिमिटेड	2003-04	494.22
259.	156-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-IV, मुम्बई	आनन्द राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड	2010-11	136.40
260.	165-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-तिरुपति	सदर्न पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ ए.पी. लिमिटेड	2008-09	1,954.97
261.	181-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-सीसी-1, मुम्बई	टेंप्टेशन फूड्स लिमिटेड	2009-10	122.75
262.	186-सीटी	गुजरात	सीआईटी-1, बड़ोदा	ज्योति लिमिटेड	2006-07	52.45
263.	194-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-एलटीयू, मुम्बई	न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2009-10	1,238.52

2016 की प्रतिवेदन संख्या 3 (प्रत्यक्ष कर)

क्रम सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
264.	215-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-3, दिल्ली	एसएमएस पर्यावरण पर्यावरण लिमिटेड	2010-11	59.59
265.	222-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-1, पुणे	जोग इंजीनियरिंग लिमिटेड	2008-09	121.71
266.	224-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-XI, मुम्बई	टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड	2011-12	51.72
267.	269-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-16, मुम्बई (नई)	इंडसइंड मीडिया एंड कम्युनिकेशन लिमिटेड	2007-08, 2008-09 and 2009-10	639.27
268.	274-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी-2, कोलकाता	इलाहाबाद बैंक	2010-11	1,830.00

चूक के कारण निर्धारण से बचने वाली आय - सामान्य प्रावधान के अंतर्गत निर्धारित न की गई/कम निर्धारित आय

269.	5-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-II, हैदराबाद	जयपुर महुआ टोल्वे प्राइवेट लिमिटेड	2009-10, 2010-11	195.68
270.	22-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र.आर.सीआईटी-I कोलकाता	नीरा फर्म डैवलपर प्राइवेट लिमिटेड	2008-09	66.85
271.	63-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-III, दिल्ली	सरवल उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	2010-11	71.72
272.	67-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-II, मुम्बई	टाटा सन्स लिमिटेड	2010-11	73.72
273.	75-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-2, मुम्बई	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	2008-09	345.39
274.	134-सीटी	ओडिसा	सीआईटी-भुवनेश्वर	वेस्टर्न इलैक्ट्रिसिटी सप्लाय कम्पनी ओडिसा लिमिटेड	2010-11	621.49
275.	141-सीटी	तमिलनाडू	सीआईटी-2, चैन्नई	जे.होटल्स प्राइवेट लिमिटेड	2009-10	62.45
276.	145-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी-I, कोलकाता	वॉयलेट कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड	2008-09	672.97
277.	164-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-II, विशाखापटनम	पाम टेक इंडिया लिमिटेड	2008-09	384.35
278.	195-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-3, मुम्बई	टीजीएस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड	2008-09	80.30
279.	196-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-10, मुम्बई	एलपीओजी इंटरनेशनल लिमिटेड	2008-09	747.86
280.	208-सीटी	उत्तर प्रदेश	सीआईटी-नौयडा	एल.जी इलैक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड	2008-09	2,618.34
281.	209-सीटी	उत्तर प्रदेश	सीआईटी-नौयडा	आर्यन कॉरपोरेट सौल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	2011-12	60.47

क्रम सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिता का नाम	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
282.	238-सीटी	गुजरात	सीआईटी-II, सूरत	सूरत सीटी स्कैन प्राइवेट लिमिटेड	2008-09	83.45
283.	283-सीटी	ओडिसा	सीआईटी-संबलपुर	दीपक स्टील एंड पावर लिमिटेड	2008-09, 2010-11	867.01
284.	284-सीटी	ओडिसा	सीआईटी-संबलपुर	दीपक स्टील एंड पावर लिमिटेड	2006-07	225.67
285.	285-सीटी	ओडिसा	सीआईटी-संबलपुर	दीपक स्टील एंड पावर लिमिटेड	2009-10	78.59
286.	308-सीटी	तमिलनाडू	सीआईटी-2, चैन्नई	फ्यूचर सॉफ्टवेयर लिमिटेड	2007-08	365.67
287.	309-सीटी	तमिलनाडू	सीआईटी-1, चैन्नई	ऐयरसेल लिमिटेड	2010-11	89.23
चूकों के कारण निर्धारणों से बचने वाली आय-टीडीएस के प्रावधानों के कार्यन्वयन में चूक						
288.	6-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-IV, हैदराबाद	प्रोग्रेसीव कंस्ट्रक्शन्स लिमिटेड	2011-12	171.05
289.	12-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी-1, कोलकाता	बीएमडब्ल्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2006-07	74.76
290.	98-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी-1, कोलकाता	आर पयारेलाल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड	2009-10	68.00
291.	242-सीटी	तमिलनाडू	सीआईटी-केन्द्रीय-1, चैन्नई	मदर मीरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2007-08	100.49
292.	303-सीटी	तमिलनाडू	सीआईटी-6, चैन्नई	सदर्न एग्ग्रीफ्रेन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2008-09	197.08
कर/ब्याज का अतिप्रभार-कर का अतिप्रभार						
293.	3-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-1, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश बिजनेस कॉरपोरेशन लिमिटेड	2011-12	210.96
294.	21-सीटी	उत्तर प्रदेश	सीआईटी-II, कानपुर	फाइन इंडीसेल प्राइवेट लिमिटेड	2011-12	166.29
295.	29-सीटी	दिल्ली	सीआईटी (केन्द्रीय)-II, दिल्ली	नव भारत इंटरनेशनल लिमिटेड	2009-10	78.63
296.	33-सीटी	दिल्ली	डीआईटी(अंत कर) III, दिल्ली	एसएमएस मीर जीएमबीएच	2010-11	91.83
297.	66-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-1, मुम्बई	बनहीम स्टेट एंड आईटी पार्क लिमिटेड	2010-11	147.09
298.	109-सीटी	ओडिसा	सीआईटी-भुवनेश्वर	वेस्टर्न इलैक्ट्रीसिटी सप्लाइ ओडिसा लिमिटेड	2011-12	1,960.50
299.	169-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी-4, कोलकाता	मै. मोलीन्द इंजीनीयरिंग लिमिटेड	2006-07	298.89

2016 की प्रतिवेदन संख्या 3 (प्रत्यक्ष कर)

क्रम सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिता का नाम	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
300.	207-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी-2, कोलकाता	डंकन्स इंस्ट्रीज लिमिटेड	2011-12	435.30
301.	217-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-9, दिल्ली	ताज मिल्क फूड्स लिमिटेड	2010-11	242.37
302.	228-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-VII, दिल्ली	राइटवे मोटर प्राइवेट लिमिटेड	2011-12	59.2
303.	230-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-I, दिल्ली	कनाट प्लाजा रेस्टोरेन्ट प्राइवेट लिमिटेड	2011-12	50.94
304.	232-सीटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी-VII, दिल्ली	रजतदीप ओवरसीज प्रा. लिमिटेड	2011-12	60.43
305.	233-सीटी	मध्य प्रदेश	सीआईटी-गवालियर	घोई फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	2007-08 to 11-12	276.99
306.	261-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-VI, दिल्ली	तिरूपति उद्योग लिमिटेड	2011-12	107.28
307.	282-सीटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी-III, हैदराबाद	रैन सीआईआई कार्बन इंडिया लिमिटेड	2008-09	444.80
कर/ब्याज का अतिप्रभार-कर का अतिप्रभार						
308.	38-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-IV, दिल्ली	एचसीएल कॉमनेट लिमिटेड	2010-11	350.08
309.	202-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-IV, दिल्ली	हरी स्टील एंड जरनल इंस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	2005-06	242.29
310.	205-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी-2, कोलकाता	सेन्ट्रल इनलैड वाटर ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड	2007-08	442.40
311.	206-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी-2, कोलकाता	नेशनल इन्श्यूरेन्स कम्पनी लिमिटेड	2010-11	143.84
312.	243-सीटी	गुजरात	सीआईटी-IV, अहमदाबाद	सालासर लेमीनेट्स प्राइवेट लिमिटेड	2005-06	73.70
आय और धन कर						
निर्धारणों की गुणवत्ता-आय और कर की गणना में अंकीय त्रुटियां						
313.	78-आईटी	केरल	सीआईटी (केन्द्रीय), कोची	होटल सेन्ट्रल पार्क	2010-11	28.55
314.	64-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-कोलहापुर	सनहीरा एसएसके लिमिटेड	2009-10	515.05
315.	63-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-IV, पूणे	भीमा सहकारी शकर कारखाना लिमिटेड	2008-09	23.75
316.	43-आईटी	दिल्ली	सीआईटी (केन्द्रीय)-II	ओम प्रकाश कुकरेजा	2006-07; to 09-10; 2011-12	150.44

क्रम सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
317.	40-आईटी	गुजरात	सीआईटी-II, सूरत	सयन विभाग सहकारी खंड उद्योग मंडली लिमिटेड	2010-11	881.05
318.	34-आईटी	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	किसान सहकारी चीनी मील लिमिटेड	2008-09	5,237.17
319.	26-आईटी	दिल्ली	सीआईटी-XI	मान्या एक्सपोर्ट	2011-12	62.12
320.	25-आईटी	दिल्ली	सीआईटी (केन्द्रीय)-I	रीशू गुप्ता	2008-09	167.07
321.	23-आईटी	दिल्ली	सीआईटी (केन्द्रीय)-II	ओम प्रकाश कुकरेजा	2012-13	26.73
322.	19-आईटी	दिल्ली	सीआईटी (केन्द्रीय)-III	वीरेन्द्र जैन	2006-07	557.41
323.	135-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-1, पूणे	संजीवनी टाकली सहकारी शकर कारखाना लिमिटेड	2008-09	542.63
324.	11-आईटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी (सी) 1	पुष्पेश कुमार बेद	2012-13	28.92
325.	10-आईटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी (सी) 2	कनीका मेटी	2012-13	34.10
326.	100- आईटी	पंजाब	सीआईटी 1 लुधियाना	एस.ई.एक्सपोर्ट्स	2010-11	11.20
327.	08-आईटी	गुजरात	सीआईटी-IV, अहमदाबाद	एल.जी.चौधरी	2009-10	47.77
328.	06-आईटी	राजस्थान	सीआईटी- अजमेर	नरेन्द्र सिंह	2010-11	26.07
निर्धारणों की गुणवत्ता- कर, अधिभार आदि की दरों का गलत लागू करना						
329.	81-आईटी	हरियाणा	सीआईटी गुडगांव	हेमंत कुमार	2011-12	29.42
330.	79-आईटी	ओडिसा	भुवनेश्वर	एच.सी आई एल अधिकारी एआरएसएस जेवी	2010-11	746.12
331.	70-आईटी	गुजरात	सीआईटी-III अहमदाबाद	बालकृष्ण पी त्रिवेदी	2008-09	55.97
332.	30-आईटी	दिल्ली	सीआईटी-VIII	कर्नल महावीर सिंह डागर	2006-07	26.37
333.	27-आईटी	दिल्ली	सीआईटी-VIII	दुली चंद	2006-07	45.64
334.	22-आईटी	दिल्ली	सीआईटी (केन्द्रीय)-I	संजय कुमार सिंह	2011-12	1,736.01
335.	18-आईटी	दिल्ली	सीआईटी (केन्द्रीय)-1	रामा जैन	2009-10	24.21
336.	04-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी XIX, मुम्बई	आई टी डी आई टी डी सी ई एम जे वी	2009-10	34.50

2016 की प्रतिवेदन संख्या 3 (प्रत्यक्ष कर)

क्रम सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
निर्धारणों की गुणवत्ता-ब्याज के उद्ग्रहण में गलती						
337.	95-आईटी	कर्नाटक	सीआईटी-III बैंगलौर	यूनीक सर्विसेज	2011-12	22.25
338.	89-आईटी	उत्तर प्रदेश	सीआईटी केन्द्रीय कानपुर	संजय कुमार	2009-10; 2010-11; 2011-12	434.86
339.	84-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी केन्द्रीय-1 मुम्बई	दीलिप सी शाह	2007-08	780.02
340.	83-आईटी	युटी चंडीगढ़	सीआईटी-1 चंडीगढ़	पंजाबबिल्डिंग एण्ड अदर कन्सट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड	2010-11	51.19
341.	72-आईटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी केन्द्रीय-1 मुम्बई	अतुल अमृतलाल सांधवी	2007-08	780.04
342.	66-आईटी	उत्तर प्रदेश	सीआईटी- केन्द्रीय कानपुर	संदीप कुमार	2010-11; 2011-12	707.96
343.	46-आईटी	तमिलनाडू	सीआईटी-3, चैन्नई	ए. जेसु राजेन्दरन	2007-08	55.17
344.	32-आईटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी केन्द्रीय 2 कोलकाता	रामेश्वर पोद्दार	2010-11	20.02
345.	31-आईटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी केन्द्रीय 1	पुष्पेश कुमार बैद	2008-09	41.99
346.	28-आईटी	दिल्ली	सीआईटी- (सी)- II	अनिल अग्रवाल	2008-09	35.98
347.	21-आईटी	दिल्ली	सीआईटी (केन्द्रीय) -I	गुरमीत सिंह	2006-07	20.04
348.	20-आईटी	दिल्ली	सीआईटी (केन्द्रीय)-1	संजय कुमार	2011-12	106.49
349.	17-आईटी	उत्तर प्रदेश	सीआईटी केन्द्रीय कानपुर	दीपक कुमार	2009-10; 2010-11; 2011-12	305.86
350.	14-आईटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी (सी) 2	रामेन्द्र मोहन सरकार	2011-12	24.00
351.	13-आईटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी (सी) 2	सुकान्त देव	2011-12	24.02
352.	139- आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-2, कोल्हापुर	जवाहर शतकारी सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड	1997-98; 1998-99; 1999-2000; 2000-01	286.01
353.	137- आईटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी-2, कोल्हापुर	जवाहर शतकारी सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड	2010-11	449.18

क्रम सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
354.	136-आईटी	मध्य प्रदेश	भोपाल	प्रखर कन्सट्रक्शन बिल्डर्स एण्ड डेवेलोपर्स	2009-10; 2010-11	54.62
355.	131-आईटी	दिल्ली	सीआईटी, सीसी-II	अशोक मल्होत्रा	2006-07; 2007-08; 2008-09	131.89
356.	129-आईटी	उत्तर प्रदेश	सीआईटी केन्द्रीय कानपुर	अमित बंसल	2009-10; 2010-11; 2011-12	49.97
357.	126-आईटी	उत्तर प्रदेश	सीआईटी-II लखनऊ	सागर एजुकेशन सोसाइटी	2007-08; 2008-09	57.65
358.	125-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-केन्द्रीय नागपुर	मितेश जी भोंगदिया	2012-13	42.89
359.	115-आईटी	तमिलनाडू	सीआईटी-2, चैन्नई	एस.वी सुनील कुमार	2006-07	23.38
360.	114-आईटी	मध्य प्रदेश	सीआईटी-1, इंदौर	मनजीत सिंह राजपाल	2010-11; 2011-12	152.00
361.	113-आईटी	मध्य प्रदेश	सीआईटी-केन्द्रीय, भोपाल	मुकेश संगला	2010-11; 2011-12	299.00
362.	112-आईटी	मध्य प्रदेश	सीआईटी-1, इंदौर	रेबेका गर्ग	2003-04; 2004-05	191.38
363.	106-आईटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी केन्द्रीय-2, कोलकाता	रवि कुमार अग्रवाल	2009-10	34.04
364.	103-आईटी	दिल्ली	सीआईटी (केन्द्रीय)- I	राजीव कुमार	2008-09	36.24
365.	02-आईटी	आंध्र प्रदेश	सीआईटी (केन्द्रीय), हैदराबाद	रघु राम कृष्ण राजू	2010-11	246.81
निर्धारणों की गुणवत्ता- अपीलीय आदेशों को लागू करते समय निर्धारण में गलतियाँ						
366.	90-आईटी	बिहार	सीआईटी - I पटना	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक	2010-11	15.14
कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन-व्यक्तियों को दी गई अनियमित छूट/कटौतियाँ/राहत						
367.	98-आईटी	तमिलनाडू	सीआईटी-अेत. करा. चैन्नई	जे मुतु कुमार	2010-11	22.41
368.	77-आईटी	केरला	सीआईटी कोजीकोडा	पी.वी हेमलता	2009-10	140.52

2016 की प्रतिवेदन संख्या 3 (प्रत्यक्ष कर)

क्रम सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिता का नाम	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
369.	71-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-॥ पूणे	रेखा दीलिप भीडे	2009-10	29.46
370.	42-आईटी	कर्नाटक	सीआईटी III बैंगलौर	नरसिंहा मूर्ति प्रहलाद	2008-09	23.23
371.	116-आईटी	राजस्थान	सीआईटी 1 जयपुर	पदम चंद ढाढा	2011-12	24.52
372.	109-आईटी	उत्तराखण्ड	हलद्वानी	प्रवीण कुमार शर्मा	2009-10	12.95
373.	102-आईटी	यूटी चण्डीगढ़	सीआईटी-I चण्डीगढ़	महीपिन्दर सिंह संधु	2010-11	11.05
कर रियायतो/छूटों/कटौतियों का प्रशासन-ट्रस्टों/फर्मों/सोसाइटियों/एओपीज को दी गई अनियमित छूटे/कटौतियां/राहत						
374.	91-आईटी	बिहार	सीआईटी-I पटना	रिजर्व बैंक इम्पलाईज कार्पोरेटिव थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड	2010-11	14.00
375.	45-आईटी	गुजरात	सीआईटी- चण्डीगढ़	गुजरात काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग	2009-10	116.46
376.	39-आईटी	गुजरात	सीआईटी-I, बड़ोदा	गुजरात रूरल इंस्टीट्यूट फोर सोशियो इकोनोमिक रिकन्सट्रक्शन	2009-10	38.08
377.	33-आईटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी-12, कोलकाता	आत्मराम एण्ड कंपनी	2012-13	59.89
378.	141-आईटी	तमिलनाडू	सीआईटी-1 मधुराज	तूतीकोरीन पोर्ट ट्रस्ट	2009-10; 2010-11	916.24
379.	121-आईटी	उत्तर प्रदेश	सीआईटी-I कानपुर	मेहरा ब्रदर्स	2011-12	194.11
380.	110-आईटी	दिल्ली	सीआईटी(ई)	प. कन्हैया लाल दयावन्ती पुंज चेरीटेबल ट्रस्ट	2006-07; 2007-08	134.84
381.	01-आईटी	आंध्र प्रदेश	डीआईटी (ई), हैदराबाद	नैशनल अकादमी ऑफ कन्सट्रक्शन	2009-10	131.37
कर रियायतो/छूटों/कटौतियों का प्रशासन-कारोबार व्यय की गलत अनुमति						
382.	99-आईटी	जम्मू एवं कश्मीर	सीआईटी जम्मू	इलाकाई देहाती बैंक	2009-10	19.30
383.	97-आईटी	कर्नाटक	सीआईटी III बैंगलौर	यूनियन विल्डर्स एण्ड डवेलपर्स	2009-10	35.42
384.	88-आईटी	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	जिला सहकारी बैंक लिमिटेड	2007-08	116.53
385.	62-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-IV, पूणे	वेनगंगा कृष्णा ग्रामीण बैंक	2010-11	138.70

क्रम सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
386.	61-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-IV पूणे	सिद्धार्थ सहकारी को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड	2010-11	61.96
387.	60-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-1 पूणे	कुकाडी सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड	2011-12	70.64
388.	58-आईटी	हरियाणा	सीआईटी पंचकुला	हरियाणा स्टेट को-आपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड	2008-09	33.86
389.	57-आईटी	हरियाणा	सीआईटी पंचकुला	हरियाणा स्टेट को-आपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड	2009-10	123.65
390.	55-आईटी	ओडिसा	कटक	कटक डवेलपमेन्ट अथॉरिटी	2009-10	117.89
391.	54-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-II, कोल्हापुर	द सिन्धुदुर्ग डिस्ट्रीक्ट सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड	2007-08	49.77
392.	50-आईटी	गुजरात	सीआईटी-वलसाद	सरदार भिलाडवाला पारदी पिपुल्स को-आपरेटिव बैंक	2008-09	44.28
393.	37-आईटी	गुजरात	सीआईटी-I, बढोद	सुखचिन्दर सिंह एम गिल	2010-11	34.28
394.	36-आईटी	तमिलनाडू	सीआईटी-1, चेन्नई	तमिलनाडू को-आपरेटिव स्टेट लेण्ड डवेलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	2009-10	4,766.72
395.	16-आईटी	उत्तर प्रदेश	मेरठ	रामाला सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड	2008-09	121.30
396.	140-आईटी	उत्तर प्रदेश	फरीदाबाद	गायत्री कन्सट्रक्शन	2008-09	49.97
397.	134-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-III, पूणे	श्रीराम कृष्णा जी सुर्वे	2009-10	33.99
398.	12-आईटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी 4 कोलकाता	सावित्री देवी अमीता जैसवाल एण्ड अदर्स	2009-10	67.92
399.	128-आईटी	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	अन्सारी कन्सट्रक्शन इन्टरप्राइजेज	2008-09	47.29
400.	127-आईटी	उत्तर प्रदेश	सीआईटी II कानपुर	त्रिवेणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लिमिटेड	2009-10	35.60
401.	123-आईटी	जम्मू एवं कश्मीर	सीआईटी जम्मू	इलाकाई देहाती बैंक	2009-10	10.60
402.	122-आईटी	यूटी चण्डीगढ़	सीआईटी-II चण्डीगढ़	शिव कुमार शर्मा	2011-12	27.57
403.	105-आईटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी 4 कोलकाता	सावित्री देवी राजेश कुमार एण्ड अदर्स	2009-10	29.91
404.	05-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी केन्द्रीय I, मुम्बई	लीलावती कीर्तिमल मेहता मेडिकल ट्रस्ट	2007-08	41.84

क्रम सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
----------	----------------	-------	---------------	-------------------	-------	-----------------------

रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन-मूल्यहास/व्यापार घाटा/पूँजीगत घाटे अनुमत करने में अनियमितताएँ

405.	94-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-XXIV	राजन आर भाल	2009-10	37.46
406.	86-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-II पूणे	जितेन्द्र संतोख सिंह गाधोके	2009-10; 2010-11	56.69
407.	85-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-I मुम्बई	द कुम्बी सहकारी बैंक लिमिटेड	2011-12	126.37
408.	74-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-1 पूणे	जगदम्बा एसएसके लिमिटेड	2008-09	82.98
409.	69-आईटी	गुजरात	सीआईटी-I बडोदा	द दाभोई नागरिक सहकारी को-ओ बैंक लिमिटेड	2009-10	117.87
410.	53-आईटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी-IX, कोलकाता	हल्दिया डेवलपमेन्ट अथॉरिटी	2010-11	480.87
411.	44-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-IV पूणे	चन्द्रभागा सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड	2008-09	67.10
412.	15-आईटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी 10 कोलकाता	रघुवेन्द्र प्रताप सिंह	2012-13	45.57
413.	124-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी 1 पूणे	भीमशंकर सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड	2009-10	29.14
414.	118-आईटी	बिहार	सीआईटी-I, पटना	बिहार इन्डस्ट्रीयल एरिया डेवेलपमेन्ट अथॉरिटी पटना	2011-12	234.75
415.	111-आईटी	दिल्ली	डीआईटी छूट-	इस्टीट्यूट ऑफ सिस्टर्स चेरिटी	2011-12	91.11

चूकों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय- पूँजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण तथा गणना

416.	96-आईटी	कर्नाटक	सीआईटी-केन्द्रीय बैंगलूरु	डीके शिवकुमार	2010-11	25.15
417.	68-आईटी	गुजरात	प्र. सीआईटी-4, अहमदाबाद	मयूर मुकुन्द भाई देसाई	2009-10	96.95
418.	48-आईटी	राजस्थान	सीआईटी-1, जौधपुर	शान्ति लाल भण्डारी	2011-12	19.14

चूकों के कारण निर्धारण से बची आय-आय की गलत गणना

419.	93-आईटी	झारखण्ड	राची	झारखण्ड ट्रेडिंग कम्पनी	2010-11	148.92
420.	92-आईटी	झारखण्ड	जमशेदपुर	साहू टिम्बर	2010-11	12.09
421.	76-आईटी	गुजरात	सीआईटी-I, बडोदा	नैनुदेवी अमृत भाई प्रजापति	2009-10	68.74
422.	73-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-1, पूणे	भीमा शंकर एसएसके लिमिटेड	2011-12	332.12
423.	65-आईटी	बिहार	सीआईटी-I, पटना	द बिहार आवामी को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड	2010-11	10.40

क्रम सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
424.	35-आईटी	राजस्थान	उदयपुर	मंसूर अहमद	2009-10	10.74
425.	138-आईटी	महाराष्ट्र	सीसी-1 नागपुर	संजय हेडा	2007-08; 2010-11; 2011-12	77.19
426.	132-आईटी	छत्तीसगढ़	सीआईटी-राजपुर	अतुल कुमार सिन्हा	2008-09	81.10
427.	117-आईटी	असम	सीआईटी-देबुगढ़	जगदीश प्रसाद बागरी	2008-09	14.38
428.	108-आईटी	उत्तराखण्ड	हल्द्वानी	संजय कुमार चौहान	2010-11	32.71
429.	107-आईटी	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद	गाजियाबाद डेवेलोपमेन्ट अथॉरिटी	2009-10	195.97
430.	07-आईटी	राजस्थान	सीआईटी-III जयपुर	लाला राम चौधरी	2009-10	10.35
431.	03-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी केन्द्रीय II मुम्बई	कमल जाजू	2010-11	30.90
चूकों के कारण निर्धारणों से बचने वाली आय-टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों के कार्यन्वयन में चूक						
432.	75-आईटी	गुजरात	सीआईटी-जमनागढ़	छायाबेन अजयकुमार शाह	2009-10	21.72
433.	67-आईटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी-बर्दवान	विष्णु घोष	2008-09	31.35
434.	52-आईटी	झारखण्ड	सीआईटी-धनबाद	भागीरथ चौधरी	2009-10	16.32
435.	120-आईटी	झारखण्ड	सीआईटी-रांची	ओम प्रकाश सिंह	2010-11	185.85
436.	119-आईटी	झारखण्ड	सीआईटी-रांची	हरि बन्धु सिन्हा	2008-09	32.61
चूकों के कारण निर्धारणों से बचने वाली आय-अस्पष्ट निवेश/केश क्रेडिट						
437.	49-आईटी	राजस्थान	सीआईटी-जोधपुर-I	उमेश भण्डारी	2011-12	15.60
438.	47-आईटी	राजस्थान	सीआईटी-2, जयपुर	सुरेश कुमार खण्डेलवाल	2011-12	12.83
439.	41-आईटी	गुजरात	सीआईटी-II, अहमदाबाद	रजनीकान्त शिवलाल मोदी	2009-10	24.71
440.	133-आईटी	छत्तीसगढ़	सीआईटी-II रायपुर	शिव कुमार खरे	2008-09	33.97
441.	130-आईटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी-15 कोलकाता	मदन मोहन चौधरी	2008-09	91.79

2016 की प्रतिवेदन संख्या 3 (प्रत्यक्ष कर)

क्रम सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
442.	09-आईटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी-आसनसोल	राहुल कुमार अग्रवाल	2008-09	58.64
चूकों के कारण निर्धारण से छूटी आय-सम्पत्ति कर का उदग्रहण कम/ना होना						
443.	01-डब्ल्यूटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी-4, कोलकाता	क्रिएटिव बेकर्स एण्ड कन्फैक्शनर्ज प्रा. लिमिटेड	2009-10; 2010-11	2.64
444.	02-डब्ल्यूटी	गुजरात	सीआईटी-5, अहमदाबाद	भारत कुमार जयन्ति लाल पटेल	2010-11	2.56
445.	03-डब्ल्यूटी	कर्नाटक	सीआईटी-III, बैंगलौर	लोहित पुनीत राजकुमार	2010-11	3.75
446.	04-डब्ल्यूटी	कर्नाटक	सीआईटी-II, बैंगलौर	रजिया खानम	2006-07; 2007-08; 2010-11	3.26
447.	05-डब्ल्यूटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-III, मुम्बई	कनायो खूबचन्द मोटवानी	2008-09	3.75
448.	06-डब्ल्यूटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी केन्द्रीय-2	परिजात व्यापार प्राइवेट लिमिटेड	2011-12	2.35
अन्य-कर/ब्याज का अधिक प्रभार						
449.	82-आईटी	पंजाब	सीआईटी केन्द्रीय लुधियाना	तिलक राज बेदी	2010-11	36.18
450.	80-आईटी	हरियाणा	सीआईटी-केन्द्रीय गुडगांव	स्वामी देवी दयाल हाई टेक एजुकेशनल एकेडमी	2008-09; 2009-10	302.80
451.	59-आईटी	हरियाणा	सीआईटी पंचकुला	हरियाणा अर्बन डेवलपमेन्ट अथॉरिटी	2010-11	286.33
452.	56-आईटी	ओडिसा	भुवनेश्वर	नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड	2011-12	14.24
453.	38-आईटी	गुजरात	सीआईटी-3, अहमदाबाद	विशाल इन्जिनियर्स एण्ड ग्लवेनाइजर्स	2008-09	34.69
454.	104-आईटी	दिल्ली	सीआईटी (केन्द्रीय)-1	संजय कुमार	2010-11	403.79
455.	101-आईटी	यूटी चंडीगढ़	सीआईटी-II चंडीगढ़	साई अपार्टमेन्ट्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर	2011-12	21.96

परिशिष्ट 2.4 (संदर्भ: पैराग्राफ 2.5.5)

मंत्रालय को भेजे गए ड्राफ्ट पैराग्राफों के संबंध में निष्कर्षों के श्रेणीवार ब्यौरे		
उप श्रेणी	मामले	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
क. निर्धारणों की गुणवत्ता	147	592.02
क. आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ	59	248.03
ख. कर अधिभार इत्यादि की गलत दर लगाना	21	60.78
ग. विवरणियों की प्रस्तुती, कर के भुगतान में विलम्ब के लिए ब्याज/शास्ति नहीं/कम लगाना	51	207.75
घ. अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदायों पर ब्याज	11	39.80
ङ. अपीलीय आदेशों को प्रभावी करते समय निर्धारणों में त्रुटियाँ	05	38.66
ख. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन	204	1,889.97
क. निगमों को दी गई अनियमित छूटें/कटौतियाँ/राहत	22	137.95
ख. ट्रस्टों/फर्मों/सोसाइटियों को दी गई अनियमित छूटें/कटौतियाँ/राहत	08	16.05
ग. व्यक्तियों को दी गई अनियमित छूटें/कटौतियों/राहत	07	2.64
घ. कारोबारी व्यय की गलत अनुमति	79	360.43
ङ. मूल्यहास/कारोबारी हानियाँ/पूँजीगत हानियाँ अनुमत करने में अनियमितताएं	88	1,372.90
ग. चूकों के कारण निर्धारणों से छूटी आय	77	193.67
क. मैट/टनेज कर इत्यादि सहित विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत	20	93.34
ख. पूँजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण और गणना	03	1.41
ग. आय की गलत गणना	32	87.37
घ. टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों को लागू करने में चूक	10	8.99
ङ. धन कर का गैर/कम उदग्रहण	06	0.18
च. अस्पष्ट निवेश/नकद क्रेडिट	06	2.38
घ. अन्य	27	69.84
कर/ब्याज का अधिक प्रभार	27	69.84
जोड़	455	2,745.50

परिशिष्ट 2.5 (संदर्भ: पैराग्राफ 2.7.4)

वि.व. 2014-15 में समयबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई वाले मामले		
राज्य	समयबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई पर लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	
	मामले	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
आंध्र प्रदेश	147	46.34
असम	0	0
बिहार	54	2.08
छत्तीसगढ़	15	2.02
दिल्ली	0	0
गोवा	0	0
गुजरात	60	35.99
हरियाणा	432	46.04
हिमाचल प्रदेश	318	8.63
जम्मू-कश्मीर	19	0.15
झारखण्ड	2	4.70
कर्नाटक	11	15.98
केरल	11	3.28
मध्य प्रदेश	44	6.83
महाराष्ट्र	386	80.53
ओडिसा	74	44.82
पंजाब	288	25.93
केंद्र शासित चंडीगढ़	12	0.58
राजस्थान	242	8.28
तमिलनाडु	1,601	2,131.45
उत्तर प्रदेश	93	17.84
उत्तराखण्ड	0	0.00
पश्चिम बंगाल	72	9.31
कुल	3,881	2,490.78

परिशिष्ट 2.6 (संदर्भ: पैराग्राफ 2.8.2)

राज्य	वि.व. 2014-15 में माँगे गए अभिलेख	वि.व. 2014-15 में उपलब्ध नहीं कराए गए अभिलेख	वि.व. 2014-15 में उपलब्ध नहीं कराए गए अभिलेख की प्रतिशतता	वि.व. 2013-14 में उपलब्ध नहीं कराए गए अभिलेख की प्रतिशतता	वि.व. 2012-13 में उपलब्ध नहीं कराए गए अभिलेख की प्रतिशतता
आंध्र प्रदेश	13,580	1,416	10.43	17.38	7.74
असम	1,482	18	1.21	0.34	1.16
बिहार	2,415	324	13.42	13.52	28.74
छत्तीसगढ़	842	226	26.84	1.32	17.49
दिल्ली	37,483	9,300	24.81	18.24	21.37
गोवा	509	02	0.39	0.00	1.09
गुजरात	29,915	1,923	6.43	13.59	16.47
हरियाणा	5,040	385	7.64	3.10	6.63
हिमाचल प्रदेश	997	110	11.03	7.94	10.56
जम्मू-कश्मीर	706	113	16.01	13.19	20.59
झारखण्ड	1,645	199	12.09	6.55	3.27
कर्नाटक	12,940	1,237	9.56	25.44	14.25
केरल	6,783	798	11.76	9.90	12.93
मध्य प्रदेश	13,282	2,665	20.06	16.87	25.73
महाराष्ट्र	62,110	3,596	5.79	4.85	4.22
ओडिसा	4,457	436	9.78	31.62	37.00
पंजाब	4,630	699	15.10	17.47	21.82
केंद्र शासित चंडीगढ़	2,878	1,194	41.49	17.09	40.53
राजस्थान	17,089	1,495	8.75	8.27	7.13
तमिलनाडु	22,259	5,571	25.03	22.51	32.05
उत्तर प्रदेश	19,180	598	3.11	5.30	8.44
उत्तराखण्ड	1,300	9	0.69	4.29	4.34
पश्चिम बंगाल	17,435	1,222	7.01	10.56	4.36
कुल	2,78,957	33,536	12.02	13.44	14.70

संकेताक्षर

एसीआईटी	सहायक आयुक्त, आयकर
एक्ट	आयकर अधिनियम, 1961
एडीसीआर	बकाया मांग उगाही रजिस्टर
एईज	सहायक उद्योग
एआईआर	वार्षिक सूचना विवरणी
एएलपी	आर्मस लेंथ मूल्य
एओ	निर्धारण अधिकारी
एवाई	निर्धारण वर्ष
सीबीडीटी	केंद्रीय बोर्ड, प्रत्यक्ष कर
सीसीआईटी	मुख्य कमिश्नर, आयकर
सीआईटी	आयकर कमिश्नर
सीपीसी	केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र
सीएसओ	केंद्रीय स्थैतिक कार्यालय
सीटी	निगम कर
डीएंडआरसी	मांग और उगाही रजिस्टर
डीओआर	राजस्व विभाग
डीवीआर	विवाद समाधान पैनल
डीटी	प्रत्यक्ष कर
डीडब्ल्यूएंडबीआई	डेटा वेयरहाउस और बिजनेस इंटेलिजेंस
ईसीबी	बाह्य वाणिज्यिक उधार
एफवाई	वित्तीय वर्ष
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीटीआर	सकल कर प्राप्तियाँ
आईसी	वसूली न होने योग्य प्रमाणपत्र
आईसीएआई	भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
आईआरएलए	व्यक्तिगत चालू बही खाता
आईटी	आयकर
आईटीएटी	आयकर अपीलीय प्राधिकरण
आईटीबीए	आयकर व्यापार अप्लीकेशन
आईटीडी	आयकर विभाग
आईटीडीएमएस	समेकित करदाता डाटा प्रबंधन प्रणाली
आईटीओ	आयकर अधिकारी
आईटीआर	आयकर विवरणी

जेसीआईटी	संयुक्त कमिश्नर, आयकर
पीएसी	लोक लेखा समिति
पैन	स्थायी खाता संख्या
प्र. सीसी ए	प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रण
एमएटी	न्यूनतम वैकल्पिक कर
एमओपी	कार्यालय प्रक्रिया मैनुअल
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरएफडी	परिणामी ढाँचा दस्तावेज़
आरओसी	कंपनी पंजिका
टीएआरसी	कर प्रशासन सुधार आयोग
टीसीएस	स्रोत पर संग्रहीत कर
टीडीएस	स्रोत पर काटा गया कर
टीपी	स्थानांतरण मूल्य
टीपीओ	स्थानांतरण मूल्य अधिकारी
टीआरसीज	कर वसूली प्रमाणपत्र
टीआरओ	कर वसूली अधिकारी

© भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in